सुबोध ग्रन्थमाला—ग्रन्थ ५

प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण।

[प्रचलित अंग्रेजी व्याकरण के ढंग पर]

लेखक

अनेक हिन्दी-संस्कृत पुस्तकों के रचयिता
पं० रामदहिन मिश्र काव्यतीर्थ

—०:०.—

प्रकाशक
ग्रन्थमाला कार्यालय
बाँकीपुर।

पाँचवाँ सम्करण] १९२७ [मूल्य १) रुपया।

प्रकाशक—
रामपुकार मिश्र
ग्रन्थमाला कार्यालय,
बाँकीपुर।



मुद्रक—
गणपति कृष्ण गुर्जर
श्रीलक्ष्मी नारायण प्रेस, जतनबर
बनारस, ३६७-२२।

वक्तव्य।

—*—

उच्च कक्षा के स्कूलों में पठन पाठन के लिये एक हिन्दी-व्याकरण की बड़ी आवश्यकता थी। क्योंकि आजकल हिन्दी के छोटे बड़े जितने व्याकरण प्रचलित हैं उनका पढ़ाना प्राइमरी स्कूलों में समाप्त हो जाता है। अतः मैंने प्रवेशिकादि परीक्षार्थियों के लिये यह व्याकरण लिखकर प्रस्तुत किया है। मैं कह नहीं सकता कि इससे कहाँ तक उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति होगी।

बहुत से लोग इसे देखकर यह कह सकते हैं कि इसमें तो वे ही पुराने विषय लिखे गये हैं जो और और व्याकरणों में भी हैं। ऐसे उदार महाशयों से मेरा नम्र निवेदन यह है कि कोई ऐसा व्याकरण नहीं हो सकता जिसमें एकदम सभी विषय नये ही हों। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई व्याकरण क्यों न हो, उसमें विषय एक ही से रहेंगे। किन्तु, उनके प्रकार और विचार नये हो सकते हैं। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो इसमें भी नवीनता और विशेषता अवश्य दीख पड़ेगी।

मैंने प्रारम्भिक पाठशालाओं की नूतन पाठ्य प्रणाली पर एक छोटासा हिन्दी व्याकरण लिखा है जिसे बिहार की टेक्स्टबुक कमीटी ने पाठ्य पुस्तकों में निर्वाचित किया है।

बहुतों का विचार था कि इसी ढंग पर हिन्दी का बड़ा व्याकरण लिखा जाय, पर वह ढंग मुझे पसन्द नहीं आया। क्योंकि बच्चों के लिये जैसा वह ढंग उपयुक्त है वैसा मेरे विचार से बड़ों के लिये नहीं। और पुराना भी ढंग मुझे पसन्द नहीं आया। इससे मैंने इसे प्रचलित अंगरेजी व्याकरण के ढंग पर लिखा है। हिन्दी में यह मेरा ढंग कोई नया नहीं है। इस तरह की भी एक दो छोटी हिन्दी व्याकरण की पुस्तकें निकल चुकी हैं।

यों तो इस व्याकरण के सभी विषय सामयिक प्रचलित सभी व्याकरणों की अपेक्षा विस्तार के साथ लिखे गये हैं तथापि विभक्तियों के प्रयोग, वाक्यरचना, कृदन्त, समास, तद्धित आदि के प्रकरण कुछ बढ़ा करके लिखे गये हैं। इसमें प्रत्येक विषय के नीचे अभ्यास दिये हुए हैं। यदि अध्यापक अभ्यासगत प्रश्नों को लड़कों से पूछें और उनसे उचित उत्तर पाने की चेष्टा करें तो प्रत्येक विषय का सहज में ही बोध होना बहुत सम्भव है। अध्ययनशील विद्यार्थी भी स्वय यह काम कर सकता है। इसके छन्दप्रकरण में प्राय प्रचलित सब प्रकार के सोदाहरण छन्द आ गये हैं, इसमें जहाँ कहीं मुख्यत मत भेद है वहाँ भिन्न २ व्याकरणों के मत उद्धृत कर दिये गये हैं। उदाहरणवाले अधिकाश वाक्य भी हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वानों के ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं।

हिन्दी शब्दों के साधुत्व में बड़ी गड़बड़ है। एक व्याकरण में 'बनावट' शब्द कृदन्त और तद्धित दोनों के उदाहरण में है और दोनों में 'वट' प्रत्यय से ही बनाया गया है। यदि बनाना धातु से 'वट' प्रत्यय करके यह शब्द बनाया जाय तो कृदन्त हो सकता है पर तद्धितान्त नहीं। क्योंकि 'बना'

कोई वैसा व्यवहृत शब्द नहीं जिससे 'वट' प्रत्यय कर के तद्धितान्त शब्द बनाया जा सके। पर तद्धितान्त बनाने के लिये कोई २ वैयाकरण 'बनाव' शब्द से 'ट' प्रत्यय करते हैं। कितने वैयाकरण कसेरा, सुनार आदि शब्दों को कास्यकार स्वर्णकार आदि के अपभ्रंश मानते हैं और कितने काँसा और सोना शब्द से 'रा' और 'र' प्रत्यय कर के तद्धितान्त शब्द बनाते हैं। ऐसे मत भेद बहुल विषयों में मैंने प्राचीनों का ही यथानुसरण किया है।

मैंने इस पुस्तक के लिखने के पूर्व आज तक के प्राय सभी छोटे बड़े हिन्दी व्याकरणों को देखा है। कई वर्षों के अपने अनुभव और साधन संग्रह से भी काम लिया है। प० केशव राम भट्ट कृत हिन्दी व्याकरण, भाषाभास्कर, भाषाप्रभाकर, भाषावाक्य पृथक्करण आदि व्याकरणों से मुझे बड़ी सहायता मिली है। अंग्रेजी में लिखे हुए हिन्दी के एक दो व्याकरणों और अंग्रेजी बँगला के भी एक दो व्याकरणों को उपयोग में लाया हूँ। एतदर्थ इन व्याकरणों के लेखकों का मैं बड़ा ही ऋणी हूं।

मुझे जहाँ तक विदित है, अब तक इतना बड़ा हिन्दी का व्याकरण हिन्दी में नहीं निकला है। यह कहना मेरे अधिकार के बाहर की बात है कि यह व्याकरण जैसा आकार में बड़ा है वैसा ही गुण में भी, गुण का विचार अध्यापक मण्डली पर ही निर्भर है। छपने के समय पुस्तक पढ़ कर एक दो विद्वानों ने जो उदार विचार प्रकट किया है उससे विदित होता है कि इसमें कुछ गुण की भी बू-बास है। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि शीघ्रता में इस व्याकरण को सुगम और उत्तम बनाने की यथाशक्य पूरी चेष्टा की गयी है।

पुस्तक के छपाने का काम बड़ी शीघ्रता में हुआ है। इससे कई तरह की त्रुटियों का इसमें रह आना बहुत सम्भव है। साधारण अशुद्धियों के लिये एक छोटा सा संशोधन-पत्र लगा दिया गया है। कुछ त्रुटियों का निराकरण संशोधन-पत्र में नहीं हो सका है। इसके द्वितीय संस्करण में आवश्यक हेर फेर के साथ सारी त्रुटियों को दूर कर देने की पूरी पूरी चेष्टा की जायगी। किमधिक विज्ञेषु।

ग्रन्थमाला-मालाकार-

रामदहिन मिश्र।

द्वितीय संस्करण।

इस संस्करण में पुस्तक का सपरिश्रम संशोधन और यथास्थान परिवर्द्धन और परिवर्तन भी कर दिया गया है। इस वार पुस्तक के सारे दोषों को दूर करने को पूरी २ चेष्टा की गयी है। इत्यलम्।

रामदहिन मिश्र।

———

सूचीपत्र ।

[प्रत्येक विषय के नीचे अभ्यास दिया हुआ है ।]

विषय	पृष्ठाङ्क
क्रिया की दूसरी रूपरचना	८३
क्रिया की तीसरी रूपरचना	८७
कर्म और भावप्रधान क्रिया की रूपरचना	९१
अन्यान्य क्रियायें	९७
अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक बनाना	९८
संयुक्त क्रिया	१०२
नाम धातु	१०५
धातुज धातु	१०६
शाब्दबोध	१०७
क्रियाविशेषण (Adverb)	१०८
क्रियाविशेषण के भेद	१०९
क्रियाविशेषण की रचना	११०
कुछ विशेष क्रियाविशेषण	१११
शाब्दबोध	११२
सम्बन्धसूचक अव्यय (Preposition)	११३
समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunction)	११४
विस्मयादिबोधक अव्यय (Interjection)	११५
शब्द संगठन (Word building)	११५
उपसर्ग (Prefixes)	११६
कृदन्त (Verbal Affixes)	११९

प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण।

परिचय।

"भाषा"[1] उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकाश करता है।

अपने विचार दो[2] प्रकार से प्रकाशित किये जा सकते हैं-एक तो 'बोलकर' और दूसरे 'लिखकर'।

बोलने की भाषा या बोली ध्वनि (आवाज) से बनती है और लिखने की भाषा या लिपि (लिखना) 'अक्षरों' से बनती है।

ध्वनि और अक्षरों से 'शब्द' बनते हैं और दो चार शब्दों (पद और क्रिया) के पूर्णार्थ बोधक होने से 'वाक्य'[3]।

---

१ 'भाषा' शब्द से मतलब यहाँ हिन्दी भाषा से है। क्योंकि भाषा शब्द हिन्दी में रूढ़ समझा गया है इसीसे अन्यान्य बोली जानेवाली अंगरेजी आदि भाषाएँ भाषा होने पर भी केवल भाषा शब्द से नहीं जानी जातीं।

२ संकेत या इशारे से भी अपने विचार प्रकाशित किये जा सकते हैं, जैसे कि गूँगे करते हैं। पर, उनका विचार स्पष्ट प्रकट नहीं होता। इसकी गणना व्याकरण में नहीं है।

३ यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि जिन पदों के जोड़ने से वाक्य बनता है उनमें एक क्रिया रहना जरूरी है और उन पदों में उचित सम्बन्ध, आकांक्षा (परस्पर का लगाव) और आसक्ति (समीप सम्बन्ध) भी आवश्यक है।

व्याकरण के बिना जाने किसी भाषा का शुद्ध २ बोलना या लिखना अच्छी तरह नहीं आ सकता ।

"व्याकरण" उस विद्या को कहते हैं जिसके जानने से भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान होता है ।

हिन्दी भाषा के व्याकरण से हिन्दी का शुद्ध २ लिखना और बोलना आता है ।

व्याकरण के मुख्य तीन[1] विभाग हैं—वर्ण विचार, शब्द-विचार और वाक्य विचार[2] ।

(क) 'वर्ण विचार' में अक्षरों के आकार, उच्चारण और मिलाने की रीति बतायी जाती है ।

(ख) 'शब्दविचार' में शब्दों के भेद, अवस्था और बनावट का वर्णन रहता है ।

(ग) 'वाक्यविचार' में शब्दों से वाक्य बनाने का ढग सिखलाया जाता है ।

अभ्यास ।

भाषा किसे कहते हैं ? अपने विचार दूसरों पर कैसे प्रकाशित किये जा सकते हैं ? व्याकरण किसे कहते हैं ? हिन्दी व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है ? व्याकरण के मुख्य भाग कितने हैं ? वर्ण विचार किसे कहते हैं ? शब्द विचार जानने से क्या लाभ होता है ?

---

१ अँगरेजी में छन्द विचार (Prosody) भी व्याकरण का चौथा भाग माना जाता है, पर संस्कृत में नहीं । हिन्दी व्याकरण में छन्द विचार लिखने की चाल है । पर व्याकरण-भाग में उसकी गणना नहीं होती ।

२ व्याकरण का व्युत्पत्यर्थ "जिससे शब्द सिद्ध किये जायें" यह अर्थ होता है । किन्तु यहाँ व्याकरण शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं है ।

वर्णविचार (Orthography)

'वर्ण' या 'अक्षर' शब्द के उस टुकड़े का नाम है जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे 'धन' का ध्+अ=ध, न्+अ=न विवरण है। इसमें अब ध्, न् या अ का टुकड़ा हो नहीं सकता।

अक्षर दो प्रकार के होते हैं—स्वर या व्यञ्जन। इन्हीं दोनों के समूह या श्रेणी को 'वर्णमाला' कहते हैं। हिन्दी भाषा जिन अक्षरों में लिखी जाती है उन्हें 'देवनागरी' हिन्दी या नागरी कहते हैं।

हिन्दी वर्णमाला में ४४ मूल अक्षर हैं। इसमें ११ स्वर और ३३ व्यञ्जन हैं।

जो अक्षर अपने से अर्थात् बिना सहायता के बोले जा सकते हैं वे 'स्वर' कहे जाते हैं। जैसे अ, इ, उ, इत्यादि।

जो अक्षर स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते अर्थात् जिनके पीछे या आगे स्वर अवश्य होना चाहिये, उन्हें 'व्यञ्जन' कहते हैं। जैसे—क्+अ=क, ध्+अ+य्=धय् इत्यादि। यदि 'क' में से 'अ' निकाल लिया जाय तो केवल 'क' का और 'धय्' में से 'ध' निकाल लेने से स्वरहीन 'य्' का उच्चारण नहीं हो सकता।

व्यञ्जनों का स्पष्ट उच्चारण स्वर के योग से होता है। जो व्यञ्जन स्वरसहित रहते हैं उन्हें 'सस्वर' और जो व्यञ्जन स्वरहीन रहते हैं उन्हें हल् या खण्डित कहते हैं। हल् का चिह्न (्) ऐसा होता है जो अक्षर के साथ रहता है। सब व्यञ्जन हलन्त हैं। हल् व्यञ्जन के आगे कोई स्वर या सस्वर व्यञ्जन हो तो हल् प्राय: उसके साथ मिल जाता है।

वर्णों के आगे "कार" प्रत्यय जोड़ने से खास उसी अक्षर का बोध होता है। जैसे—'अकार' 'मकार' इत्यादि।

वर्ण विचार में प्रधानतः स्वर, व्यञ्जन और सन्धि का विचार होता है।

अभ्यास।

अक्षर किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या है? स्वर और व्यञ्जन की पहचान क्या है? सस्वर और हल् वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण विचार में कौन २ विचार हैं।

स्वर। (Vowels)

हिन्दी में 'मूलस्वर' अ, इ, उ, ऋ चार हैं और 'दीर्घस्वर' आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये सात हैं। इन सात दीर्घ स्वरों में दो दो मात्रायें मिली हुई हैं, इससे इन्हें 'संयुक्त स्वर' और 'सन्ध्यक्षर' भी कहते हैं। जैसे—अ+अ=आ, अ+इ=ए इत्यादि। आ, ई, ऊ इनमें समान स्वर और ए, ऐ, ओ, औ में विभिन्न स्वर हैं। ॠ, ऌ, ॡ इन तीनों स्वरों का हिन्दी में प्राय व्यवहार नहीं होता।

'अ'कार के बोलने में जितना समय लगता है उसे ही 'मात्रा' कहते हैं। मात्रा का अर्थ परिमाण (अन्दाजा) है।

जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा होवे उसे 'ह्रस्व' या 'एकमात्रिक' कहते हैं। जैसे, अ, इ, उ, ऋ।

जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का दूना काल लगे उसे 'द्विमात्रिक' या दीर्घ कहते हैं। जैसे, आ, ई, ऊ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ।

जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व के उच्चारण से तिगुना काल लगे उसे 'त्रिमात्रिक' वा 'प्लुत' कहते हैं। हिन्दी में इसका व्यवहार बहुत कम होता है। चिल्लाने या पुकारने में प्लुत बोला जाता है। जैसे, बाप रे बाप! मोहना रे!

जब स्वर व्यञ्जनों में मिलाये जाते हैं तब उनके असली रूपों का लोप हो जाता है और उनके स्थान में भिन्न २ चिह्न बन जाते हैं। अकार के मिलने से व्यञ्जन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनका केवल हल् उड़ जाता है। जैसे—

आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ
ा ि ी ु ू ृ ॄ े ै ो ौ

अभ्यास।

मूल स्वर और दीर्घ स्वर कितने है और सब मिल कर कितने? किन स्वरों का प्राय हिन्दी में प्रयोग नहीं होता? मात्रा किसे कहते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों में क्या भेद है?

व्यञ्जन (Consonants)

सब व्यञ्जन मुख्यत 'स्पर्श', 'अन्तस्थ' और 'ऊष्म' तीन भागों में बँटे हैं। स्पर्श व्यञ्जनों में पाँच वर्ग हैं। 'कवर्ग' आदि के कहने से उस वर्ग के पाँचों वर्णों का बोध होता है। ऐसे ही अन्तस्थ और ऊष्म भी। जैसे—

क ख ग घ ङ—कवर्ग। ⎫
च छ ज झ ञ—चवर्ग। ⎪
ट ठ ड ढ ण—टवर्ग। ⎬ स्पर्श
त थ द ध न—तवर्ग। ⎪
प फ ब भ म—पवर्ग। ⎭
य र ल व —अन्तस्थ
श ष स ह —ऊष्म

व्यञ्जनों के दो भेद और हैं—एक सानुनासिक और दूसरा निरनुनासिक।

मुख और नासिका से जिनका उच्चारण होता है उन्हें

'सानुनासिक' और जो केवल मुख से बोले जाते हैं उन्हें 'निरनुनासिक' कहते हैं।

प्रत्येक वर्ग के पाँचवें वर्ण ङ ञ ण न म सानुनासिक कहाते हैं। सानुनासिक के चिन्ह ँ हैं पर निरनुनासिक का कोई चिन्ह नहीं है।

अनुस्वार, अर्द्धानुस्वार वा चन्द्रबिन्दु और विसर्ग भी एक प्रकार के व्यञ्जन हैं। अनुस्वार (ँ) का उच्चारण प्राय: हल् मकार या नकार के समान और विसर्ग का (:) उच्चारण हकार के समान होता है। जैसे—हंस, दु:ख इत्यादि। इनको कोई २ वैयाकरण स्वर और कोई २ व्यञ्जन मानते हैं। पर यथार्थत: ये दोनों ही नहीं हैं। संस्कृत में अयोगवाद कहलाते हैं।

क्ष त्र ज्ञ ये संयुक्ताक्षर हैं, क्योंकि क्+ष् के संयोग से क्ष, त्+र् के संयोग से त्र, और ज्+ञ् के संयोग से ज्ञ होता है। परन्तु लिखावट में इनकी मिलावट ऐसी होती है कि इनका कुछ भी रूप दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिये कितने लोग इन्हें भी वर्णमाला ही में गिनते हैं।

व्यञ्जनों में 'र' की लिखावट बड़ी विचित्र होती है। जब 'र' उ-ऊ के साथ मिलता है तब उसका रूप 'रु' 'रू' के ऐसा, जब किसी व्यञ्जन के साथ वह मिलता है तब उसका रूप प्र, प्र के ऐसा और जब वह रेफ होकर किसीके साथ मिलता है तब उसका रूप 'सूर्य' ऐसा हो जाता है। कितने मूल अक्षरों के नीचे बिन्दी लगाने से भिन्न भिन्न अक्षर बनते हैं। जैसे, ड़, ढ़, अरबी, फारसी आदि शब्दों के ठीक २ उच्चारण के लिये भी अक्षरों के नीचे बिन्दी लगाते हैं। जैसे, अज़्दहा, तक़दीर, बग़ावत, इन्साफ़। इनका उच्चारण जान लेना चाहिये।

अभ्यास।

व्यञ्जनों के मुख्य कै भेद हैं? वर्ग कितने हैं? अन्तस्थ और ऊष्म वर्ण कौन २ हैं? व्यञ्जनों के दूसरे प्रकार के भेद कौन २ हैं? सानुनासिक वर्ण कौन २ हैं? अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण किन अक्षरों के समान होते हैं? क्ष त्र ज्ञ किन २ अक्षरों के संयोग से बने हैं? 'र' की लिखावट कितने प्रकार की होती है?

संयुक्त व्यञ्जन।

जब दो अक्षरों के बीच में कोई स्वर नहीं रहता तब उनका संयोग होता है। जैसे—लम्बा, थप्पड़ आदि।

हिन्दी भाषा में भी संयुक्ताक्षर बहुत लिखे जाते हैं। बहुधा दो ही अक्षर संयुक्त होते हैं, परन्तु कभी २ तीन अक्षर भी संयुक्त होते हैं। जैसे—चक्र, किन्तु, मन्त्र आदि।

संयोग में जो अक्षर पहले बोले जाते हैं वे पहले और जिनका उच्चारण पीछे होता है उन्हें पीछे लिखते हैं। पहले के अक्षर आधे और अन्त के अक्षर पूरे लिखे जाते हैं। जैसे—प्यास, स्वर, कस्तूरा आदि। कुछ अक्षरों के उत्तरार्द्ध आधे लिखे से जान पड़ते हैं। जैसे—कन्हैया, ब्राह्मण, प्रकाश, मह्रा आदि।

ङ छ ट ठ ड ढ ये छ व्यञ्जन ऐसे हैं जो संयोग के आदि में होने पर भी पूरे ही पूरे लिखे जाते हैं। जैसे—लट्टू, टिड्डी, हड्डा आदि।

सानुनासिक व्यञ्जन अपने ही वर्ग के अक्षरों से युक्त रहते हैं और दूसरे वर्गों के अक्षरों के साथ प्रायः उनका अनुस्वार हो जाता है। जैसे—पङ्कज * चञ्चल, घण्ट, सन्त, सहस्र, परम्पासर, संयम, संहार इत्यादि।

*—एक दो विद्वानों का विचार है कि वर्गों के पञ्चम वर्णों के हिन्दी में प्रयोग करने का कोई वैसा प्रयोजन नहीं है। वे सब जगह अनुस्वार ही से काम चलाना चाहते हैं।

कितने अक्षर संयुक्त होने पर नीचे ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे—छक्का, बच्चा, गफ्फा आदि। कितने अक्षर संयुक्त होने पर संकेत मात्र रह जाते हैं। जैसे—महत्त्व, गद्दा, जर्दा, अनुग्रह, वक्र, वक्त आदि। कितने अक्षर संयुक्त होने पर भी विकल्प से लिखे जाते हैं। जैसे—खन्ना, इल्ला, इल्ला, रत्ती, रन्ती, आदि।

अभ्यास।

अक्षरों का संयोग कब होता है? तीन संयुक्त अक्षरवाले चार शब्द कहो। ऐसे तीन शब्द बनाओ जिनमें ड, ठ ढ ये अक्षर संयुक्त हों। सानुनासिक वर्ण कब कैसे लिखे जाते हैं? कौन २ से अक्षर संयुक्त होने पर भिन्न २ आकार के हो जाते हैं।

उच्चारण-स्थान।

मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसी भाग को उस अक्षर का उच्चारण स्थान कहते हैं।

अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ है, इससे ये कण्ठ्य कहाते हैं।

इ, ई, चवर्ग, य और श का तालु स्थान है, इससे ये तालव्य हैं। अर्थात् तालु पर जीभ सटाने से ये वर्ण बोले जाते हैं।

ऋ, ॠ, टवर्ग, र और ष * का मूर्धा स्थान है अर्थात् तालु से भी ऊपर जीभ सटाने से ये अक्षर बोले जाते हैं। इससे ये मूर्धन्य कहाते हैं।

लृ, तवर्ग, ल और स का स्थान दाँत है। अर्थात् दाँत में जीभ सटाने से ये वर्ण बोले जाते हैं, इससे ये दन्त्य कहाते हैं।

उ, ऊ, पवर्ग ये ओठों से बोले जाते हैं, इससे ओष्ठ्य

* ड ढ का उच्चारण नीचे बिन्दी देने से बदल जाता है। ड़ ढ़ का उच्चारण जीभ उलट कर तालु से भी ऊपर जीभ लगाने से होता है।

कहाते हैं। ए, ऐ के उच्चारण स्थान कण्ठ और तालु तथा ओ औ के उच्चारण-स्थान कण्ठ और ओष्ठ हैं, इसलिये ये क्रमश कण्ठतालव्य और कण्ठोष्ठ्य कहाते हैं।

व दाँत और ओठ से बोला जाता है, इससे यह दन्तोष्ठ्य कहाता है।

ङ, ञ, ण, न, म, ये अपने २ वर्गों के उच्चारण स्थान से और नासिका से भी बोले जाते है। अनुस्वार का भी नासिका से ही उच्चारण होता है, इससे ये सब सानुनासिक कहे जाते हैं।

अभ्यास।

उच्चारण-स्थान से क्या मतलब है? कवर्ग चवर्ग आदि से क्या समझते हो? ए ऐ और ओ औ के उच्चारण स्थान क्या हैं? नासिका से कौन २ अक्षर बोले जाते हैं? कण्ठ्य तालव्य, मूर्द्धन्य, दन्त्य ओष्ठ्य कण्ठोष्ठ्य से क्या समझते हो?

सन्धि-विचार।

हिन्दी भाषा में संस्कृत के ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जिनमें सन्धि रहती है। ऐसे शब्दों के अर्थ और उनकी बनावट जानने के लिये सन्धिज्ञान होना बहुत आवश्यक है।

दो अक्षरों की, स्वर हों चाहे व्यञ्जन, मिलावट को सन्धि कहते हैं। सन्धि में कहीं २ दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कहीं २ एक ही में कहीं २ दोनों के बदले एक तीसरा ही अक्षर हो जाता है।

सन्धि तीन प्रकार की होती है—स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि और विसर्गसन्धि।

स्वरसन्धि।

स्वर के साथ जो स्वर का विकार होता है उसे स्वर-सन्धि कहते हैं।

स्वरसन्धि के पाँच भाग होते हैं—दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि चतुष्टय।

दीर्घ।

जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ ऋ के बाद क्रम से ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ आवें तो दोनों मिल कर उसी क्रम से दीर्घ आ, ई, ऊ ॠ हो जाते हैं, जैसे, परम + अर्थ = परमार्थ, पुस्तक + आलय = पुस्तकालय, विद्या + अर्थी = विद्यार्थी, विद्या + आलय = विद्यालय, गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र, विधु + उदय = विधूदय और मातृ + ऋण = मातॄण इत्यादि।

गुण।

ह्रस्व या दीर्घ अकार के बाद ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ रहे तो ह्रस्व या दीर्घ अ + इ मिल कर ए, अ + उ मिल कर ओ, और अ + ऋ मिल कर अर् गुण हो जाता है। जैसे, गज + इन्द्र = गजेन्द्र, परम + ईश्वर = परमेश्वर, महा + इन्द्र = महेन्द्र। महा + ईश्वर = महेश्वर। धर्म + उपदेश = धर्मोपदेश। महा + ऋषि = महर्षि। परम + ऋद्धि = परमर्द्धि इत्यादि।

वृद्धि।

यदि ह्रस्व या दीर्घ अकार से परे ए या ऐ, ओ या औ रहे तो अ + ए या ऐ मिल कर ऐ और अ + ओ या औ मिल कर औ वृद्धि हो जाती है। जैसे, एक + एक = ऐकेक। परम + ऐश्वर्य्य = परमैश्वर्य्य। तथा + एव = तथैव। महा + ऐश्वर्य्य = महैश्वर्य्य। शुद्ध + ओदन = शुद्धौदन। गङ्गा + ओघ = गङ्गौघ। महा + ओषधि = महौषधि इत्यादि।

यण।

ह्रस्व या दीर्घ इकार, उकार, ऋकार से परे किसी भिन्न स्वर के रहने पर इ, उ, ऋ के क्रमश य, व, र हो जाते हैं और आगे

के स्वर से मिल जाते हैं। जैसे, यदि+अपि=यद्यपि, प्रति+उपकार=प्रत्युपकार, प्रति+एक=प्रत्येक, पार्वती+आराधन=पार्वत्याराधन; अनु+अय=अन्वय, बहु+ऐश्वर्य्य=बह्वैश्वर्य्य, पितृ+अर्थ=पित्रर्थ, मातृ+आनन्द=मात्रानन्द, इत्यादि।

अयादि।

अकारादि स्वर परे रहने पर ए का अय्, ओ का अव्, ऐ का आय्, और औ का आव् होता है। जैसे—ने+अन=नयन, पो+अन=पवन, नै+अक=नायक, पौ+अक=पावक, सन्धि में आगे के स्वर या स्वरान्त व्यञ्जन से हलन्त अक्षर मिल जाते हैं।

अभ्यास।

स्वरसन्धि किसे कहते हैं। यह कितने प्रकार का है? प्रत्येक प्रकार के दो दो उदाहरण बताओ। नीचे लिखे वाक्यों में कहाँ कहाँ कौन सन्धि हुई है और उनके नियम क्या हैं?

महात्मा प्रत्युपकार होते हैं। महेश दयालु हैं। प्रत्येक मनुष्य को हितोपदेश में परमानन्द लाभ करना चाहिये।

व्यञ्जन-सन्धि

स्वर अथवा व्यञ्जन के साथ व्यञ्जन का जो संयोग होता है उसे व्यञ्जन-सन्धि कहते हैं।

संस्कृत व्याकरण में व्यञ्जन सन्धि का बहुत विचार है। पर, हिन्दी में जानने योग्य जो आवश्यक नियम हैं वे लिखे जाते हैं।

यदि त् और द् के आगे च वा छ हों तो उनके स्थान में च्, ज वा झ हों तो ज्, ट वा ठ हों तो ट्, ड वा ढ हों तो ड् आदेश होते हैं। जैसे—उत्+चारण=उच्चारण, उत्+छिन्न=

उच्छिन्न, उत्+ज्वल=उज्ज्वल, विपद्+जाल=विपज्जाल, तत्+टीका=तट्टीका, उत्+डयन= उड्डयन इत्यादि।

यदि पद के अन्त में त् वा द् से परे तालव्य-श हो तो त् द् के स्थान में च् और श के स्थान में छ और यदि पदान्त में त् वा द् से परे ह हो तो त् द् के स्थान में द् और ह का ध होता है। जैसे, उत्+शिष्ट=उच्छिष्ट, तद्+शरीर= तच्छरीर, उत्+हार=उद्धार, तद्+हित=तद्धित, उत्+ हत=उद्धत इत्यादि।

यदि स्वर वर्ण वा वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण अथवा य, र, ल, व, आगे रहें तो पद के अन्तस्थित क्, च्, ट्, प्, के स्थान में क्रमश ग्, ज्, ड्, व् हो जाते हैं। जैसे, दिक्+ अम्बर=दिगम्बर, दिग्+गज=दिग्गज, वाक्+जाल= वाग्जाल, वाक्+दान=वाग्दान, दिक्+भाग=दिग्भाग वाक्+रोध=वाग्रोध, धिक्+याचना=धिग्याचना, दिक्+ हस्ती=दिग्हस्ती, अच्+अन्त=अजन्त, षट्+दर्शन=षड् दर्शन, षट्+रिपु=षड्रिपु, अप्+ज=अब्ज इत्यादि।

यदि स्वरवर्ण अथवा ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व, परे हों तो पदान्त त् के स्थान में द् होता है। जैसे जगत्+ईश=जग दीश, सत्+आचार=सदाचार, उत्+गमन=उद्गमन, उत्+ घाटन=उद्घाटन, तत्+धन=तद्धन जगत्+बन्धु=जगद्बन्धु सत्+वश=सद्वश उत्+योग=उद्योग इत्यादि।

यदि पदान्द म् के परे स्पर्श वर्ण हों तो म् का अनुस्वार अथवा जिस वर्ग का वर्ण आगे हो उसीका पञ्चम वर्ण हो जाता है। और यदि अन्तस्थ और ऊष्म वर्ण परे हों तो म् का केवल अनुस्वार ही हो जाता है। जैसे, सम्+कल्प=संकल्प, सङ्कल्प, मृत्यु+जय=मृत्युञ्जय, मृत्युंजय, सम्+धि=संधि,

नन्धि, सम्+गम=सङ्गम सगम, सम्+योग=संयोग, सम्+वत्=संवत् इत्यादि। स्वर पर रहने से म् स्वर में मेल जाता है। जैसे सम्+आचार समाचार इत्यादि।

वर्गों के प्रथम वर्ण के आगे सानुनासिक वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का सानुनासिक वर्ण होगा। जैसे, वाक्+मय=वाङ्मय, जगत्+नाथ=जगन्नाथ, दिक्+नाग=दिङ्नाग, उत्+मत्त=उन्मत्त इत्यादि।

ह्रस्व स्वर के परे छ होवे तो छ के साथ च् मिल जाता है। दीर्घ स्वर के आगे कहीं होता है और कहीं नहीं। जैसे परि+छद=परिच्छद, वृक्ष+छाया=वृक्षच्छाया, लक्ष्मी+छाया=लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया इत्यादि।

यदि च् अथवा ज् के परे दन्त्य न हो तो न के स्थान में ञ हो जाता है। जैसे, याच्+ना=याच्ञा, यज्+न=यज्ञ इत्यादि।

मूर्द्धन्य ष् के आगे त् रहने से त् के स्थान में ट् और थ के स्थान में ठ होता है। जैसे, आकृष्+त=आकृष्ट, उत्कृष्+त=उत्कृष्ट, षष्+थ=षष्ठ इत्यादि।

यदि त् द् और न् के आगे ल रहे तो उनके स्थान में ल हो जाता है और न के स्थान में अनुस्वार भी होता है। जैसे, उत्+लेख=उल्लेख, उत्+लंघन=उल्लंघन, तद्+लीला=तल्लीला, महान्+लाभ=महाँल्लाभ इत्यादि।

अभ्यास।

नीचे लिखे पदों में सन्धि करो और उनके नियम बताओ—वाक्+ईश, परि+..., प्राक्+मुख, अप्+भाग, तत्+गत, सत्+शास्त्र, सत्+जाति, सम्+गम, ...+अथ, सम्+लाप सम्+हार, सत्+चिदानन्द, चित्+मय।

विसर्गसन्धि।

स्वर और व्यञ्जन के साथ मिलने पर विसर्ग का जो विकार होता है उसे विसर्गसन्धि कहते हैं।

यदि विसर्ग के आगे च वा छ हो तो विसर्ग का तालव्य श यदि उसके आगे, त थ वा स हो तो दन्त्य स और यदि ट वा ठ परे हो तो मूर्द्धन्य ष होता है। जैसे, निः + चय=निश्चय, निः + चिन्त = निश्चिन्त, निः + छल = निश्छल, धनुः + टकार = धनुष्टङ्कार, दुः + तर = दुस्तर, निः + सार = निस्सार इत्यादि।

यदि विसर्ग से परे क वा ख, प वा फ हो और उसके पहले इ उ रहे तो प्रायः विसर्ग का मूर्द्धन्य ष हो जाता है और स्थानों में विसर्ग ही बना रहता है। जैसे, निः + फल = निष्फल, निः + कारण = निष्कारण, निः + पाप = निष्पाप, दुः + कर = दुष्कर हो जाता है इत्यादि।

यदि वर्ग का तीसरा, चौथा वा पाँचवां अथवा य, र, ल, व, ह आगे हो और पूर्व में अकार हो तो विसर्ग सहित अ के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे, मनः + हर = मनोहर, मनः + रथ = मनोरथ तेजः + मय = तेजोमय, सरः + ज = सरोज, पयः + द = पयोद, मनः + योग = मनोयोग, मनः + भाव = मनोभाव इत्यादि।

यदि अकार पूर्वक विसर्ग के परे अकार हो तो तीनों मिल कर ओकार हो जाता है और यदि परे अभिन्न कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे, मनः + अवधान = मनोऽवधान, यशः + अभिलाषी = यशोऽभिलाषी, तेजः + आभास, तेज आभास, यशः + इच्छा, यश इच्छा इत्यादि।

यदि विसर्ग के पूर्व अ आ छोड़ कर कोई दूसरा स्वर हो और आगे स्वरवर्ण वा वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम वर्ण अथवा

च, छ, श, ष, स हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे, निः + धन = निर्धन, बहिः + देश = बहिर्देश, दुः + नीति = दुर्नीति, बहिः + योग = बहिर्योग, निः + आधार = निराधार, निः + उद्देश = निरुद्देश इत्यादि। कहीं २ आकार-पूर्वक विसर्ग का भी र् हो जाता है। जैसे, पुनः + अपि = पुनरपि इत्यादि।

र् के परे र हो तो पूर्व र का लोप हो जाता है और उसके पूर्व के स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे, पुनर् + रचना = पुनारचना, निर् + रोग = नीरोग, निर् + रस = नीरस इत्यादि।

अभ्यास।

नीचे लिखे हुए शब्दों में सन्धिविच्छेद करो—

निष्काम, निस्तार, मनोनीत निर्बल, निर्मल, नीरज, निरुपाय, दुश्चल निश्शरण्य, दुर्विवाद, यशोविजय, मनोगत इत्यादि।

शब्द-विचार। (Etymology)

कान से जो सुन पड़े उसे शब्द कहते हैं।

शब्द दो प्रकार के हैं—'सार्थक' और 'निरर्थक'। जिस का कुछ अर्थ होता है वह सार्थक और जिसका कुछ अर्थ नहीं होता वह निरर्थक है। सार्थक शब्द राम, नाम आदि हैं, और निरर्थक आँय बाँय आदि। व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही वर्णन रहता है।

हिन्दी में व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम—राजा, भ्राता आदि, तद्भव—राम, भाई आदि, देशज—पनडुब्बी, पैनी, विदेशज—रेल, किरानी, रोज इत्यादि।

शब्द धातु और प्रत्ययों से बनते हैं।

अर्थ भी दो प्रकार के हैं—'वाच्य' और 'लक्ष्य'। जिस शब्द का जो अर्थ नियत है यदि उसी अर्थ में वह शब्द बोला जाता है तो वह अर्थ 'वाच्य' कहलाता है। जैसे, सिंह एक जानवर है। यहाँ सिंह शब्द अपने नियत अर्थ में आया है, इससे यह वाच्य अर्थ हुआ।

जब शब्द का नियत अर्थ बोध न हो बल्कि उसके गुण का बोध हो तब वह अर्थ 'लक्ष्य' कहा जाता है। जैसे—वह आदमी सिंह है। यहाँ सिंह अपने नियत अर्थ में नहीं आया है। क्योंकि, आदमी कभी चार पैरवाला दुमदार सिंह नहीं हो सकता। यहाँ इस शब्द से यह बोध होता है कि सिंह जिस प्रकार पराक्रमी तथा वीर है वैसा ही वह आदमी भी पराक्रमी तथा वीर है। ऐसा ही अर्थ लक्ष्य कहा जाता है।

शब्द आठ प्रकार के होते हैं। शब्दों के इन आठ प्रकारों को वाक्यखण्ड (Parts of Speech) कहते हैं। वे ये हैं—

* १ संज्ञा, २ विशेषण, ३ सर्वनाम, ४ क्रिया, ५ क्रियाविशेषण, ६ सम्बन्धबोधक अव्यय, ७ समुच्चयबोधक अव्यय और ८ विस्मयादिबोधक अव्यय।

संज्ञा (Noun)—वस्तु मात्र के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे—लड़का, काशी, मोहन, पहाड़, पेड़ आदि।

विशेषण (Adjective)—जो संज्ञाओं के गुण दोष, और

* कितने वैयाकरण सार्थक शब्द के पाँच भेद मानते हैं—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इनके मत में क्रियाविशेषण वगैरह अव्यय ही में शामिल हैं। कितने तीन ही भेद मानते हैं—संज्ञा, क्रिया और अव्यय। इनके मत में सर्वनाम और विशेषण संज्ञा में और क्रियाविशेषण आदि अव्यय में सम्मिलित हैं। अव्यय वह है जिसमें लिङ्ग, वचन के कारण कुछ विकार न हो। जैसे—ऊपर, नीचे, जब, पर इत्यादि।

संख्या आदि का वर्णन करते हैं, वे विशेषण हैं। जैसे—भला, बुरा, चार, बड़ा, काला इत्यादि।

सर्वनाम (Pronoun) संज्ञाओं के बदले में जिनका प्रयोग किया जाय वे सर्वनाम हैं। जैसे—मोहन अच्छा लड़का है 'उसको' पुस्तक दो। वह, मैं, तू आदि।

क्रिया (Verb)—जिससे किसी बात का करना या होना पाया जाय उसे क्रिया कहते हैं। जैसे—जाता है, खाऊँगा, कर चुका इत्यादि।

क्रिया विशेषण (Adverb)—जो शब्द क्रियाविशेषण अथवा और किसी क्रियाविशेषण के विशेष काल, भाव या रीति को प्रकट करे उसे क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे–'साफ २' लिखो। वह 'अत्यन्त' बुद्धिमान् है। 'बहुत' 'जल्दी' मत करो। कब, यहाँ, ठीक, कुछ इत्यादि।

सम्बन्धबोधक (Preposition)—जो अव्यय वाक्य में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध बताते हैं उन्हें सम्बन्धबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे—भीतर, ऊपर, आगे, पीछे, नीचे, बीच जो इत्यादि।

समुच्चायक (Conjunction)—जो पद और वाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चायक अव्यय कहते है। जैसे—और, किन्तु आदि।

विस्मयादिबोधक (Interjection)—जिनसे बोलनेवाले के मन के आकस्मिक भाव जाने जायँ उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे–ओ हो अरे! हाय हाय!! वाह वाह!!! शाबाश, धन्य धन्य इत्यादि।

अभ्यास।

शब्द किसे कहते हैं? अर्थभेद से और शब्दभेद से शब्द कितने प्रकार के होते

है ? अर्थ कितने प्रकार के हैं ? उनके सोदाहरण लक्षण कहो । आठों प्रकार के शब्दों के लक्षण और उदाहरण बताओ। व्याकरण में अन्न वस्त्र इत्यादि शब्द क्यों नहीं होता ?

संज्ञा (Noun)

कह आये हैं कि संज्ञा वस्तु मात्र के नाम को कहते हैं। वह वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव।

व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञायें तीन प्रकार की होती हैं। रूढ़ि (Primitive) यौगिक (Derivative), और योगरूढ़ि।

रूढ़ि संज्ञा वह है जिसके खण्ड का कुछ अर्थ न हो सके। जैसे, घर। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। यदि घ र, अलग अलग करें तो उनका कुछ अर्थ नहीं हो सकता, वह समूचा एक अर्थ का बोधक है। ऐसी संज्ञायें रूढ़ि कहलाती हैं।

यौगिक संज्ञा वह है जो प्रकृति प्रत्यय अथवा शब्दों के योग से बनी हों। जैसे—बुद्धिमान्, पाठशाला इत्यादि। ये दोनों संज्ञायें बुद्धि+मान् और पाठ+शाला, इनके योग से बनी हैं। इन खण्डों का अलग २ भी अर्थ होता है। ऐसी संज्ञायें योग से बनने के कारण यौगिक कहलाती हैं।

योगरूढ़ि संज्ञा वह कहाती है कि जो यौगिक संज्ञा के समान बनी तो हो, पर सामान्य अर्थ को छोड़ विशेषार्थ को प्रकाश करे। जैसे, पङ्कज। इस शब्द का अर्थ है 'पङ्क से उत्पन्न होने वाला', पर पङ्क से उत्पन्न होनेवाली घासें, सेवार आदि बहुत सी चीजें हैं, किन्तु उनका इस शब्द से बोध नहीं होता। बोध होता है केवल 'कमल' शब्द का। ऐसी संज्ञायें योगरूढ़ि कहलाती हैं।

इन तीनों के संक्षिप्त लक्षण यों भी हो सकते हैं—

जिनके अवयव का कुछ अर्थ न हो वे रूढ़ि, जिनके अव-

यव का कुछ अर्थ हो वे यौगिक और जिनके अवयवार्थ न हो कर विशेषार्थ हों वे योगरूढि संज्ञायें हैं।

अर्थविचार से संज्ञा के पाँच भेद होते हैं,—जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक।

जातिवाचक संज्ञा (Common Noun)—वह है जिससे सामान्यत उसी वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे—मनुष्य, पुस्तक, वृक्ष इत्यादि। यहाँ इनसे किसी खास मनुष्य पुस्तक या वृक्ष का बोध नहीं होता, बल्कि सब के सब मनुष्य आदि का। ऐसी संज्ञायें जातिवाचक कहलाती हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञा (Proper Noun)—वह कहलाती है जिससे किसी खास एक मनुष्य या चीज का बोध होता है। जैसे,—मोहन, श्याम, काशी, हिमालय, भारत, गंगा, भारत समुद्र इत्यादि।

भाववाचक संज्ञा (Abstract Noun)—उसका नाम है जिसके कहने से पदार्थ का धर्म, गुण वा स्वभाव जाना जाता है। जैसे—ऊँचाई, चौडाई, दौड, धूप, मिठास, ठढक, प्रभाव, मेल, सुजनता इत्यादि।

भाववाचक शब्द तीन तरह से बनते हैं। जैसे—विशेषण से—बुद्धिमान, बुद्धिमानी, आलसी, आलस्य आदि। संज्ञा से—मित्र, मित्रता, चोर, चोरी आदि। क्रिया से—शोचना, शोक, मारना, मार आदि।

समुदायवाचक संज्ञा (Collective Noun)—उसे कहते हैं जिससे बहुत से पदार्थों के समूह का बोध हो। जैसे—भीड, मेला, झुंड, फौज इत्यादि।

द्रव्यवाचक संज्ञा (Material Noun)—वह है जिससे

द्रव्यों के नाम का ज्ञान होता है। जैसे—पत्थर, लोहा, चाँदी, सोना, लकडी इत्यादि।

अभ्यास।

संज्ञा किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञायें कितने प्रकार की हैं? उनके नाम और लक्षण बतावो। पाँच प्रकार की संज्ञायें कौन २ हैं? उनके सोदाहरण लक्षण बतावो।

नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं को बतावो और उनके नाम कहो—

लडके पाठशाला जाते हैं। महादेव को प्रणाम करो। पीताम्बर उत्तम कपड़ा है। इंगलैंड एक प्रसिद्ध देश है। झुण्ड के झुण्ड सिपाही जाते हैं। बरसात में नदी के जल की पाट बड़ी हो जाती है। चानी से नमक का आदर बहुत है।

संज्ञा के हेरफेर (Inflections of Nouns)

प्रत्येक संज्ञा के रूप और अर्थ में लिङ्ग (Gender) वचन (Number) और कारक (Case) के कारण कुछ हेरफेर हुआ करता है।

लिङ्ग से संज्ञा का पुँस्त्व और स्त्रीत्व, तथा वचन से एकत्व और अनेकत्व जाना जाता है और कारक से संज्ञा की अवस्था का ज्ञान होता है।

रूप में हेरफेर के कारण कुछ संज्ञायें विकृत हो जाती हैं और कुछ अविकृत, अर्थात् ज्यों की त्यों रह जाती हैं। जैसे—लडका जाता है। लडके ने कहा। राजा गये। राजा ने कहा। इनमें लडका विकृत है और राजा अविकृत। क्योंकि विभक्ति आने के कारण 'लडका' शब्द के आकार का एकार हो गया है और 'राजा' का आकार ज्यों का त्यों रह गया है। अविकृत शब्द नीचे लिखे जाते हैं.—

(क) संस्कृत के अन् प्रत्ययान्त और ऋकारान्त शब्द से बने हुए प्रथमान्त एकवचन के रूप। जैसे,—राजन्-राजा,

आत्मन् आत्मा, ब्रह्मन् ब्रह्मा, पितृ-पिता, मातृ-माता, भ्रातृ-भ्राता, युवन्-युवा, इत्यादि।

(ख) संस्कृत की आ प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञायें। जैसे-पूजा, माला, रमा, क्षमा, कान्ता, कृपा, आज्ञा, लता, ललना इत्यादि।

(ग) फारसी अरबी के शब्द। जैसे—दुलहा, खफा, खुदा, जुदा, पैदा, बला, हवा, दवा, वफा, सजा, कजा, वगैरह। जरा, अदना, आला वगैरह में हेरफेर होता है और नहीं भी होता।

(घ) सम्बन्धवाचक आकारान्त शब्द। जैसे—काका, चाचा, नाना, बाबा, दादा आदि।

(ङ) व्यक्तिवाचक और स्थानवाचक आकारान्त शब्द। जैसे—मोहना, महँगुआ, घरिछना और एशिया, आफ्रिका, अमेरिका, गया आदि। कई एक नगरवाचक आकारान्त शब्द विकल्प से विकृत और अविकृत होते हैं। जैसे—पटने से आता हूँ। पटना से आता हूँ। कलकत्ते में, कलकत्ता में इत्यादि*।

(च) एकारान्त, ओकारान्त, अकारान्त शब्द भी विकृत और अविकृत दोनों हैं। जैसे, चौबे, कोदो, बात आदि। इनके अतिरिक्त प्रायः सब संज्ञायें विकृत हैं।

अभ्यास।

संज्ञा में हेरफेर किस २ कारण से होते हैं? संस्कृत में किस प्रकार के बने हुए आकारान्त शब्द अविकृत हैं। लिङ्ग, वचन और कारक से क्या प्रयोजन है? फारसी

---

* कई एक नगरवाचक आकारान्त शब्द विकल्प में विकृत और अविकृत होते हैं। जैसे, पटने से आता हूँ। पटना से आता हूँ। कलकत्ते में, कलकत्ता में इत्यादि।

ठाकुर	ठकुराइन	पण्डा	पण्डाइन
पाठक	पठकाइन	तेवारी	तेवराइन

कुछ शब्दों में आनी प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिङ्ग बनाते हैं। जैसेः—

पुलिङ्ग।	स्त्रीलिङ्ग।	पुलिङ्ग।	स्त्रीलिङ्ग।
खतरी	खतरानी	जेठ	जेठानी
मेहतर	मेहतरानी	मामा	ममानी
देवर	देवरानी	गुरु	गुरुआनी

बहुतेरे पुलिङ्ग शब्दों के स्त्रीलिङ्ग शब्द दूसरे ही होते हैं। जैसे.—

पुलिङ्ग।	स्त्रीलिङ्ग।	पुलिङ्ग।	स्त्रीलिङ्ग।
पिता	माता	पुरुष	स्त्री
बैल	गाय	राजा	रानी
भाई	भाभी	बेटा	बहू, पतोहू
ससुर	सास	साहेब	बीबी

ऊपर जो नियम लिखे गये हैं वे सामान्य रूप से हैं न कि विशेष रूप से। क्योंकि उनके विपरीत भी प्राय स्त्रीलिङ्ग रूप होते हैं। जैसे—प्रिय, प्रिया। ऊँट, ऊँटिन। बाघ, बाघिन। बछड़ा, बछिया। दुलहा, दुलहिन। फकीर, फकीरिन। हाथी, हाथिनी। बहनोई, बहन। नन्दोई, ननद। दामाद, बेटी। भैंसा-भैंस। रॉड-रंडा इत्यादि।

बहुतेरी संज्ञाओं के केवल पुलिङ्ग ही रूप होते हैं। जैसे —कौआ, काग, झिंगुर, चीता, चमगादड़, पिल्लू, झिंगा आदि।

बहुतेरी संज्ञाओं के केवल स्त्रीलिङ्ग ही रूप होते हैं। जैसे —

चील, मैना, भेड़, मकड़ी, मक्खी कोयल, जूँ इत्यादि।

प्राणिवाचक शब्दों के स्त्रीलिङ्ग रूप जानने के लिये प्राय व्यवहार और प्रचलन पर ही ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि नियम से सिद्ध किये गये रूपों के विपरीत भी अन्यान्य रूप बोले जाते हैं। ऐसी जगह व्याकरण को हार माननी पड़ती है और बोल चाल के शब्द ही प्रबल होते जाते हैं। जैसे,--लोग 'लोहारिन' को 'लोहइन' भी बोलते हैं।

अप्राणिवाचक सज्ञाओं का लिङ्ग भेद।

आकारान्त सज्ञायें प्राय पुल्लिङ्ग होती हैं, पर इसके अप वाद रूप से कुछ शब्द स्त्रीलिङ्ग भी होते हैं। जैसे--

पुल्लिङ्ग।		अपवाद स्त्रीलिङ्ग।	
सोना	तकिया	आत्मा	दवा
शीशा	पहिया	महिमा	हवा
मजा	घोडा	अँगिया	दुनिया
नफा	बेटा	डिबिया	सजा
लोहा	तोता	चिड़िया	बला
बुढापा	ओसारा	नरिया	पिढ़िया
इत्यादि		इत्यादि	

तकारान्त सज्ञायें प्राय स्त्रीलिङ्ग होती हैं, पर अपवादरूप से कुछ सज्ञाओं का पुल्लिङ्ग व्यवहार भी होता है। जैसे —

स्त्रीलिङ्ग।	अपवाद पुल्लिङ्ग।
रात, लात	भात, सौगात
बात, छत	सूत, दाँत
गत, वाँत	गात, गोत
नीयत, पत	दस्तखत, शर्बत
इत्यादि	इत्यादि

दीर्घ ईकारान्त संज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिङ्ग होती हैं। पर कुछ अपवाद रूप से पुल्लिङ्ग भी हैं। जैसे —

स्त्रीलिङ्ग।	अपवाद पुल्लिङ्ग।
नदी, चीठी	पानी, मोती
रोटी, टोपी	घी, दही
नदी, नवेली	जी, चीनी
कुर्सी, डिफ्अरी	मोती, हाथी
इत्यादि	इत्यादि

ईकारान्त पुरुषवाची शब्द पुल्लिङ्ग ही बोले जाते हैं। जैसे—तेली, नाई, तमोली, खत्री, भाई, मोदी, बढई, किरानी, साँई, इत्यादि।

संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रीलिङ्ग न होने पर भी हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग व्यवहृत हैं। जैसे—ऋतु, राशि, विधि, वस्तु, किरण, वायु, जय, पुस्तक, मृत्यु, वनस्पति, कालिमा, उपाधि, बलि, आयु, इन्द्रिय, शपथ, गन्ध, देह, तान, तरङ्ग, समाधि आदि।

जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में आई, वट, हट आदि रहें वे सब शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं। जैसे—भलाई, चतुराई, बुराई, बनावट, सजावट, चिकनाहट, चिल्लाहट आदि।

भाववाचक नकारान्त और सकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—रहन-सहन, चाल चलन, कतरन, मिठास, प्यास, बकवास इत्यादि।

आब् भागान्त संज्ञायें प्रायः पुलिंग होती हैं। जैसे—गुलाब, जुलाब, पेशाब, हिसाब, इत्यादि। अपवाद—शराब, किताब, मिहराब ये स्त्रीलिङ्ग हैं।

कुछ भाववाचक शब्द भी स्त्रीलिङ्ग होते हैं। जैसे, चमक, हलचल, धूमधाम, पकड आदि।

कुछ शब्द स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग दोनों बोले जाते हैं। जैसे,—कुशल, पवन, समाज, सामर्थ्य, विजय, आय, अग्नि, फिक्र, बाहु, औषधि, साँस इत्यादि।

जिस शब्द के लिङ्ग में सन्देह हो उसे पुलिङ्ग व्यवहार करना चाहिये।

अभ्यास।

लिंग और जाति किसे कहते हैं? इनके कितने भेद हैं? जीवधारियों के नामों के लिंग पहचानने की क्या रीति है? हिन्दी में संस्कृत शब्दों के लिंग कैसे जाने जाते हैं? स्त्रीलिंग बनाने के कितने प्रत्यय हैं? प्रत्येक के नाम उदाहरण सहित बताओ। जिन संज्ञाओं के केवल स्त्रीलिंग और पुलिंग ही रूप होते हैं उनके नाम लो। हिन्दी में जिनके भिन्न २ पुलिंग और स्त्रीलिंग रूप होते हैं वे संज्ञायें कौन कौन हैं पाँच आकारान्त पाँच तकारान्त और पाँच ईकारान्त पुलिंग शब्द कहो। कौन कौन सी संज्ञायें पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में व्यवहृत होती हैं? संस्कृत की दस ऐसी संज्ञाओं के नाम लो जो हिन्दी में स्त्रीलिंग व्यवहृत होती हैं? कौन कौन सी संज्ञायें दोनों लिंगों में व्यवहृत होती हैं? चेला नगर, अहीर, बहनोई, भाई, पण्डित इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाओ। मक्खी, गाय, नारी, बुढ़िया, पडाइन, इन शब्दों के पुलिंग शब्द बताओ। मोमबत्ती, आवश्यकता, दया, व्यायाम, फोड़ा, गन्ध भात मचिया खटिया, चिराग, दीवाल इन शब्दों के लिंग बताओ।

वचन (Number)

जिसके द्वारा शब्द की संख्या मालूम हो वह वचन है। हिन्दी में वचन दो ही हैं—एकवचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक ही पदार्थ का बोध हो वह एकवचन और जिससे एक से अधिक का ज्ञान हो वह बहुवचन है। जैसे—लडका जाता है। लडके जाते हैं। पहले वाक्य में लडका एकवचन और दूसरे में बहुवचन है।

जहाँ किसी खास संख्या से मतलब होता है वहाँ नम्बाची संख्या ही को रखते हैं। जैसे—दो लड़के जाते हैं। चार लड़के आये। इनमें 'दो' 'चार' संख्या बोधक शब्द ही रख दिये गये हैं।

आदर के लिये और अपने लिये एकवचन के स्थान पर भी बहुवचन रख सकते हैं। जैसे—गुरु जी आये। हम गये।

किसी किसी शब्द के एकवचन और बहुवचन दोनों में एक से रूप होते हैं। वहाँ बहुवचन बोध करने के लिये 'लोग' गण' 'सब' इत्यादि शब्द लगा देते हैं। जैसे—विद्यार्थी आया। विद्यार्थी आये। दूसरे वाक्य के स्थान पर 'विद्यार्थी सब आये' ऐसा भी बहुवचन बोध के लिये बोलते हैं। किन्तु ऐसी जगह, बिना इन शब्दों के जोड़े भी क्रिया से ही बहुवचन का बोध हो सकता है।

जातिवाचक शब्दों के बहुवचन में भी एकवचन का प्रयोग होता है। जैसे, कुत्ता स्वामिभक्त होता है। यदि कुत्ते स्वामिभक्त होते हैं, ऐसा भी कहें तो कोई हर्ज नहीं है।

अब बहुवचन बनाने के लिये कुछ नियम लिखे जाते हैं —

(क) अकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञाओं को छोड़ बाकी जितनी पुल्लिङ्ग संज्ञायें होती हैं उनके निर्विभक्तिक कर्ता के रूप एकवचन और बहुवचन में एक समान ही होते हैं।

(ख) आकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञाओं का अन्तिम "आ" कर्ता कारक के बहुवचन में "ए" हो जाता है। जैसे—घोड़ा, घोड़े, अण्डा, अण्डे इत्यादि।

(ग) अकारान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं के अन्तिम 'अ' को 'एँ' कर देने से निर्विभक्तिक कर्त्ताकारक के बहुवचन के रूप

बन जाते हैं। जैसे—बात, बातें; घात, घातें, भीड, भीडें इत्यादि।

(घ) आकारान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं के अन्त में 'यें' अथवा 'ए' जोड देने से निर्विभक्तिक कर्ता के बहुवचन के रूप बन जाते हैं। जैसे—सभा, सभायें, लता, लताएँ, माला मालाएँ इत्यादि।

(ङ) इकारान्त और ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं के अन्त में 'याँ' जोड देने और दीर्घ ईकार को ह्रस्व इकार कर देने से निर्विभक्तिक कर्ता के रूप बन जाते हैं। जैसे—मति, मतियाँ नदी, नदियाँ इत्यादि।

(च) उकारान्त, ऊकारान्त, ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ताकारक के एकवचन और बहुवचन में एक समान ही रूप होते हैं। जैसे—वहू, वहू, सरसो, सरसो। कितने ह्रस्व उकारान्त शब्दों में 'यें' जोडते हैं। जैसे—ऋतु, ऋतुयें इत्यादि।

सविभक्तिक संज्ञाओं के बहुवचन बनाने में नीचे लिखे परिवर्तन होते हैं। जैसे—

(क) अकारान्त संज्ञाओं के दोनों लिङ्गों में 'अ' को 'ओं' करने से। जैसे—नर, नरों ने, नरों को, नरों से। बात, बातों ने, बातों को, बातों से इत्यादि।

(ख) आकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञाओं के 'आ' को 'ओं' करने से। जैसे—लडका, लडकों ने, लडकों से इत्यादि।

(ग) आकारान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं के साथ 'ओं' जोडने से। जैसे—माला, मालाओं ने, मालाओं को, मालाओं से इ०।

(घ) इकारान्त और ईकारान्त संज्ञाओं के दोनों लिङ्गों में 'यों' जोडने और दीर्घ ईकार को ह्रस्व करने से। जैसे—

पुल्लिङ्ग।	स्त्रीलिङ्ग।
पति, पतियों ने पतियों को।	मति, मतियों ने, मतियों को।
माली, मालियों ने, मालियों को।	नदी, नदियों ने, नदियों को।

(ड) उकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त और ओकारान्त संज्ञाओं के दोनों लिङ्गों में 'ओं' जोड़ने और दीर्घ ऊकार को ह्रस्व करने से। जैसे—

पुल्लिङ्ग।	स्त्रीलिङ्ग।
साधु, साधुओं ने साधुओं को,	ऋतु, ऋतुओं ने, ऋतुओं को,
डाकू, डाकुओं ने, डाकुओं को,	बहू, बहुओं ने, बहुओं को
पांडे, पांडेओं ने, पांडेओं को,	एकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द नहीं है।
कोदो, कोदोओं ने, कोदोओं को,	सरसों, सरसोंओं ने, सरसोंओं से।

सम्बोधन में संज्ञाओं के बहुवचन में पूर्वोक्त नियमानुसार अन्तिम स्वर का 'ओ' होता है और 'ओ' तथा 'यो' जोड़ा जाता है। जैसे—हे नरो, हे लड़को, हे मालियो, हे बहुओ इत्यादि।

आप और कोई शब्द का बहुवचन नहीं होता। पर संज्ञा के तौर पर निज सूचक होकर आवे तो उसका बहुवचन आकारान्त शब्द के ऐसा हो सकता है। जैसे—'अपनों' से हुआ यह कुछ येगानों से क्या होता।

अभ्यास।

वचन किसे कहते है? वचन से क्या मालूम होता है? द्विवचन का बोध कैसे किया जाता है? कहाँ२ एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग होता है? बहुवचन बोधक शब्द कौन २ हैं? आकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञाओं के बहुवचन कैसे बनते हैं? निर्विभक्तिक आकारान्त, ईकारान्त और उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के बहुवचन कैसे बनते हैं? विभक्ति आने पर पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग शब्दों के बहुवचन बनने में क्या क्या हेरफेर होते हैं।

कारक (Case)

कारक उसे कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में विशेषत क्रिया और सामान्यत अन्यान्य संज्ञाओं के साथ संज्ञाओं का ठीक २ सम्बन्ध सूचित होता है।

*हिन्दी भाषा में कारक आठ माने जाते हैं—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन।

कर्ता (Nominative) उसे कहते हैं जो क्रिया के व्यापार को करे। जैसे—लड़का हँसता है। लड़की रोती है। इन वाक्यों में लड़का हँसने का और लड़की रोने का काम करती है, इससे ये कर्ता हुए।

क्रिया के लिङ्ग, वचन जिस कर्ता के अनुसार होते हैं वह उक्त या प्रधान कहलाता है। जैसे—ऊपर के दोनों वाक्यों में 'रोता है' 'रोती है' ये दोनों पुलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग क्रियायें लड़का और लड़की के अनुसार आयी हैं। इससे ये दोनों कर्ता उक्त और प्रधान हुए।

वाक्य में अप्रधान रूप से भी कर्ता आते हैं। जैसे—राम ने रोटी खाई। स्त्री ने नौकर से काम कराये। इन दोनों वाक्यों में 'खायी' और 'कराये' ये दोनों क्रियायें 'राम' और 'स्त्री' के अनुसार नहीं हैं। इससे इन दोनों वाक्यों के कर्ता अनुक्त या अप्रधान कहे जाते हैं। ये क्रियायें कर्म के अनुसार हैं, इससे इन वाक्यों के कर्म ही उक्त हैं।

दो प्रकार से और भी अप्रधान कर्ता होते हैं। जैसे—

---

* कितने वैयाकरण छ ही कारक मानते हैं। उनके मत में क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध न होने के कारण सम्बन्ध और सम्बोधन कारक नहीं हैं। कितने कर्ता और कर्म इन्हीं दोनों को कारक मानते हैं।

दूसरी वस्तु से अलग होना प्रकट हो। जैसे—वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में 'वृक्ष से' अपादानकारक है। क्योंकि पत्ते उससे अलग होते हैं।

दुहना, जाचना, पकाना आदि दो कर्मवाले जो धातु हैं उनके प्रयोग में दो प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। जैसे—हम गाय से दूध दुहते हैं। दरिद्र धनी से धन जाचते हैं। और हम गाय को दुहते हैं। दरिद्र धनी को जाचते हैं। इन वाक्यों में जब प्रधान कर्म 'दूध' और 'धन' शब्द रहते हैं तो अप्रधान कर्म में 'से' आता है नहीं तो वह 'को' में बदल जाता है।

सम्बन्ध (Genitive) वह है जिससे स्वत्व (अपनापन) सम्बन्ध आदि प्रकाशित होता है। जैसे-मोहन के घोड़े दौड़ते हैं। श्याम का पत्र आया। मन की शक्ति बड़ी प्रबल है।

सम्बन्ध कई प्रकार के हैं। जैसे—कर्तृ कर्मभाव सम्बन्ध, जन्य जनकभाव सम्बन्ध, स्व स्वामिभाव सम्बन्ध, कार्य कारण भाव सम्बन्ध, अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध, सेव्य सेवकभाव सम्बन्ध आदि। इनके क्रमश ये उदाहरण हैं—पाणिनि का व्याकरण, राम का पुत्र, राजा का नोकर, सोने के कड़े, हाथ की उँगली, भगवान् का भक्त, इत्यादि।

अधिकरण (Locative) वह है जिसके आश्रय से कर्ता व्यापार करे। जैसे—वह घर में रहता है। तू घोड़े पर चढ़ता है। इनमें रहने और चढ़ने का व्यापार 'घर' और 'घोड़े' ही के आश्रय से सिद्ध होता है।

आधार तीन प्रकार के हैं—औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक।

जिस आधार के किसी अवयव के साथ संयोग रहता है वह औपश्लेषिक, जिस आधार से विषय का बोध हो वह

वैषयिक और जिस आधार में आधेय (रहनेवाला पदार्थ) सम्पूर्ण रूप से व्याप्त हो वह अभिव्यापक है। जैसे—पेड़ पर बन्दर है। भोजन में इच्छा है। तिल में तेल है। पहले वाक्य में औपश्लेषिक आधार है। क्योंकि, बन्दर वृक्ष के किसी एक भाग में है। दूसरे वाक्य में वैषयिक आधार है। क्योंकि, इच्छा का विषय भोजन है। और, तीसरे वाक्य में अभिव्यापक आधार है। क्योंकि, तेल तिल के सर्वांश में व्याप्त है।

सम्बोधन (Vocative) उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा पुकार कर या चिता कर किसीको अपने सन्मुख किया जाता है। जैसे—हे महाराज! पाण्डेजी! आइये।

सम्बोधन के दो प्रकार के चिह्न हैं—एक आदर-सूचक और दूसरा अनादर सूचक। जैसे—हे राम, अहो कृष्ण, अयि सुन्दरि, अबे पाजी, अरे लड़के, अरे पगली, हा राम! इत्यादि।

इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा की आठ अवस्थायें हुई और उनके सूचक चिह्न भी आठ ही हुए। ये नीचे लिखे जाते हैं। इन्हीं चिह्नों को * विभक्ति कहते हैं। सम्बोधन के चिह्न विभक्ति में परिगणित नहीं होते।

कारक	विभक्तियाँ	कारक	विभक्तियाँ
कर्ता	ने, से,	अपादान	से
कर्म	को	सम्बोधन	का, के, की
करण	से, कर के	अधिकरण	में, पर
सम्प्रदान	को, के लिये,	सम्बोधन	हे, अरे आदि

* विभक्तियों के सम्बन्ध में वैयाकरणों के भिन्न २ मत हैं। कोई २ पहले रूप के लिये कोई विभक्ति नहीं मानते। कोई २ 'ने' के बदले 'से' मानते हैं और कोई २ इन्हें अलग ही मानते हैं। कितने को से, का में या पर इन्हें ही विभक्ति के चिह्न मानते हैं और कितने को, ने से और में को।

कर्ता आदि सात कारकों को क्रमशः प्रथम कारक, द्वितीय कारक, तृतीय कारक, चतुर्थ कारक, पञ्चम कारक, षष्ठ कारक और सप्तम कारक कहते हैं। और, इनमें आनेवाली विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी और सप्तमी कहलाती हैं। सम्बोधन का रूप प्रथम कारक सा होता है।

अभ्यास ।

कारक किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं? कर्ता क्या है? उक्त और अनुक्त किन २ को कहते हैं? कर्ताकारक की कौन २ विभक्तियाँ हैं और वे कहाँ २ आती हैं? कर्मकारक कौन कहाता है? प्रधान और अप्रधान कर्म कैसे होते हैं? अकर्मक धातु का कर्म कैसे हो सकता है? करण और सम्प्रदान कारक में कौन २ चिह्न हो सकते हैं? इन दोनों के लक्षण क्या हैं? अपादान का लक्षण क्या है? द्विकर्मक धातुओं में कर्म कैसे प्रयोग किये जाते हैं? सम्बन्ध और अधिकरण के लक्षण क्या हैं? इन दोनों के कितने भेद हैं? उनके नाम बताओ और उदाहरण देकर समझाओ। सम्बोधन किसे कहते हैं? इसके कितने चिह्न हैं? आठो कारकों के चिह्न कौन २ हैं। अपादान तथा सम्प्रदान कौन कारक कहलाते हैं? इनकी कौन २ विभक्तियाँ हैं?

शब्द-रूपावली ।

लिङ्ग, वचन और कारकों के भेद से संज्ञा के रूपों में जो भेद होते हैं उन्हें कारक रचना कहते हैं। नीचे कुछ शब्दों की कारक रचना के अनुसार शब्द रूपावली दी जाती है।

अकारान्त पुलिङ्ग बालक शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक, बालक ने	बालक, बालकों ने
कर्म	बालक को	बालकों को
करण	बालक से	बालकों से
सम्प्रदान	बालक को, के लिये	बालकों को, के लिये

अपादान	बालक से	बालकों से
सम्बन्ध	बालक का, के, की	बालकों का, के, की
अधिकरण	बालक में, पर	बालकों में, पर
सम्बोधन	हे बालक	हे बालको

अन्यान्य अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

अकारान्त स्त्री लिङ्ग बात शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बात, बात ने	बातें, बातों ने
कर्म	बात को	बातों को

आगे के शेष रूप बालक शब्द के समान होते हैं। अन्यान्य अकारान्त स्त्री लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

आकारान्त पुल्लिङ्ग घोडा शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	घोडा, घोड़े ने	घोडे, घोडों ने
कर्म	घोडे को	घोडों को
करण	घोडे से	घोडों से
सम्प्रदान	घोडे को, के लिये	घोडों को, के लिये
अपादान	घोडे से	घोडों से
सम्बन्ध	घोड़े का, के, की	घोडों का, के, की
अधिकरण	घोडे में, पर	घोडों में, पर
सम्बोधन	हे घोडे,	हे घोडो,

अन्यान्य आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं।

आकारान्त स्त्री-लिङ्ग माला शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	माला, माला ने	मालायें, मालाओं ने

कर्म	माला को	मालाओं को
करण	माला से	मालाओं से
सम्प्रदान	माला को, के लिये	मालाओं को, के लिये
अपादान	माला से	मालाओं से
सम्बन्ध	माला का, के, की	मालाओं का, के की
अधिकरण	माला में, पर	मालाओं में, पर
सम्बोधन	हे माला	हे मालाओ

अन्यान्य आकारान्त स्त्री लिङ्ग शब्दों के रूप भी ऐसे ही होते हैं।

आकारान्त पुलिङ्ग संस्कृतसिद्ध राजा शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	राजा, राजा ने	राजों ने, राजाओं ने
कर्म	राजा को	राजाओं को
करण	राजा से	राजाओं से
सम्प्रदान	राजा को, के लिये	राजाओं को, के लिये
अपादान	राजा से	राजाओं से
सम्बन्ध	राजा का, के, की	राजाओं का, के, की
अधिकरण	राजा में, पर	राजाओं में, पर
सम्बोधन	हे राजा	हे राजाओ

अन्यान्य आकारान्त बने हुए संस्कृत आत्मा, पिता आदि शब्दों के रूप भी ऐसे ही होते हैं। व्यक्तिवाचक मंशा, मोहना आदि और सम्बन्धवाचक काका, मामा, फूफा आदि शब्दों के रूप भी राजा शब्द के समान होते हैं।

इकारान्त पुलिङ्ग पति शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	पति, पति ने	पति, पतियों ने

कर्म	पति को	पतियों को
करण	पति से	पतियों से
सम्प्रदान	पति को, के लिये	पतियों को, के लिये
अपादान	पति से	पतियों से
सम्बन्ध	पति का, के, की	पतियों का, के की
अधिकरण	पति में, पर	पतियों में, पर
सम्बोधन	हे पति	हे पतियो

अन्यान्य इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं।

इकारान्त स्त्री लिंग मति शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	मति, मति ने	मतियाँ, मतियों ने
कर्म	मति को,	मतियों को

आगे के शेष अन्याय रूप पति शब्द के समान होते हैं। अन्यान्य इकारान्त स्त्री लिंग शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं।

ईकारान्त पुल्लिङ्ग माली शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	माली, माली ने	माली, मालियों ने
कर्म	माली को	मालियों को
करण	माली से	मालियों से
सम्प्रदान	माली को, के लिये	मालियों को, के लिये
अपादान	माली से	मालियों से
सम्बन्ध	माली का, के, की	मालियों का, के, की
अधिकरण	माली में, पर	मालियों में, पर
सम्बोधन	हे माली	हे मालियो

अन्यान्य ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हैं।

ईकारान्त स्त्री लिंग नदी शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	नदी, नदी ने	नदियाँ, नदियों ने
कर्म	नदी को	नदियों को

आगे के शेष अन्यान्य रूप माली शब्द के समान होते हैं। अन्यान्य ईकारान्त स्त्री लिंग शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हैं।

उकारान्त पुल्लिङ्ग साधु शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	साधु, साधु ने	साधु, साधुओं ने
कर्म	साधु को	साधुओं को
करण	साधु से	साधुओं से
सम्प्रदान	साधु को, के लिये	साधुओं को, के लिये
अपादान	साधु से	साधुओं से
सम्बन्ध	साधु का, के, की	साधुओं का, के, की
अधिकरण	साधु में, पर	साधुओं में, पर
सम्बोधन	हे साधु	हे साधुओ

अन्यान्य उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं।

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग वस्तु शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वस्तु, वस्तु ने	वस्तुयें, वस्तुओं ने
कर्म	वस्तु को	वस्तुओं को

आगे के शेष अन्यान्य रूप साधु शब्द के समान होते हैं। अन्यान्य उकारान्त स्त्री लिङ्ग ऋतु आदि शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हैं।

ऊकारान्त पुल्लिङ्ग भालू शब्द ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	भालू, भालू ने	भालू, भालुओं ने

कर्म	भालू को	भालुओं को
करण	भालू से	भालुओं से
सम्प्रदान	भालू को, के लिये	भालुओं को, के लिये
अपादान	भालू से	भालुओं से
सम्बन्ध	भालू का, के, की	भालुओं का, के, की
अधिकरण	भालू में, पर	भालुओं में, पर
सम्बोधन	हे भालू	हे भालुओ

अन्यान्य ऊकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हैं। स्त्रीलिङ्ग ऊकारान्त झाड़ू, बहू आदि शब्दों के भी रूप भालू शब्द के ही समान होते हैं।

एकारान्त पुलिङ्ग चौबे शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	चौबे, चौबे ने	चौबे, चौबेओं ने
कर्म	चौबे को	चौबेओं को
करण	चौबे से	चौबेओं से
सम्प्रदान	चौबे का, के लिये	चौबेओं को, के लिये
अपादान	चौबे से	चौबेओं से
सम्बन्ध	चौबे का, के, की	चौबेओं का, के, की
अधिकरण	चौबे में, पर	चौबेओं में, पर
सम्बोधन	हे चौबे	हे चौबेओ

अन्याय एकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं।

ओकारान्त पुलिङ्ग कोदो शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कोदो, कोदो ने	कोदो, कोदोओं ने
कर्म	कोदो का	कोदोओं को
करण	कोदो से	कोदोओं से

सम्प्रदान	कोदो को, के लिये	कोदोओं को, के लिये
अपादान	कोदो से	कोदोओं से
सम्बन्ध	कोदो का, के, की	कोदोओं का, के, की
अधिकरण	कोदो में, पर	कोदोओं में, पर
सम्बोधन	हे कोदो	हे कोदोओ

अन्यान्य ओकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हैं।

ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग सरसों शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	सरसों, सरसों ने	सरसों, सरसोओं ने
कर्म	सरसों को	सरसोओं को

आगे के शेष अन्यान्य रूप कोदो शब्दों के समान होते हैं। अन्यान्य ओकारान्त स्त्री लिङ्ग शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हैं।

अभ्यास।

मात, भाता, पिता, मति, बहू, नदी, सरसों शब्द के सब रूप ले जावो।

शब्दबोध (Parsing)

वाक्य में शब्दों के भेद, परिचय तथा दूसरे २ शब्दों से उनका सम्बन्ध बताने को शाब्दबोध या पदपरिचय कहते हैं।

संज्ञा के शाब्दबोध में (क) प्रकार (जातिवाचक, व्यक्तिवाचक इत्यादि) (ख) लिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग या पुल्लिङ्ग)। (ग) वचन (एकवचन, बहुवचन इत्यादि), (घ) कारक (कर्ता, कर्म आदि) और (ङ) भिन्न २ शब्दों के साथ सम्बन्ध बताना चाहिये। जैसे—

राम एक किताब लाया।

राम—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक 'लाया' इस क्रिया का कर्ता।

किताब—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिङ्ग एकवचन, कर्म-कारक, 'लाया' इस क्रिया का कर्म ।

अभ्यास ।

नीचे लिखे वाक्यों की संज्ञाओं का शाब्दबोध लिखो —

राजा राजगद्दी पर बैठे। मोहन की बहन सोहन की स्त्री है। आरा एक जिला है। बच्चों की बुद्धिमानी बड़ाई के लायक है। पण्डितजी आये। राम ने हाते में एक बाग लगवाया है। नमक और मिट्टी के तेल की दर आज कल बहुत चढ़ा है। मेले में झुण्ड के झुण्ड स्त्री पुरुष दीख पड़ते हैं। नदी की बड़ी गहराई है।

विशेषण (Adjective)

कह आये हैं कि विशेषण वह है जो संज्ञा के गुण प्रकट करे। जिस संज्ञा का गुण प्रकट किया जाता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे—वे सज्जन पुरुष हैं। इस वाक्य में 'सज्जन' शब्द विशेषण है, क्योंकि पुरुष शब्द का वह गुण प्रकट करता है और पुरुष विशेष्य है, क्योंकि इसी शब्द का गुण प्रकट किया जाता है।

विशेष्य की जब अतिशयता प्रकट करनी होती है तो प्रायः विशेषण दुहरा दिये जाते हैं। जैसे—वे 'लाल लाल' आँख दिखा कर बोले। 'ठंढी ठंढी' हवा ने मन को मस्त कर दिया, इत्यादि।

जब विशेषण की भी विशेषता प्रकट करनी होती है तो विशेषण के भी विशेषण आते हैं। जैसे—स्वामी जी ने 'बहुत' ही अच्छी बात कही। वे 'बड़े' जबर्दस्त आदमी हैं।

१—विशेषण की रचना।

विशेषण के लिङ्ग, वचन और कारक विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे, भोले भाले लड़के खेलते हैं। भोली भाली लड़कियाँ गाती हैं। भला आदमी दयालु होता है। भला

आदमी को (भले को) भला ही सूझता है। भले घर (में) बायन दिया, इत्यादि।

यदि आकारान्त विशेषण हो तो पुल्लिङ्ग में निर्विभक्तिक एकवचन विशेष्य के साथ वह ज्यों का त्यों रहता है और नहीं तो एकार हो जाता है। अर्थात् सविभक्तिक और बहुवचन विशेष्य होने से आकार का एकार हो जाता है। स्त्रीलिङ्ग में आकारान्त विशेषण सदा ईकारान्त हो जाते हैं। जैसे—अच्छा लड़का मन से पढ़ता है। दूसरा लड़का मेहनती है। ऊँचे पेड़ पर मत चढ़ो। देहाती सीधे सादे होते हैं। पहले लड़के को बुलाओ। ऊँचा पेड़ देखो। पीले कपड़े लावो। लचकीली लता सलोनी होती है। गोरी स्त्री पीली साड़ी पहने हुई है। रूखी सूखी बात बड़ी कड़वी होती है। वह लम्बी २ डगों (से) चलता है। छठी लड़की से पूछो। जैसा काम वैसा नाम। जैसी करनी तैसी भरनी।

अकारान्त विशेषणों में विशेष्य के कारण कोई हेर फेर नहीं होता। जैसे—चौकस आदमी, चौकस स्त्री, चतुर लड़का, चतुर लड़की, कोमल कलियाँ, कोमल पत्ते इत्यादि।

कितने वैयाकरण संस्कृत के विशेषणों को भी पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग विशेष्य के अनुसार पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग बनाते हैं। जैसे—सुन्दरी स्त्री, सुन्दर पुरुष।

संस्कृत विशेषणों के लिङ्ग-परिवर्तन के सम्बन्ध में हिन्दी के लिये यह सिद्धान्त उत्तम समझ पड़ता है कि जिन विशेषणों में स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग के कारण विशेष परिवर्तन प्रत्यक्ष है और विशेष्य के साथ संयोग होने में जो विशेषण कुछ खटकते हैं उनके तो लिङ्ग के कारण परिवर्तित रूप ही विशेष्य के साथ अच्छे होंगे। जैसे—श्रीमान् पुरुष, श्रीमती स्त्री, गुणवान्

राजा, गुणवती, रानी इत्यादि और जो किसी रूप में सटकते नहीं वे दोनों रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे– सुन्दर स्त्री या सुन्दरी स्त्री और सुन्दर पुरुष।

बहुत से वैयाकरणों का विचार है कि का विभक्ति लगा शब्द सम्बन्ध विशेषण और सा-प्रत्यय लगा शब्द सादृश्य वाचक विशेषण कहलाता है। जैसे—राम का घोड़ा, मोहन की गाय और श्याम के कपड़े अच्छे हैं। श्याम का सा लड़का, देवकन्या की सी लड़कियाँ और सिंह के से लड़कों के साथ खेलता है। इन वाक्यों में पहला सम्बन्ध विशेषण और दूसरा सादृश्यवाचक विशेषण है। सर्वनाम में का, के, की के स्थान पर रा, रे, री समझना चाहिये।

यदि संख्यावाचक विशेषण में निश्चय प्रकट करना हो तो उसके साथ कहीं सानुनासिक और कहीं निरनुनासिक ओं जोड़ देते हैं। जैसे—वे चारों लड़के वेद पढ़ गये हैं। दोनों लड़के गुणी थे।

संख्यावाचक विशेषणों तथा यह, वह, जो, सो, कै, कई, कोई विशेषणों में लिङ्ग भेद नहीं होता।

यदि समुदाय में दो चार व्यक्ति लिये जायँ तो संख्यावाचक शब्दों ही में विभक्ति जोड़ते हैं। जैसे—मैं सब लड़कों में से केवल दश से ही पूछना चाहता हूँ। ऐसे ही सब समझना चाहिये। इसमें संख्यावाचक 'दश' में ही 'से' विभक्ति लगी है।

कभी २ विशेषण विशेष्य के बिना ही जातिवाचक और व्यक्तिवाचक होकर आते हैं। जैसे—पण्डित जी आये। भलेमानसों को प्रपञ्च से क्या काम? इन, वाक्यों में पण्डित जी व्यक्तिवाचक और भलेमानस जातिवाचक के समान हैं। क्योंकि पण्डित से किसी खास पण्डित का और भलेमानस

से भलेमानस मात्र का मतलब है। ऐसे ही 'झूठ बोलना पण्डितों को उचित नहीं' इत्यादि वाक्य होते हैं।

जब विशेष्य नहीं आता तब विशेषण ही में विशेष्य के सब कार्य होते हैं। जैसे, भूखों को खिलावो। दीनों को दान दो। भले को भला, बुरे को बुरा। विद्यार्थियों को सहायता दो। विरागियों को घर से क्या काम ? इत्यादि।

कर्तृवाचक, कर्मवाचक और क्रियाद्योतक संज्ञा भी विशेषण होकर आती हैं। जैसे—'लिखनेवाले' लड़के को कलम दो। 'खानेवाले को' भात परोसो। 'मरा हुआ घोड़ा' भी दाना खाता है ? 'जाना पहचाना' आदमी भी भूल सकता है। 'डूबती हुई नाव' से दो आदमी बच आये। 'हिलती डाल' से पके फल टपक पड़े। इन छः वाक्यों में ऊपर के कहे हुए तीनों विशेषणों के क्रमशः दो २ उदाहरण दिये हुए हैं।

अभ्यास।

विशेष्य, विशेषण के लक्षण क्या हैं। कब विशेषण दुहराये जाते हैं और कब विशेषण के भी विशेषण आते हैं ? लिङ्ग और वचन के कारण कैसे विशेषणों में परिवर्तन होते हैं। संस्कृत विशेषणों में परिवर्तन का कैसा नियम है ? सादृश्य वाचक और सम्बन्धी विशेषण कैसे होते हैं ? जातिवाचक और व्यक्ति-वाचक विशेषण कैसे होते हैं ? कब और कैसे विशेषणों में कारक आदि आते हैं ? कर्तृवाचक, कर्मवाचक और क्रियाद्योतक विशेषणों के दो दो उदाहरण कहो। मैली धोती, दुबले लड़के, पतली छड़ी, इन तीनों विशेषणों में ईकार और एकार क्यों आये हैं ?

(२) विशेषण के भेद।

विशेषण चार प्रकार के हैं—गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनाम सम्बन्धी।

'गुणवाचक विशेषण' उसे कहते हैं जो पदार्थ के गुण, अवस्था और दशा को प्रकट करता है। जैसे—सज्जन मनुष्य, बीमार आदमी, ऊँची दीवार आदि।

'परिमाणवाचक' विशेषण वे हैं जिनसे कोई परिमाण प्रकट हो। जैसे, थोड़ा, बहुत, सब, आधा, कुछ, बड़ा, छोटा आदि।

'संख्यावाचक विशेषण' उसे कहते हैं जो वस्तु का परिमाण अथवा संख्या दिखावे। जैसे—थोड़ा, बहुत, सभी, तीन, चौथा, सैकड़ों, आदि।

संख्यावाचक के तीन भेद हैं। जैसे—निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पार्थक्यसूचक।

(१) 'निश्चयवाचक विशेषण' वे हैं, जिनसे कोई निश्चित संख्या जानी जाती है। जैसे—चारो, दोनों, पाँचवाँ, छठा, दुगुना, तिगुना, इत्यादि।

निश्चयवाचक के भी तीन प्रकार हैं—निश्चित संख्या सूचक, अनुक्रमार्थक और आवृत्ति वाचक।

(क) 'निश्चित संख्या सूचक' वे हैं जिनसे पूर्ण संख्या जानी जाय। जैसे—दश, पाँच, चारो, सौ, हजार, इत्यादि।

(ख) 'अनुक्रमार्थक' वे हैं जिनसे क्रम का बोध हो। जैसे—पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, दसवाँ इत्यादि।

(ग) आवृत्ति सूचक वे हैं जिनसे आवृत्ति जानी जाय। जैसे-दुगुना, तिगुना, दसगुना, सौगुना, हजारगुना।

(२) 'अनिश्चयवाचक' विशेषण वे हैं जिनसे कोई निश्चित संख्या नहीं जानी जाती। जैसे—सब, बहुतेरे, थोड़े, अधिक, कुछ इत्यादि। इसमें और परिमाण वाचक विशेषण में सादृश्य है।

(३) 'पार्थक्य सूचक' विशेषण वे हैं जिनसे अलगाव प्रकट होता है। जैसे—हर एक, प्रत्येक, दूसरे, कई, इत्यादि।

(४) 'सर्वनाम सम्बन्धी' विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम होकर अपने विशेष्य का गुण बतलाता है। जैसे—'यह' किसकी किताब है? कल्ह 'कौन' आया था? 'जो' वस्तु चाहो 'सो' (वस्तु) लो। 'मेरा' घर यहाँ नहीं है? इस काम को 'कोई' आदमी नहीं कर सकता। 'वह' नर चोर है। 'हम' गरीब को कौन जानता है। इन वाक्यों में घेरे हुए शब्द सर्वनाम सम्बन्धी विशेषण हैं। 'यह' 'वह' कही गई संज्ञा के बतलाने के कारण 'दर्शक विशेषण' भी कहे जाते हैं। जैसे—'यह' घर, 'वह' आदमी, इत्यादि।

(३) तुलना (Comparison)

दो संज्ञाओं के गुणों के मिलान करने को तुलना कहते हैं। हिन्दी में इसके दो चिन्ह हैं 'सा' और 'से'। समानता, में 'सा' का और न्यूनता या अधिकता में 'से' का प्रयोग होता है। जैसे, मोहन 'सा' सोहन धनी है। विद्या में वह मुझ 'से' उतर कर है। दरिद्र 'से' धनी सुखी है। वह सब 'से' बली है।

कभी २ संस्कृत के ढंग पर तर और तम प्रत्यय लगा कर भी तुलना करते हैं। जैसे—वह मेरा प्रिय है। वह दोनों में प्रियतर है। वह सब में प्रियतम है। विशेषणवाचक शब्दों में जब दो के साथ तुलना होती है तब 'तर' और दो से अधिक के लिये तुलना में 'तम' आता है।

अभ्यास।

विशेषण के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक का लक्षण सोदाहरण कहो। संख्यावाचक के मुख्य २ भेद और अवान्तर भेद कितने हैं? प्रत्येक के लक्षण और उदाहरण बताओ। तुलना किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार से की जाती है?

शाब्दबोध।

प्राय संज्ञा ही के समान विशेषण का भी शाब्दबोध होता है। इसमें केवल संज्ञा के स्थान पर विशेषण के प्रकार आदि बताये जाते हैं। जैसे—

सज्जन मनुष्य बहुत बातें नहीं बनाते।

सज्जन—विशेषण, गुणवाचक, पुलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, इसका विशेष्य 'मनुष्य' है।

बहुत—विशेषण, परिमाणवाचक, अनिश्चय वाचक, स्त्री-लिंग, बहुवचन, 'बातें' इसका विशेष्य है।

अभ्यास।

नीचे लिखे वाक्यों के विशेषणों का शाब्दबोध करो —

यह आदमी मोटा है। मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ। जो आदमी जैसा करेगा वह वैसा ही फल पावेगा। चारो चोरों को बुलाओ। लाल कपड़ा उजले कपड़े से चटकदार होता है। मेरा पहला लड़का छठे क्लास में है। वह दाम की दुगुनी रकम माँगता है। कोई दे या न दे वह तो जरूर देगा। मेरा प्रियतम भारत सब देशों से प्यारा है।

सर्वनाम (Pronoun)

संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इससे लाभ यह होता है कि एक ही संज्ञा का बार २ वाक्य में प्रयोग नहीं करना पड़ता। जेसे—"मोहन कहाँ है? उसे मैं देर से ढूँढ रहा हूँ।" इस वाक्य में 'उसे' मोहन के स्थान पर आया है, इससे यह सर्वनाम है।

सर्वनाम का कोई लिंग नियत नहीं है। ये जिन संज्ञाओं के स्थान में आते हैं उनके ही अनुसार उनका भी लिंग समझा जाता है। जैसे—मोहन ने कहा कि मैं काम न करूँगा। स्त्री ने कहा कि मैं यह काम जरूर करूँगी।

सर्वनाम के पाँच भेद हैं। पुरुषवाचक—जैसे—मैं, तू, वह। निश्चयवाचक—जैसे-यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक-जैसे-कोई। आदरसूचक—जैसे—आप। सम्बन्धवाचक—जैसे—जो, सो और प्रश्नवाचक—जैसे—कौन।

पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)

मैं* तू और वह पुरुषवाची सर्वनाम इसलिये कहाते हैं कि ये उन पुरुषों के स्थान में आते हैं जो, जिससे, जिसके विषय में कहते हैं। अर्थात्, ये जो कहनेवाले, जो सुननेवाले, और जिनके विषय में कुछ कहा गया हो उसकी ओर निर्देश करते हैं।

(क) प्रथम या उत्तम पुरुष वे हैं जो कहनेवाले की ओर निर्देश करते हैं। जैसे—मैं और हम।

(ख) द्वितीय पुरुष वे हैं जो सुननेवाले को ओर निर्देश करते हैं। जैसे—तू, तुम और आप।

(ग) तृतीय या अन्य पुरुष वे हैं जो सुननेवाले की ओर निर्देश करते हैं। जैसे —यह, ये, वह, वे, तथा शेष सब संज्ञायें।

'मैं' और 'तू' की कारक-रचना।

कर्त्ता कारक के एकवचन में 'मैं' और 'तू' सदा ज्यों का त्यों रहता है और बहुवचन में 'मैं' को 'हम' और 'तू' को 'तुम' हो जाता है

* पुरुषवाची सर्वनाम के उपर्युक्त लक्षण ठीक नहीं हैं। क्योंकि 'वह तेरी बात मुझसे' कहता है। यहाँ कहनेवाला अन्य पुरुष, सुननेवाला उत्तम पुरुष और जिसके विषय में कहा जाता है वह मध्यम पुरुष हो गया। इसमे मैं को प्रथम, तू को मध्यम और शेष संज्ञाओं को अन्य पुरुष कहना ठीक है। तथापि साधारणतः प्रायः सभी लोग उपर्युक्त लक्षण ही लिखते हैं।

सम्बन्ध-कारक को छोड़ कर्म कारक से अधिकरण कारक तक एकवचन में 'मैं' को 'मुझ', 'तू' को 'तुझ' और बहुवचन में 'मैं' को 'हम' और 'तू' को 'तुम' आदेश हो जाता है।

सम्प्रदान और सम्बन्ध के एकवचन में 'तू' को 'ते' और 'मैं' को 'मे' और बहुवचन में 'मैं' को 'हमा' और 'तू' को 'तुम्हा' हो जाता है और जहाँ 'क' रहता वहाँ 'र' हो जाता है।

सम्प्रदान और कर्म-कारक में विकल्प से एकवचन और बहुवचन में 'को' के स्थान पर यथाक्रम 'ए' और 'एँ' होता है।

उत्तम पुरुष 'मैं' सर्वनाम के रूप।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमको, हमें
करण	मुझसे	हमसे
सम्प्रदान	मेरे लिये, मुझे	हमारे लिये, हमें
अपादान	मुझसे	हमसे
सम्बन्ध	मेरा, रे, री	हमारा, रे, री
अधिकरण	मुझ पर, में	हम पर, में

सर्वनाम का सम्बोधन नहीं होता। यह सब जगह समझना चाहिये।

मध्यम पुरुष 'तू' सर्वनाम के रूप।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म	तुझको, तुझे	तुमको,* तुम्हें

* कर्म और सम्प्रदान में 'तुझे' के स्थान पर 'तुम्हें' ही अधिकांश बोला जाता है।

करण	तुझसे	तुमसे
सम्प्रदान	तेरे लिये, तुझे	तुम्हारे लिये, तुम्हें
अपादान	तुझसे	तुमसे
सम्बन्ध	तेरा, रे, री	तुम्हारा, रे, री
अधिकरण	तुझ पर, में	तुम पर, में

अन्यपुरुष सर्वनाम।

तृतीय वा अन्यपुरुष सर्वनाम दो प्रकार का होता है। एक निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक।

निश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिसके द्वारा कोई निश्चित पदार्थ बताया जाय। जैसे—यह, वह। जब ये केवल रहते हैं तो निर्देशार्थक सर्वनाम होते हैं। जैसे—यह लावो, वह दो, यह करो, इत्यादि।

निश्चयवाचक भी दो प्रकार का होता है—निकटवर्ती के लिये 'यह' और दूरवर्ती के लिये 'वह'। जब इन दोनों के साथ कोई संज्ञा लगा दी जाती है तो ये दर्शक विशेषण से हो जाते हैं। जैसे—यह आदमी, वह पुस्तक इत्यादि। जब संज्ञा के साथ कारक के चिन्ह का योग हो जाता है तो अन्य पुरुष से उसी संज्ञा का निश्चय विशेष-रूप से होता है। जैसे—उस घोडे पर चढ़ो। इसमें 'उस' शब्द से 'घोडे' का ही निश्चित बोध होता है न कि अन्यपुरुष सम्बन्धी वस्तु का। ऐसा ही सर्वत्र समझो।

निश्चयवाचक 'यह' और 'वह' की कारक-रचना।

सविभक्तिक कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक सब विभक्तियों के एकवचन में 'यह' का 'इस' और 'वह' का 'उस' तथा बहुवचन में 'यह' का 'इन' वा 'इन्ह' और 'वह' का 'उन' वा 'उन्ह' आदेश कर देते हैं। निर्विभक्तिक कर्ता

कारक के एकवचन में ये ज्यों का त्यों रहते हैं और बहुवचन में 'यह' का 'ये' और 'वह' का 'वे' हो जाता है।

'इन्ह' वा 'उन्ह' इन दोनों रूपों का सब विभक्तियों में अब प्राय, व्यवहार नहीं होता। सम्प्रदान और कर्मकारक के इन रूपों में 'को' के स्थान पर एकवचन और बहुवचन में यथाक्रम 'ए' और 'एँ' होता है तथा ये हो रूप व्यवहार में आते हैं।

'ही' लगाकर जब निश्चय प्रकाश करना होता है तब इन दो सर्वनामों के साथ 'ही' न लगाकर प्राय दीर्घ ईकार ही लगाते हैं। इसके लिये भी बहुवचन में सर्वत्र उपर्युक्त दोनों रूपों का प्रयोजन होता है। जैसे, इस ही को चाहते हैं–इसी को-चाहते हैं, उन ही को बुलावो–उन्हींको बुलावो। इन ही को जाने दो, इन्हीं को जाने दो, इत्यादि। इनमें अन्तिम वाक्य ही प्राय बोले जाते हैं।

अन्य पुरुष निश्चयवाचक 'यह' सर्वनाम के रूप।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह, इसने	ये, इनने
कर्म	इसको, इसे	इनको, इन्हें
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसके लिये, इसे	इनके लिये, इन्हें
अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका, के, की	इनका, के, की
अधिकरण	इसमें, पर	इनमें, पर।

अन्य पुरुष निश्चयवाचक 'वह' सर्वनाम के रूप।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वह, उसने	वे, उनने

कर्म	उसको, उसे	उनको, उन्हें
करण	उससे	उनसे
सम्प्रदान	उसके लिये, उसे	उनके लिये, उन्हें
अपादान	उससे	उनसे
सम्बन्ध	उसका, के, की	उनका, के, की
अधिकरण	उसमें, पर	उनमें, पर

बहुत से लोग 'वे' और 'ये' के स्थान पर भी 'यह' 'वह' एकवचन ही का रूप व्यवहार में लाते हैं। जैसे—यह दोनों भाई, यह सब लोग इत्यादि।

संज्ञा ही के समान इन सर्वनामों में भी आदर के लिये एकवचन में भी बहुवचन तथा बहुत्व के निश्चयार्थ लोग, सब, इत्यादि लगा देते हैं। जैसे—तुम क्या कहते हो? हम लोग नहीं जानते। वे सब नहीं आये, इत्यादि।

कभी २ पुरुषवाची सर्वनामों के साथ अपने तईं, आप ही आप, निज, स्वत, स्वयं, अपने आप, इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं। ये 'स्ववाचक सर्वनाम' कहलाते हैं। इनसे वाक्यार्थ ज़ोरदार हो जाता है। जैसे—तुम 'स्वतः' इसे करो। वे 'स्वयं' वह कर लेंगे। लड़के यह सब 'अपने आप' बना लेंगे। मैं 'आप ही आप' इसे करूँगा। यह मेरी 'निज' की पुस्तक है। तुम 'अपने तईं' उसे सम्हालो, इत्यादि।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' शब्द।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई निश्चित पदार्थ न जाना जाय। जैसे, 'कोई' शब्द।

'कोई' शब्द के बहुवचन में रूप नहीं होते। परन्तु दो बार कहने से बहुवचन समझा जाता है। जैसे—कोई कोई कहते हैं, इत्यादि।

निर्विभक्तिक कर्ताकारक में 'कोई' शब्द ज्यों का त्यों रहता है। पर शेष कारकों में 'कोई' शब्द का 'किसी' आदेश हो जाता है। ऐसे ही बहुवचन में भी 'कोई २' का 'किसी २' हो जाता है।

अनिश्चयवाचक 'कोई' शब्द के रूप।

कारक	एकवचन
कर्ता	कोई, किसी ने
कर्म	किसी को
करण	किसी से
सम्प्रदान	किसी के लिये
अपादान	किसी से
सम्बन्ध	किसी का, के, की
अधिकरण	किसी में, पर।

'कोई' शब्द के समान एक दो और भी शब्द हैं जिनकी कारक रचना अव्यय के समान होने के कारण नहीं होती। जैसे—कुछ, कई, बहुतेरे आदि। इनका प्रयोग संख्या की अनिश्चयता में होता है। और ये अनिश्चयवाचक विशेषण के समान आते हैं। जैसे—कई लोग, कुछ रुपये, बहुतेरे आदमी।

जब वाक्य में इन अनिश्चयवाचक विशेषणों के विशेष्य नहीं रहते तब इनका प्रयोग सर्वनाम के समान होता है। जैसे, उस भीड़ में बहुत से आदमी थे, जिनमें 'कुछ' भले और 'कुछ' बुरे भी थे। सब लोग एक समान नहीं होते, 'बहुतेरे' विद्वान् होते हैं और 'बहुतेरे' मूर्ख। एक साथ ही बहुत लोग गंगा में कूदे, उनमें 'कई' डूब गये और 'कई' अधमुए हो निकले।

कभी २ ऐसे शब्दों के साथ मुहावरे के रूप में विभक्ति

भी आ जाती है। जैसे—पहले का जमाना दूसरा था, अब 'कुछ का कुछ' हो गया।

पुरुषबोधक, आदर सूचक सर्वनाम 'आप' शब्द।

विशेषतः आदर के लिये मध्यम पुरुष में 'तू' और 'तुम' के स्थान पर 'आप' सर्वनाम आता है। इसीसे इसकी क्रिया सर्वदा बहुवचनान्त होती है। जैसे—आप कहते हैं, आप आइये, इत्यादि।

आप शब्द के साथ बहुवचन के चिह्न नहीं जोड़े जाते। जहाँ बहुत्व प्रकट करना होता है वहाँ बहुत्ववाचक शब्द जोड़ देते हैं। जैसे—आप लोगों ने किया। यह सब काम आप लोगों का है। आप लोग जानें, इत्यादि।

आदरसूचक 'आप' सर्वनाम मध्यम पुरुष के अतिरिक्त अन्य पुरुष के निमित्त भी कभी २ आता है। अन्य पुरुष के विद्यमान रहने पर उसकी ओर सकेत करने से उसका बोध होता है। जैसे—रमेश दिनेश की ओर सकेत करके गणेश से कहता है कि 'आप' बड़े विद्वान् हैं। ऐसे वाक्यों से समझा जाता है कि, मध्यम पुरुष की नहीं, अन्यपुरुष की चर्चा हो रही है।

आप शब्द की कारकरचना अकारान्त पुलिङ्ग शब्द की भाँति होती है। जैसे—

आदरसूचक 'आप' शब्द के रूप।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	आप, आपने	आप लोग, आप लोगों ने
कर्म	आप को	आप लोगों को
करण	आप से	आप लोगों से
सम्प्रदान	आप के लिये	आप लोगों के लिये

अपादान	आपसे	आप लोगों से
सम्बन्ध	आप का, के, की	आप लोगों का, के, की
अधिकरण	आप में, पर	आप लोगों में, पर

'आप' शब्द निजवाचक भी होकर संज्ञाओं के साथ आता है। जैसे—मैं 'आप' कहूँगा। तुम 'आप' कहो। लड़के 'आप' कहेंगे। यह भी पूर्वोक्त प्रकार का स्ववाचक सर्वनाम ही है।

ऐसे आप शब्द से निज का सम्बन्ध समझा जाता है और इसकी कारकरचना यों होती है। कर्ताकारक में 'आप' ज्यों का त्यों रहता है पर अन्य कारकों में 'अपना' होकर आकारान्त शब्द के ऐसा हो जाता है और इसके रूप वसीके से होते हैं। केवल सम्बन्धवाचक का, के, की का सम्बन्ध कारक में लोप हो जाता है और सम्प्रदान कारक में 'के लिये' के स्थान पर केवल 'लिये' आता है। यह शब्द नित्य एक वचनान्त है। जैसे—

निजवाचक 'आप' शब्द के रूप।

कारक	एकवचन
कर्ता	आप
कर्म	अपने को
करण	अपने से
सम्प्रदान	अपने को, लिये
अपादान	अपने से
सम्बन्ध	अपना, ने, नी
अधिकरण	अपने में, पर

पुरुषवाची सर्वनामों में 'अपना' विशेषण होकर भी आता है। जैसे—मैं 'अपना' पाठ पढ़ता हूँ। तुम अपने धन्धे करो। वे 'अपनी' घड़ी जानते हैं, इत्यादि।

परस्पर-बोधक 'आपस' आप ही शब्द का अनियमित रूप है। इसके रूप केवल सम्बन्ध और अधिकरणकारक ही में होते हैं। जैसे—'आपस' का झगडा 'आपस' में ही निपटा लेना चाहिये।

अभ्यास।

सर्वनाम किसे कहते हैं ? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ? सर्वनाम से व्याकरण में क्या लाभ है ? सर्वनामों के लिङ्ग जानने की क्या रीति है ? सर्वनामों में लिङ्ग विकार होते हैं या नहीं ? पुरुषवाची सर्वनाम कितने प्रकार के हैं और उनके लक्षण क्या हैं ? तृतीय वा अन्य पुरुष सर्वनाम के कितने भेद हैं ? तीनों पुरुषवाची सर्वनामों की कारक रचना कैसे २ होती है ? स्ववाचक सर्वनाम कौन २ हैं ? इनकी आवश्यकता क्या है ? 'यह' 'वह' सर्वनामों की विशेषता क्या है ? कोई शब्द का बहुवचन कैसे बनाया जाता है ? इन तीनों की कारक रचना कैसे होगी ? 'कई' और 'कुछ' वाक्य में कैसे सर्वनाम के समान व्यवहृत होंगे ? आदरसूचक सर्वनाम कौन है ? उसकी कारकरचना कैसे होती है ? अन्यपुरुष में 'आप' कैसे व्यवहृत होता है ? निज वाचक आप शब्द की कारकरचना किस रीति से होती है ?

नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनामों के पुरुष वचन कारक और लिङ्ग बतावो और यह भी कहो कि ये किस २ संज्ञाओं के स्थान पर आये हैं —

मेरे भाई की गाय बुड्ढी हो गई है। इससे वह सुखी चरती फिरती है ।।मोहन और सोहन दोनों भाई हैं, इनमें उनमें बड़ी घनी प्रीति रहती है। यह वह गाय है कि कोई इसे दुह ले पर जरा भी नहीं छटपटाता। लड़कों को बुलावो और उन्हें कह दो कि ये पुस्तकें ले जायँ और इन्हें पढ़ें। वह स्त्री बड़ी समझदार थी। उसने हम लोगों से कहा कि क्यों नहीं तुम लोग मेरा साथ देते जब कि तुम्हारी ही भलाई इसमें विशेष दीख पड़ती है। मैं उससे कई बार कह चुका पर वह मेरी बातों पर कान नहीं देती। जब उसके भाग बिगड़े हैं तब मैं तू, या और ही कोई कैसे उसे सुधार सकता है। वह आप सब भोगेगा। राम और श्याम अपने पाठ नहीं सुनाते। वे कल अवश्य उन्हें सुनावेंगे। मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ। आप लोग स्वयं समझदार हैं। मैं अपनी बीती बात कहता हूँ।

नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम रक्खो।

मोहन—बात नहीं मानता—क्या करूँ । घोड़ा बड़ा तेज है—पकड़ना खेल नहीं है ।—काम करते हैं तो क्यों नहीं—लाभ होगा । स्त्रियाँ—घर का सब काम काज—करती है—बोझ नहीं मालूम होता । नौकर ने जब—काम न किया तब—मालिक ने अन्यत्र—भेज दिया । राम की पुस्तक न लो वह—है—नहीं । गोविन्द और—की रमा बड़ी नेक है—मनाना ठीक नहा है ।—पास नौकर नहीं है ये—काम आप करते हैं ।

प्रश्नवाचक सर्वनाम 'कौन' शब्द ।

प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे प्रश्न का बोध होता है । जैसे—कौन, क्या ।

बिना संज्ञा के 'कौन' प्रश्नवाचक शब्द से प्राणिवाचक का और 'क्या' शब्द से अप्राणिवाचक का प्राय बोध होता है । जैसे—कौन कहता है ? कौन है ? क्या गिरा ? क्या है ।

यदि इन दोनों प्रश्नवाचकों के साथ संज्ञा का संयोग हो तो यह भेद प्राय मिट सा जाता है । जैसे—क्या मैं चोर हूँ कौन उपाय करोगे ? इत्यादि ।

निर्विभक्तिक कर्ताकारक में प्रश्नवाचक कौन शब्द ज्यों का त्यों रहता है और अन्यत्र सब कारकों के एकवचन में कौन का 'किस' और बहुवचन में 'किन' आदेश हो जाता है ।

कर्म और सम्प्रदान कारक के एकवचन में 'को' के स्थान पर 'ए' और बहुवचन में विकल्प से 'किन्ह' आदेश करके 'को' को सानुस्वार 'ए' करते हैं ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कौन, किसने	कौन, किनने
कर्म	किसको, किसे	किनको, किन्हें
करण	किससे	किनसे
सम्प्रदान	किसके लिये, किसे	किनके लिये, किन्हें
अपादान	किससे	किनसे

सम्बन्ध	किसका, के, की	किनका, के, की
अधिकरण	किसमें, पर	किनमें, पर

प्रश्नवाचक 'क्या' शब्द की कारक रचना नहीं होती, इससे यह अव्यय कहा जाता है। एक व्याकरण में करण कारक से इसकी कारक रचना 'काहे से' 'काहे के लिये' इस भाँति की गयी है, पर ये रूप अब बोलचाल में नहीं आते। सब जगह 'किससे' 'किसके लिये' यही बोलते हैं।

'कुछ' और 'क्यों' भी जहाँ कहीं प्रश्नवाचक में आता है। जैसे—'कुछ' जानते हो? 'क्यों' तुमने ऐसा किया? 'कुछ' कहना चाहते हो? इत्यादि।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम वह कहाता है जो कही हुई संज्ञा से सम्बन्ध सूचित करता है। जैसे—'जो' तुम्हारा है 'सो' हमारा है।

जो और सो का नित्य सम्बन्ध है। अर्थात् जहाँ २ जो आता है वहाँ २ सो अवश्य लिखा वा समझा जाता है। इसी-से ये सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।

कभी २ 'जो' के सम्बन्ध में 'सो' के बदले 'वह' का भी प्रयोग होता है। आज कल की बोल चाल में 'सो' शब्द का केवल कर्ता ही में व्यवहार देखा जाता है, नहीं तो अन्य सब कारकों में वह शब्द के ही रूप व्यवहृत होते हैं। जैसे—जिसका धन है, उसीको दो। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस।

'जो' शब्द कभी २ 'यदि' के स्थान पर भी आ जाता है। जैसे—"मँगनो भलो न बाप सो 'जो' प्रभु राखे टेक।"

'जो' 'सो' शब्दों के समान 'जौन' 'तौन' सर्वनाम भी

सम्बन्ध-वाचक हैं। जैसे—'जौन' आदमी जाय 'तौन' घ
चीन लिये आवे। इनके भिन्न रूप केवल कर्ता ही में होते
अन्यत्र 'जो' 'सो' शब्द के समान।

निर्विभक्तिक कर्ताकारक में 'जो' 'सो' ज्यों के त्यों रह
हैं और अन्य कारकों में 'जो' 'सो' का एकवचन में 'जिस
'तिस' बहुवचन में 'जिन' 'तिन' आदेश हो जाते हैं औ
कर्म तथा सम्प्रदान कारक के एकवचन में 'को' के स्थान प
'ए' और बहुवचन में विकल्प से 'जिन्ह' 'तिन्ह' आदेश करव
'के' के स्थान पर सानुनासिक 'एँ' कर देते हैं।

सम्बन्धवाचक 'जो' शब्द के रूप।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	जो, जिसने	जो, जिनने
कर्म	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसके लिये, जिसे	जिनके लिये, जिन्हें
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्बन्ध	जिसका, के, की	जिनका, के, की
अधिकरण	जिसमें, पर	जिनमें, पर

सम्बन्धवाचक 'सो' शब्द के रूप।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	सो, तिसने	सो, तिनने
कर्म	तिसको, तिसे	तिनको, तिन्हें इत्यादि

शेष रूप 'जो' शब्द के समान ही होते हैं।

ऊपर कहे हुए सर्वनामों की कारकरचना का एक यह
साधारण नियम हो सकता है कि निर्विभक्तिक कर्ताकारक को
छोड़ शेष कारकों के एकवचन में मैं को मुझ, तू को तुझ, वह

का इस, वह का उस, कोई का किसी, कौन का किस, जो वा जौन का जिस, सो वा तौन का तिस और बहुवचन में क्रमश उक्त सर्वनामों के हम, तुम, इन, उन, (कोई का बहुवचन नहीं होता) किन, जिन, तिन, आदेश हो जाते हैं।

पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, सम्बन्धवाचक सर्वनाम जब संज्ञाओं के पूर्व में प्रयुक्त होते हैं तो वे गुणवाचक शब्द कहलाने लगते हैं और इनका परिवर्तन भी पूर्वोक्तप्रकार ही से होता है। जैसे—मुझ गरीब का तुझ कंगाल से उस विषय में इस समय पर किसी बात की चर्चा करना अच्छा नहीं है। किसी सामान्य आदमी का, जिस सुमार्ग पर महान् पुरुषों का पहुँचना कभी सम्भव नहीं उस (तिस) मार्ग पर एकाएक पहुँचना क्या सम्भव हो सकता है ? इत्यादि।

उपर्युक्त सर्वनामों के अतिरिक्त और भी कितने ही शब्द हैं जो इन्हीं सर्वनामों के तुल्य व्यवहृत होते हैं। जैसे—एक, दो, दोनों, और, सब, कै, अन्य, आदि। वाक्यों में ये इस प्रकार व्यवहृत होते हैं। जैसे—बहुत से आदमी बाहर गये थे जिनमें 'एक' मर गया, 'दो' लौटे, 'कै' लापता हो गये, 'और' सब वहीं रह गये। इनमें घेरे हुए सब सर्वनाम के से हैं क्यों कि ये आदमी के स्थान पर आये हैं।

"इस, उस, जिस, तिस, सर्वनामों के 'स' को तना आदेश करने से वे परिमाणवाचक शब्द, अर्थात् इतना, उतना, कितना, जितना, तितना बनाये जाते हैं और इन्हीं सर्वनाम के साथ समानतासूचक सा (से, सी) के लगाने से ये प्रकारवाचक शब्द भी अर्थात् ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, तैसा हुए हैं। इस + सा = ऐसा, उस + सा = वैसा, किस + सा = कैसा, जिस +

सा = जैसा, तिस + सा = तैसा। यह पाँचों गुणवाचक की रीति पर आते हैं और उनके विचार होने का नियम लिङ्ग वचन के कारण वही है जो आकारान्त गुणवाचक के विषय में बताया गया है।" (भाषाभास्कर)

"'यह' 'वह' 'जो' 'सो' और 'कौन' के प्रथम अक्षर को 'य' 'व' 'ज' 'त' और 'क' करके अन्त में हाँ लगा दें तो स्थान वाचक शब्द बनते हैं। जैसे—यहाँ,वहा, जहाँ,तहाँ और कहाँ"।

"इसी प्रकार इसके अन्य अक्षर 'ब' से पलट दिये जायँ तो समयवाचक हो जाते हैं परन्तु यह शब्द छूट जाता है और इस शब्द से प्रथम अक्षर को 'अ' से पलट देते हैं। जैसे–'अब', 'जब' 'तब' और 'कब'।" (भाषाप्रभाकर)

यद्यपि ये शब्द इस प्रकार साधे गये हैं तथापि इनकी साधनप्रक्रिया ठीक नहीं है। इनकी बनावट से ही यह बात प्रत्यक्ष होती है। इनके साधन में इन्हीं दोनों व्याकरणों में मतभेद है।

कुछ विशेष सर्वनाम।

जो कोई, जो सो, जो वह, जिस तिस, कई एक, एक यह तो दूसरा वह, जिस किसी, जिस तिस का, हर एक, कोई और, कोई कुछ, तो कोई कुछ कोई २, एक दूसरा, एक आध, किसी किसी, कोई न कोई, सब कोई, और कौन, एक न एक, जौन तौन, कौन कौन इत्यादि।

अभ्यास।

प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कौन और क्या से किसका बोध होता है? कौन शब्द की कारकरचना कैसे होती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम और कौन हैं? सम्बन्धवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे कौन कौन हैं? जो और सो की कारकरचना कैसे

होती है ? सो के स्थान पर और कौन सर्वनाम आता है ? सर्वनामों की कारकरचना का एक साधारण नियम क्या है ? उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग होगा ? इन सर्वनामों से परिमाणवाचक और प्रकारवाचक शब्द कैसे बनते हैं। इनसे कहाँ, जहाँ, अब, तब कैसे बनते हैं।

नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनामों को और उनका संज्ञाओं का बतावो—

मैं उस आदमी से आज भी मिला था जिसे कल देखा था'। मैंने जो तुमसे कहा था उस पर ध्यान दो। क्या इसी के लिये रोते थे, जो एक अपनी चीज है ? जिसे तुम प्यार करते थे तौन आज बीमार है। 'जाकी जैसी चाकरी वैसा ही फल पाय"। "जो जागे सो पावे। जो सोवे सो खोवे।" जैसा मुझे आज पानी मिला था वैसा ईश्वर न करे किसी को मिले। एक दो नहीं कई ऐरे गैरे आदमी आये गये। जो कुछ भूल गया था सो मिल गया।

नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में यथायोग्य सर्वनाम रक्खो।

उसने—काम अपने हाथ में लिया था—नहीं किया। वहाँ कोई नहीं था—मेरा काम जान सके। यह—लड़का है—इनाम पाया था—यह कलम है ? तुमने—वह पुस्तक दी—मैं लाया था ? वह—आदमी है ? मैं—कैसे विश्वास करूँ—मित्र नहीं है। वहाँ ऐसा—नहीं था—मैं कुछ देता। जाने दो—विषय को—मेरे—काम का नहीं है। ईश्वर जाने—ले गया।

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो —

मेरे पर ऐसी दुख की घड़ी आई है कि कोई क्या कर सकती है ? मैं दोनों की पुस्तकें दी। मुझे और तुम चलोगे। उसने मैं और वह को अपराधी नहीं समझा। क्या तुम तुम्हारे तईं सब कार्य करोगे ? जो का सो को बिना जाने विश्वास नहीं कर लेना चाहिये। तू लोग काहे को सोचते हो। तुम का को कहा समझाते हो ? जौन तौन आदमी से क्या बतियाने लगते हो ? मुझे को और तुम्हें को क्या करना है।

सर्वनाम का शाब्दबोध ।

सर्वनाम के पदपरिचय में (क) प्रकार (ख) पुरुष (ग) वचन (घ) लिङ्ग (ङ) कारक (च) और वाक्य में जिस शब्द के साथ उसका सम्बन्ध हो वा जिसके स्थान पर आया हो वह शब्द। जैसे—आपने जिस पुस्तक को देखा था उसे मैंने भी पसन्द किया है।

आपने—आदर सूचक, पुरुषवाची सर्वनाम, मध्यमपुरुष, पुल्लिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग एकवचन (बहुवचनबोधक) कर्ताकारक, इसकी क्रिया 'देखा था' है।

जिस—सम्बन्ध वाचक सर्वनाम, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन, विशेषण रूप से कर्म कारक, इसका सम्बन्धी शब्द पुस्तक, और 'देखा था' क्रिया का कर्म।

उसे—सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम, एकवचन, स्त्रीलिङ्ग, पुस्तक के स्थान पर आया है और 'देखा था' इस क्रिया का कर्म है।

मैंने—पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एकवचन, पुल्लिङ्ग या स्त्रीलिंग, कर्ताकारक और 'पसन्द किया था' क्रिया का कर्ता है।

अभ्यास।

नीचे लिखे वाक्यों के सर्वनामों का शाब्दबोध करो—

यह पुस्तक किसकी है ? मेरी। आपका नहीं उसकी है। कौन कहता है कि पुस्तक का मालिक कोई और है मैं नहीं। जो बात हो गयी सो हो गयी। अब उसकी चर्चा से न हमें लाभ और न तुम्हें। यही क्यों ? औरों को भी तो इससे लाभ नहीं। क्या कहूँ। हमारे ऊपर न जाने कहाँ से, एक दो की बात कौन चलावे कई ऐसी ऐसी आपदायें टूट पड़ती है कि सब का हम पर तर्स आने लगती है।

क्रिया (Verb)

ऐसे पद समुदाय को 'वाक्य' कहते हैं जिससे एक निरपेक्ष पूर्णार्थ प्रकाश हो। जैसे—विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है।

प्रत्येक वाक्य में दो अंग अवश्य रहते हैं—एक 'उद्देश्य' और दूसरा 'विधेय'। 'उद्देश्य' वह है जिसके विषय में कुछ कहा जाय और 'विधेय' वह है जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है।

विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में 'विद्यार्थी' उद्देश्य और 'पढता है' यह विधेय है। विधेय क्रिया ही है।

जिस पद से किसी काम का करना वा होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के अन्त में 'ना' रहे और उसके अर्थ से कोई व्यापार समझा जाय तो वही क्रिया का साधारण रूप है। जैसे—पढ़ना, लिखना इत्यादि। यह 'क्रियार्थक' संज्ञा भी कहलाता है। यदि व्यापार वा काम न बोध हो तो सोना, कोना, चूना, धूना आदि के समान नान्त होने पर भी ऐसे शब्द संज्ञा ही होंगे और उनके आगे कारक के चिह्न आवेंगे।

व्यापारबोधक वा क्रियार्थक संज्ञा का 'ना' लोप करके जो बचता है वही क्रिया का मूल है। क्योंकि यह क्रिया के सब रूपों में पाया जाता है। इसे ही 'धातु' कहते हैं। जैसे, पढना का 'पढ', लिखना का 'लिख' ये दोनों धातु हैं। ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिये।

धातु में विविध प्रत्यय लगने के जो विविध रूप बनते हैं वे क्रियापद कहलाते हैं।

क्रिया के सामान्य भेद।

क्रिया दो प्रकार की होती है। एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक।

'सकर्मक' क्रिया वह है जो कर्म के साथ रहे अर्थात् जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड कर्म में रहे। जैसे—श्यामा ने राम को मारा। इसमें 'मारा' क्रिया का व्यापार श्याम में रहता है और मारने के व्यापार का फल श्याम को छोड राम में रहता है अर्थात् मारने का कार्य राम पर किया आता है। इससे यह सकर्मक क्रिया हुई।

'कर्म' वह है जिसमें क्रिया के व्यापार का फल रहता है। जैसे—ऊपर के वाक्य में 'राम' शब्द है।

यदि क्रिया सकर्मक हो पर उसके कर्म की विवक्षा न रहे अर्थात् क्रिया का केवल कार्य मात्र ही प्रकट किया जाय, तो वह 'अकर्मक' सी हो जाती है। जैसे—मैं सुनता हूँ, वह बोलता है, तू कहता है, इत्यादि।

कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं। जैसे—राम ने रावण को 'बाण' मारा। वह मुझे 'आगरा' ले गया, इत्यादि। पर इन दोनों वाक्यों की द्विकर्मक क्रियायें उसने मुझे 'पुस्तक' दी, इत्यादि वाक्यों की द्विकर्मक क्रियाओं से भिन्न सी ज्ञात होती हैं।

कुछ सकर्मक क्रियायें ऐसी भी होती हैं जिनका कर्म रहने पर भी बिना पूरक के अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे—उसने उसे बना दिया। मैंने उसे कर दिया। इन दोनों वाक्यों में यद्यपि कर्ता, कर्म, क्रिया सब कुछ है, पर वाक्य छूछे से मालूम पड़ते हैं और, क्या बना दिया? क्या कर दिया? ऐसे प्रश्नों को स्थान मिल जाता है। यदि इन दोनों वाक्यों में क्रमशः 'राजा' तथा 'स्वतन्त्र' शब्द जोड़ देते हैं तो दोनों वाक्य पूरे हो जाते हैं। ये कर्म पूरक शब्द कहलाते हैं।

'अकर्मक' क्रिया वह है जो बिना कर्म के हो अर्थात् जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों ही एक साथ कर्ता में रहें। जैसे—आलसी सोता है। इसमें 'सोने' का व्यापार आलसी ही करता है और सो भी वही जाता है अर्थात् सोने का काम और सोना दोनों उसीमें रहते हैं। इससे यह अकर्मक क्रिया हुई।

कुछ अकर्मक क्रियायें भी ऐसी होती हैं जो बिना पूरक के अपने अर्थ को पूरा नहीं करतीं। जैसे—वह हो गया। तुम मालूम पड़ते हो। इन दोनों वाक्यों में यदि क्रमश 'पण्डित' तथा 'उदास' ये शब्द न जोड़े जायँ तो इनके अर्थ पूरे न होंगे। ये कर्तृ पूरक शब्द कहे जाते हैं। प्राय पूरक विशेषण के से हो कर आते हैं।

धात्वर्थ को कर्म बनाने से अकर्मक भी सकर्मक हो जाते हैं। जैसे—वह 'एक नींद' सोता है। तू 'अच्छी बैठक' बैठता है। मोहन 'खूब लड़ाई' लड़ता है।

कुछ क्रियायें अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। जैसे-जी घबड़ाता है (अकर्मक)। विपद् मुझे घबड़ाती है (सकर्मक)। ऐसे ही खुजलाना, गड़बड़ाना आदि समझना चाहिये।

अभ्यास।

वाक्य किसे कहते हैं ? उद्देश्य विधेय क्या है ? इसके लक्षण क्या हैं ? क्रिया के लक्षण क्या हैं ? क्रियार्थकसंज्ञायें कैसी होती हैं क्रियायें कितने प्रकार की होती हैं ? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक किसे ? सकर्मक क्रिया कब अकर्मक और अकर्मक क्रिया कब सकर्मक होती है ? कर्तृपूरक और कर्मपूरक क्या हैं ? इनके उदाहरण बतावो। ऐसे दो वाक्य बनावो जिनमें दो कर्म हों। चार ऐसी क्रियाओं के उदाहरण दो जो अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। दस सकर्मक और दस अकर्मक क्रिया के वाक्य बनावो।

क्रिया के वाच्य(Voice)कृत भेद।

क्रिया के वाच्यकृत तीन भेद होते हैं—एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य।

कर्तृवाचक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के धातुओं में होती है। कर्मवाच्य क्रिया केवल सकर्मक धातु

की और भाववाच्य क्रिया केवल अकर्मक धातु की ही होती है।

जो क्रिया कर्ता के लिंग-वचन के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे—आदमी भात खाता है। स्त्रियाँ काम करती हैं।

जो क्रिया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे—मोहन ने रोटी खाई। स्त्रियों ने कपड़े पहने। मुझसे जलेबियाँ खायी गयीं।

कर्तृवाच्य में कर्ता का और कर्मवाच्य में कर्म का होना आवश्यक है। क्योंकि इन्हीं के अनुसार क्रियायें होती हैं और वे उक्त या प्रधान समझे जाते हैं।

भाववाच्य क्रिया वह है जो न कर्ता के लिङ्ग वचन के अनुसार हो और न कर्म के, लिङ्ग वचन के अनुसार, बल्कि सदा एकवचन, पुल्लिङ्ग और अन्यपुरुष हो। जैसे—मुझसे बैठा नहीं जाता। लड़कों को उठा दिया जाय। आया जाय। विद्यार्थी ने सारी पुस्तक को पढ डाला। पण्डित केशवराम भट्टजी ने भी अपने व्याकरण में इनके ऐसे ही लक्षण लिखे हैं।*

पण्डित रामावतार शर्मा साहित्याचार्य्य एम० ए० का वाच्य सम्बन्धी विचार यह है —

"क्रिया में वाच्यकृत तीन भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के वचन आदि कर्ता के अनुसार होते हैं, कर्मवाच्य क्रिया के वचन आदि कर्म के

* जिस क्रिया का लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्ता सा हो वह कर्तृवाच्य, जिसका कर्म सा वह कर्मवाच्य और जिसका न कर्ता सा न कर्म सा पर सदा पुल्लिङ्ग एकवचन अन्यपुरुष हो वह भाववाच्य कहलाती है।

अनुसार होते हैं और भाववाच्य क्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग रहती है। वाच्य का भेद केवल भूतकालिक क्रिया में होता है, कर्तृवाच्य के कर्ता में कोई चिह्न नहीं रहता। कर्मवाच्य के कर्म में कोई चिन्ह नहीं रहता और भाववाच्य के कर्ता में 'ने'* चिन्ह और कर्म में 'को' चिन्ह रहता है। जैसे कर्तृवाच्य—राम गया। कर्मवाच्य—मैंने रोटी खाई। भाववाच्य—सीता ने सखियों को बुलाया"।

(शर्म्माजी का हिन्दी-व्याकरणसार)

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि शर्म्माजी और भट्टजी जिस 'ने' को अन्यान्य वैयाकरणों ने प्रथमा विभक्ति का चिन्ह माना है उसे भी 'से' के समान ही तीसरी विभक्ति में मानते हैं।

प्राचीन हिन्दी के वैयाकरणों ने कर्मानुसारिणी क्रिया होने से कर्मप्रधान वाक्य का होना लक्षण तो माना है पर उदाहरण में 'मुझसे राम बुलाया जाता है' ऐसे ही वाक्य लिखे हैं और 'राम ने मुझसे पुस्तक दी' ऐसे वाक्य नहीं। बल्कि ऐसे वाक्यों को उन्होंने कर्तृवाच्य में रक्खा है। यह बात समझ में नहीं आती। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसे वाक्यों में कर्ता ही की प्रधानता देखी हो। क्योंकि, इसमें कर्म पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ता जैसा कि कर्ता पर। यह भी हो सकता है

* कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में सदा 'ने' चिह्न आता है। इसका अपवाद खा जा इत्यादि 'जा' धातु से समस्त धातुओं के प्रयोगों में पाया जाता है। ऐसे धातुओं के प्रयोगों में कर्ता में 'ने' अव्यय के बदले 'से' अव्यय लगता है। जैसे—मैं खा गया। इसका कर्मवाच्य 'मुझसे खाया गया है' न कि 'मुझने खाया गया है।' खाया गया 'खा जा' इस समस्त धातु का कर्मवाच्य है न कि शुद्ध 'खा' का जैसा कि सामान्यतः लोग समझते हैं।

कि ऐसे वाक्यों को कर्मवाच्य मान लेने से वाच्य परिवर्तन की अड़चन आ पड़ती हो। क्योंकि 'राम ने कपड़ा पहना' इस वाक्य को यदि कर्तृवाच्य मान लेते हैं।तो उससे कर्ता में 'से' लगा कर और 'जाना' इस क्रिया का रूप जोड़ कर 'मुझसे कपड़ा पहना गया' यह कर्मवाच्य बना लेते हैं, पर यदि उसे कर्मवाच्य मान लेते हैं तो उससे कर्तृवाच्य बना नहीं सकते। पर यह बात विचारणीय है। उनके वाक्य सम्बन्धी लक्षणों या उदाहरणों में परिवर्तन होना उचित है। जब सभी लोग कर्मानुसारिणी क्रिया का कर्मवाच्य होना लक्षण निश्चित करते हैं तो 'राम ने पुस्तक पढ़ी' ऐसे वाक्यों का कर्मवाच्य होना आवश्यक है।

अभ्यास।

क्रिया के वाच्यकृत कितने भेद होते हैं। कर्तृप्रधान क्रिया किसे कहते हैं? कर्म प्रधान क्रिया कैसी होती है? अकर्मक क्रिया कर्मप्रधान क्यों नहीं होती? भावप्रधान क्रिया का क्या लक्षण है? कर्तृकर्मवाच्य में कर्ता कर्म का होना क्यों आवश्यक है? शर्माजी और भट्टजी के वाच्य और 'ने' सम्बन्धी कैसे विचार हैं।

क्रिया के प्रकार(Mood)कृत भेद।

क्रिया के प्रकार कृत तीन भेद होते हैं एक साधारण, दूसरा सम्भाव्य और तीसरा आज्ञार्थक।

'साधारण' क्रिया उसे कहते हैं जिसमें साधारणत काम का होना कहा जाता है। जैसे—मैं करता हूँ। वह खा गया। मोहन जायगा। क्या कहते हो? आदि।

'सम्भाव्य क्रिया' वह है जिसमें अनिश्चयता, इच्छा या संशय पाया जाय। जैसे—यदि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। यदि मैं पण्डित होता।

होता, करता, पड़ता इत्यादि रूपों का प्रयोग हेतुहेतुमद्भूत काल में किया जाता है। जैसे—अगर वर्षा होती तो सस्ती होती। अगर वह आवे तो मैं जाऊँ, इत्यादि।

'आज्ञार्थक या विध्यर्थक' से आज्ञा उपदेश या प्रार्थना प्रकट होती है। जैसे—तुम घर जाओ। कल याद करके आना। अपना जीवन तुच्छ न समझो। परोपकार करो। कृपा कर मेरे पत्र का उत्तर अवश्य दीजिये। मुझे भूल न जाइयेगा। हमारी चीज न लीजिये।

एक प्रकार की क्रिया और होती है जो संज्ञा के रूप में आती है, 'उसे क्रियार्थक संज्ञा' कहते हैं। जैसे—'खेलना' एक व्यायाम है। 'पढ़ना' विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। 'चोरी करना' पाप है, इत्यादि।

संज्ञा होने के कारण इनकी भी कारक रचना होती है और इस प्रकार इनका व्यवहार होता। जैसे—मैं 'पढने को' आया हूं। न 'करने से' कुछ करना अच्छा है, 'खाने के लिये' जावो। 'पढने का फल' ज्ञान-लाभ है।

एक प्रकार की क्रिया और भी होती है। जिससे अपूर्णता प्रकट होती है। इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे—मैं 'पढ़ कर' बतलाऊँगा। 'खा करके' आवो।

एक प्रकार की क्रिया और होती है जिससे क्रिया और विशेषण दोनों का भाव प्रकट होता है और जिसे क्रिया-द्योतक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे—मैं दौड़ता दौड़ता' थक गया। लड़की 'रोती रोती' चुप हो गयी। वे 'कहते कहते' चले गये।

ऊपर की ये तीनों क्रियायें सामान्य हैं, इससे इनकी गणना प्रकारकृत भेदों में नहीं है।

अभ्यास।

क्रिया के प्रकारकृत भेद कितने हैं? प्रत्येक का लक्षण क्या है? क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया का क्या लक्षण है? क्रियाद्योतक संज्ञा किसे कहते हैं। सम्भाव्य और आज्ञार्थक के पाँच२ उदाहरण दो। क्रियार्थक संज्ञा के पाँच वाक्य बनाओ।

क्रिया के काल(Tense)कृत भेद।

क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल तीन हैं—भूत, भविष्य और वर्तमान।

जिससे क्रिया का बीते हुए समय में होना प्रकट हो वह भूतकाल है। जैसे—मैं पढ़ता था। वह पढ रहा था। तू आता तो अच्छा होता। उसने पढा होगा। मैंने पढा है। मैंने पढा।

आगे आने वाले समय में क्रिया का होना जिस काल से प्रकट हो वह भविष्यकाल है। जैसे—मैं पढूँगा।

जिस काल से वर्तमान समय में क्रिया का होना प्रकट हो वह वर्तमानकाल है। जैसे—बलदेव पढता है। मोहन पढ़ रहा है।

भूतकाल से यह जाना जाता है कि क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है या किसी समय वह होता था, भविष्य काल से जाना जाता है कि क्रिया का कार्य अभी प्रारम्भ होने वाला है और वर्तमान काल से जाना जाता है क्रिया का कार्य हो रहा है।

भूतकाल के छ भेद हैं—सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, सन्दिग्धभूत, अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत।

सामान्य भूतकाल वह है जिससे क्रिया की पूर्णता प्रकट हो पर भूतकाल की विशेषता नहीं। जैसे—मैं आया। मोहन ने पाठ पढा।

आसन्नभूतकाल उसे कहते हैं जिससे क्रिया की पूर्णता और काल की निकटता पायी जाय। जैसे—वह आया है। मैंने काम किया है।

पूर्णभूतकाल वह है जिससे क्रिया की पूर्णता और काल की दूरता पायी जाय। जैसे—तू गया था। मैंने काम किया था।

सन्दिग्धभूतकाल * वह है जिससे भूतकालिक क्रिया में सन्देह पाया जाय। जैसे—वह आयी होगी। तुमने पाठ पढ़ा होगा। तूने ऐसा काम किया हो।

अपूर्णभूतकाल उसे कहते हैं जिसके भूतकाल प्रकट होता हो पर कार्य की पूर्णता न प्रकट हो। जैसे—मैं सोता था। वह लेख लिखता था।

† हेतुहेतुमद्भूतकाल उसे कहते हैं जिसके कार्य और कारण का फल भूतकाल में पाया जाय। जैसे—यदि तुम पढ़े होते तो फेल कभी नहीं करते।

भविष्यकाल के भी दो भेद माने गये हैं—एक सामान्य भविष्य, दूसरा सम्भाव्य भविष्य।

* ऊपर के चार भूतकालों में सकर्मक धातु के कर्ता में 'ने' चिह्न आता है और कर्म में 'को' न रहने पर क्रिया लिङ्ग वचन में कर्मानुसार होती है।

† इसकी गणना सम्भाव्य क्रिया के प्रकार में होना ही उचित है। पण्डित रामावतार शर्म्मा ने अपने हिन्दी व्याकरण में पाँच ही भूतकाल माने हैं। वे प्रकार-कृत दो ही—साधारण और सम्भाव्य भेद मानते हैं। सम्भाव्य ही में वे आज्ञार्थक का अन्तर्भाव करते हैं। वे सम्भाव्य क्रिया के सम्बन्ध में लिखते हैं—

'सम्भाव्य क्रिया दो प्रकार की होती है—शुद्ध और हेतुहेतुमत्। शुद्ध सम्भाव्य में कालकृत भेद नहीं होता है, जैसे वे जायँ, तुम आओ इत्यादि। हेतुहेतुमत् सम्भाव्य में कालकृत दो भेद होते हैं। भूत—जैसे, वह जाता तो खाना पाता और भविष्य—जैसे, वह जाय तो खाना पावेगा।"

सामान्य भविष्य का लक्षण ऊपर लिखा आ चुका है। * सम्भाव्य भविष्य वह है जिससे भविष्यकाल और एक प्रकार की इच्छा प्रकट होती है। जैसे—कोई उसका पता ले। वे आयें।

वर्तमान काल के दो भेद हैं—एक सामान्य वर्तमान और दूसरा सन्दिग्ध वर्तमान।

सामान्य वर्तमान का लक्षण लिखा जा चुका है। सन्दिग्ध वर्तमान काल वह है जिससे वर्तमानकालिक क्रिया का सन्देह प्रकट होता हो। जैसे—वह आता होगा। वे पाठ पढ़ते होंगे। तू काम करता हो।

कोई २ तात्कालिक वर्तमान भी मानते हैं और उसका यह लक्षण करते हैं कि जिससे उसी क्षण में कार्य होना प्रकट हो वह तात्कालिक वर्तमान है। जैसे—वह पढ़ रहा है। पर यह भेद यदि माना जाय तो भूतकाल में भी सम्भव है। जैसे—वह पढ़ रहा था, इत्यादि।

कितने वैयाकरण 'मैं आता होता' इत्यादि वाक्यों में सम्भावना सहित कार्य की अपूर्णता और 'मैं गया होता' इत्यादि वाक्यों में सम्भावना सहित कार्य की पूर्णता देख क्रमशः सम्भाव्य अपूर्ण भूत और सम्भाव्य पूर्ण भूत नामक भूतकाल के और दो भेद मानते हैं। पर इनका हेतुहेतुमद्भूत अन्तर्भाव हो सकता है।

अभ्यास।

काल किसे कहते हैं? काल के कितने भेद हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के लक्षण क्या हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? प्रत्येक के लक्षण और उदाहरण बताओ?

---

* इसकी गणना सम्भाव्य क्रिया के प्रकार में ही होनी चाहिये।

भविष्य के कितने भेद हैं ? सम्भाव्य भविष्य का लक्षण क्या है ? वर्तमान के भेद कितने हैं। सन्दिग्ध वर्तमान का लक्षण क्या है ? तात्कालिक वर्तमान और साधारण वर्तमान में क्या अन्तर है ? शुद्ध और हेतुहेतुमत्सम्भाव्य क्रियायें कैसी होती हैं ?

नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं के प्रकार और काल बतावो—

तुम क्या करते हो ? मैं कल शाम को पढ़ रहा था। वे न जाने कल क्या करते थे। मुझे तंग मत करो, जो कुछ करना होगा, मैं कल कर दूँगा। मुझे कल घर को पत्र लिखना है। क्या करूँ मुझसे कुछ करते नहीं बनता। लेना हो तो ले लो नहीं तो पीछे पछतावोगे। मैं इसे आज ही पूरा कर दूँगा। चुरा कर पचाना ठट्ठा नहीं है। प्रीति तो कर ली पर उसे निबाहो तो जानें। मैं घूमता फिरता उनके घर चला गया। लेना एक न देना दो। कहकर क्या करोगे, जब कोई सुनता ही नहीं है।

क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष-कृत भेद।

लिङ्ग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के और भी भेद होते हैं और उनके कारण रूपों में बहुत हेर फेर होते हैं।

लिङ्ग भेद से क्रिया के दो भेद होते हैं, अर्थात् संज्ञा ही के समान क्रिया में भी दो लिङ्ग—स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग होते हैं। उक्त या प्रधान कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग होती है और लिङ्ग के कारण संज्ञा में जो परिवर्तन होते हैं वे इसमें भी होते हैं।* जैसे—लड़का पढ़ता है। लड़की पढ़ती है। मक्खन खाया गया। जलेबी खायी गयी। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ीं।

क्रिया में पुरुषकृत तीन भेद होते हैं। उत्तम, मध्यम और अन्य या प्रथम पुरुष। मैं और हम के अनुसार होने वाली

* कितने वैयाकरणों का सिद्धान्त है कि लिङ्ग कृत भेद क्रिया में किसी भाषा के व्याकरण में नहीं है। इससे 'पढ़ता' 'पढ़ती' 'खायी' इत्यादि विशेषण हैं। ये बहुधा कृदन्त से ही बनते हैं।

क्रियायें मध्यम पुरुष की और इनके अतिरिक्त सब शब्दों के अनुसार होनेवाली क्रियायें अन्यपुरुष की कहलाती हैं। कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है और इसके कारण क्रिया के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे—वह पढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ। तुम पढते हो। हम पढ़ते हैं। तू खा। लडकियाँ गाती हैं। स्त्री आती है। वह आये। मैं खाऊँ।

वचन के भेद से क्रिया दो प्रकार की होती है—एकवचन और बहुवचन। वचन के कारण क्रिया भाग में वे ही हेर फेर होते हैं जो संज्ञा के होते हैं। जैसे—वह आया है। हम आये हैं। तू आया है। तुम आये हो। मैं करता हूँ। हम करते हैं। गायें चरती हैं। स्त्री जाती है।

जब कर्ता में 'ने' चिह्न नहीं रहता तब क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्ता के समान होते हैं। जैसे—मैं जाता हूँ। तू जाता है। लडकियाँ पढ़ती हैं। वे गये।

जब कर्ता में 'ने' चिह्न रहे और कर्म में 'को' चिह्न न हो तो क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्म के समान होते हैं। जैसे—मोहन ने पुस्तकें पढ़ीं। स्त्री ने आम खाया। राम ने ग्रन्थ देखे।

जब कर्ता में 'ने' और कर्म में 'को' चिह्न रहे तो क्रिया सदा पुल्लिङ्ग, एकवचन अन्यपुरुष की होती है। जैसे, सीता ने सखियों को बुलाया। लडके ने बिल्ली को पकडा। लडकों ने तोतों को पाला था।

भावप्रधान क्रियाओं में भी क्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग अन्यपुरुष की होती है। जैसे—मुझसे बैठा नहीं जाता। उनको बुला दिया जाय।

अभ्यास ।

क्रियाओं में लिङ्ग, पुरुष और वचन किसके अनुसार होते हैं ? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की क्रियाओं के कर्ता कौन २ होते हैं ? कर्ता के अनुसार कब क्रिया होती है और कब कर्म के अनुसार। कहाँ कहाँ क्रिया एकवचन, अन्य पुरुष और पुल्लिङ्ग होती है ?

क्रिया की पहली रूपरचना ।

'सामान्य भूत'—क्रिया का सामान्य रूप पढना, लिखना, चलना, करना, आदि है। इनमें से 'ना' हटा देने पर पढ, लिख, चल आदि जो बचते हैं वे क्रिया के मूल धातु हैं। इन्हीं धातुओं के अन्तिम स्वर को दीर्घ करने से सामान्य भूतकाल की क्रिया बनती है। जैसे—पढ्-पढ़ा, लिख-लिखा, चल-चला, इत्यादि। बहुवचन में अकारान्त एकारान्त हो जाते हैं। जैसे—पढ़े, लिखे, चले आदि। और, स्त्रीलिङ्ग में एक वचन बहुवचन में 'आ' को क्रमश 'इ' और 'ई' कर देते हैं। जैसे—चली-चलीं इत्यादि।

यदि धातु स्वरान्त हो तो उनकी सामान्य भूतकालिक क्रियायें भिन्न २ रूप से बनती हैं। धातु के अन्त में यदि 'आ' हो तो 'या' जोड देते हैं। जैसे—'खा' से खाया। 'ई'कारान्त धातु हो तो 'ई' ह्रस्व करके 'या' लगाते हैं। जैसे—'पी' से पिया। यदि ऊकारान्त हो तो ह्रस्व करके 'आ' लगाते हैं। जैसे—'छू' से छुआ। यदि एकारान्त धातु हो तो 'ए'कार का इकार करके 'या' जोड़ते हैं। जैसे—'दे' से दिया। 'ले' से लिया। ओकारान्त धातु में केवल 'या' जोडते हैं। जैसे—'सो' से सोया। होना, जाना और करना इन तीनों धातुओं की ऐसी क्रियायें अनियमित रूप से होती हैं। जैसे—'हो से हुआ,

'कर' से किया, 'जा' से गया। पुलिङ्ग बहुवचन में इन सबों के आकार का एकार और स्त्रीलिङ्ग एकवचन में इकार हो जाता है। जैसे–खाये, पिये, छुए, दिये, लिये, हुए, किये, गये, खायी, छुई, हुई, गयी। किन्तु स्त्रीलिङ्ग में किया, दिया, लिया, पिया, के क्रमश की, दी, ली, पी, आदेश हो जाते हैं और स्त्रीलिङ्ग बहुवचन में इन सबों पर अनुस्वार दे दिया जाता है। जैसे, खायीं, छुईं, हुईं, गयीं, दीं, लीं, कीं, पीं।

इसी सामान्याम्य भूत क्रिया से अन्याम्य प्रत्ययों के करने से आसन्नभूत, पूर्णभूत और सन्दिग्धभूत की क्रियायें बनती हैं।

आसन्नभूत—सामान्यभूत अकर्मक क्रिया के आगे उत्तम पुरुष के एकवचन में 'हूँ', मध्यम पुरुष के बहुवचन में 'हो' और अन्यत्र एकवचन में 'है' और बहुवचन में 'हैं' लगा कर तीनों पुरुष की क्रियायें बनायी जाती हैं और सकर्मक क्रिया के आगे कर्म के वचन के अनुसार 'है' 'हैं' तीनों पुरुष में आते हैं।

'पूर्णभूत'—सामान्यभूत क्रिया के आगे पुलिंग और स्त्रीलिंग के एकवचन तथा बहुवचन के अनुसार क्रमश था, थी, थे, थीं के जोड देने से पूर्ण भूतकाल की क्रिया बन जाती है।

'सन्दिग्धभूत'—सामान्यभूत अकर्मक क्रिया के आगे उत्तम पुरुष के एकवचन में होऊँ, होगा या होऊँगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन में होगे, होवोगे और अन्यत्र एकवचन में होगा, होवेगा, हो और बहुवचन में होंगे या होवेंगे या हों जोडकर और स्त्रीलिंग में इन्हें ईकारान्त बना कर तीनों पुरुष की क्रियायें बना ली जाती हैं। और, सकर्मक क्रिया के आगे

कर्म के लिंग, वचन के अनुसार हो हों, होगा होंगे, होगी होंगी, तीनों पुरुष में आती हैं।

इन चार सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतों के उदाहरण नीचे की रूपावली में स्पष्ट हैं।

अकर्मक सामान्य भूतकाल।

'चलना' धातु।

कर्त्ता पुल्लिंग।

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	मैं चला	हम चले
म० पु०	तू चला	तुम चले
अ० पु०	वह चला	वे चले
	कर्त्ता स्त्रीलिंग।	
उ० पु०	मैं चली	हम चलीं
म० पु०	तू चली	तुम चलीं
अ० पु०	वह चली	वे चलीं

आसन्न भूतकाल।

कर्त्ता पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं चला हूँ	हम चले हैं
म० पु०	तू चला है	तुम चले हो
अ० पु०	वह चला है	वे चले हैं
	कर्त्ता स्त्रीलिङ्ग	
उ० पु०	मैं चली हूँ	हम चली हैं
म० पु०	तू चली है	तुम चली हो
अ० पु०	वह चली है	वे चली हैं

पूर्ण भूतकाल।

कर्ता पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं चला था	हम चले थे
म० पु०	तू चला था	तुम चले थे
अ० पु०	वह चला था	वे चले थे

कर्ता स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं चली थी	हम चली थीं
म० पु०	तू चली थी	तुम चली थीं
अ० पु०	वह चली थी	वे चली थीं

सान्दिग्ध भूतकाल।

कर्ता पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं चला होगा, हूँगा, होऊँ	हम चले होंगे, हों
म० पु०	तू चला होगा, हो	तुम चले होगे, हो
अ० पु०	वह चला होगा, हो	वे चले होंगे, हों

कर्ता स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं चली होगी, होऊँगी, होऊँ,	हम चली होंगी, हों
म० पु०	तू चली होगी, हो	तुम चली होगी, हों
अ० पु०	वह चली होगी, हो	वे चली होंगी, हों

सकर्मक क्रिया के इन भूतकालों में कर्तृप्रधान रूप नहीं होते बल्कि कर्म प्रधान रूप होते हैं। इससे कर्ता स्त्रीलिङ्ग या पुल्लिङ्ग, एकवचन या बहुवचन, कुछ हो, उसकी अपेक्षा क्रिया को नहीं रहती। बल्कि कर्म जैसा होता है वैसा ही रूप होता है। नीचे वैसे ही उदाहरण दिये हैं।

सकर्मक 'पढ़ना' धातु ।

सामान्य भूतकाल ।

कर्म पुल्लिङ्ग ।

उ० पु०	मैंने ग्रन्थ पढ़ा	हमने ग्रन्थ पढ़े
म० पु०	तूने ग्रन्थ पढ़ा	तुमने ग्रन्थ पढ़े
अ० पु०	उसने ग्रन्थ पढ़ा	उन्होंने ग्रन्थ पढ़े

कर्म स्त्रीलिङ्ग ।

उ० पु०	मैंने पुस्तक पढ़ी	हमने पुस्तकें पढ़ीं
म० पु०	तूने पुस्तक पढ़ी	तुमने पुस्तकें पढ़ीं
अ० पु०	उसने पुस्तक पढ़ी	उन्होंने पुस्तकें पढ़ीं

आसन्न भूतकाल ।

कर्म पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग ।

एकवचन—मैंने, तूने, उसने ग्रन्थ पढ़ा है वा पुस्तक पढ़ी है।
बहुवचन—हमने, तुमने, उन्होंने ग्रन्थ पढ़े हैं वा पुस्तकें पढ़ी हैं।

पूर्ण भूतकाल ।

मैंने, हमने, तूने, तुमने उसने, उन्होंने—
कर्म पु० ए० ग्रन्थ पढा था   कर्म स्त्री० ए० पुस्तक पढ़ी थी।
कर्म पु० ब० ग्रन्थ पढ़े थे   कर्म स्त्री ब० पुस्तकें पढ़ी थीं।

सन्दिग्ध भूतकाल ।

मैंने हमने, तूने तुमने, उसने उन्होंने—
कर्म पु० ए० ग्रन्थ पढा होगा, कर्म स्त्री० ए० पुस्तक पढ़ी होग
कर्म पु० ब० ग्रन्थ पढ़े होंगे, कर्म स्त्री० ब० पुस्तकें पढ़ी होंगी

बोलना आदि जिन सकर्मक धातुओं के कर्ता में 'ने' चि नहीं आता उनके रूप 'चलना' धातु के ही समान होते हैं।

अभ्यास ।

क्रिया का सामान्य रूप कैसा होता है ? उसका चिन्ह जब नहीं रहता तब क्या बच जाता है ? सामान्य भूत कैसे बनता है ? स्वरान्त धातुओं की सामान्य भूतकाल की क्रिया कैसे बनती है ? आसन्न पूर्ण और सन्दिग्धभूत की क्रियाओं की रचना कैसे होती है ? अकर्मक और सकर्मक क्रिया की रचना में क्या अन्तर है ? सकर्मक में उपर्युक्त भूतकालों की क्रिया किसके अनुसार होती है ? इनकी रूप रचना में कहाँ विशेष, भेद होता है ?

क्रिया की दूसरी रूप रचना ।

हेतुहेतुमद्भूत-क्रिया के मूल धातु के अन्त में पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिंग के एकवचन तथा बहुवचन में क्रमश ता, ते, ती, तीं जोड देने से हेतुहेतुमद्भूत क्रिया बनती है। जैसे—चलता चलते, चलती, चलतीं इत्यादि। कोई २ धातु के सामान्य भूतकालिका क्रिया के साथ होना धातु के मूल में उपर्युक्त प्रत्यय लगा कर भी यह क्रिया बनाते हैं। जैसे—मैं चला होता। वे पढ़े होते। तू चली होती। हम चली होतीं, इत्यादि।

इसी हेतुहेतुमद्भूत क्रिया से अन्यान्य प्रत्ययों के करने पर अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान और सन्दिग्ध वर्तमान की क्रियायें बनती हैं।

'अपूर्ण भूत'—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिंग वचन के अनुसार था, थी, थे, थीं, के लगाने से अपूर्ण भूत की क्रिया बन जाती है।

'सामान्य वर्तमान'—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे उत्तम पुरुष के एकवचन में 'हूँ' मध्यम पुरुष के बहुवचन में 'हो' और अन्यत्र एकवचन में 'है' और बहुवचन में 'हैं' जोडने से तीनों पुरुष की क्रियायें बन जाती हैं।

'सन्दिग्ध वर्तमान'-हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिंग और

वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के एकवचन में होऊँ वा होगा, होगी, वा हूँगा, हूँगी, वा होऊँगा होऊँगी और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हो, वा होगे वा होवोगे, होगी वा होवोगी तथा अन्यत्र एकवचन में हो, होगा वा होवेगा, होगी या होवेगी और बहुवचन में हों, होंगे वा होवेंगे, होगी वा होवेंगी जोडने से सन्दिग्ध वर्तमान की क्रियायें बन जाती हैं।

इन चार—हेतुहेतुमद्भूत, अपूर्णभूत, सामान्य वर्तमान और सन्दिग्ध वर्तमान के उदाहरण नीचे की क्रियावली में स्पष्ट हैं।

अकर्मक 'चलना' धातु।

हेतुहेतुमद्भूत काल।

कर्ता पुलिङ्ग।

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	मैं चलता	हम चलते
म० पु०	तू चलता	तुम चलते
अ० पु०	वह चलता	वे चलते

कर्ता स्त्रीलिङ्ग

उ० पु०	मैं चलती	हम चलतीं
म० पु०	तू चलती	तुम चलतीं
अ० पु०	वह चलती	वे चलतीं

अपूर्ण भूतकाल।

कर्ता पुलिङ्ग।

उ० पु०	मैं चलता था	हम चलते थे
म० पु०	तू चलता था	तुम चलते थे
अ० पु०	वह चलता था	वे चलते थे

कर्ता स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं चलती थी	हम चलती थीं
म० पु०	तू चलती थी	तुम चलती थीं
अ० पु०	वह चलती थी	वे चलती थीं

सामान्य वर्तमान काल।

कर्ता पुलिंग।

उ० पु०	मैं चलता हूँ	हम चलते हैं
म० पु०	तू चलता है	तुम चलते हो
अ० पु०	वह चलता है	वे चलते हैं

कर्ता स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं चलती हूँ	हम चलती हैं
म० पु०	तू चलती है	तुम चलती हो
अ० पु०	वह चलती है	वे चलती हैं।

सन्दिग्ध वर्तमान काल।

कर्ता पुलिंग।

उ० पु०	मैं चलता होगा, हूँगा, होऊँ	हम चलते होंगे, हों
म० पु०	तू चलता होगा, हो	तुम चलते होगे, हो
अ० पु०	वह चलता होगा, हो	वे चलते होंगे, हों

कर्ता स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं चलती होगी, हूँगी	हम चलती होंगी, होऊँगी
म० पु०	तू चलती होगी	तुम चलती होंगी
अ० पु०	वह चलती होगी	वे चलती होंगी

सकर्मक 'पढ़ना' धातु ।

हेतुहेतुमद्भूत काल ।

कर्ता पुल्लिंग ।

उ० पु०	मैं पुस्तक पढता	हम पुस्तकें पढते
म० पु०	तू पुस्तक पढता	तुम पुस्तकें पढ़ते
अ० पु०	वह पुस्तक पढता	वे पुस्तकें पढते

कर्ता स्त्रीलिंग ।

उ० पु०	मैं ग्रन्थ पढती	हम ग्रन्थ पढ़तीं
म० पु०	तू ग्रन्थ पढ़ती	तुम ग्रन्थ पढतीं
अ० पु०	वह ग्रन्थ पढती	वे ग्रन्थ पढ़तीं

अपूर्ण भूतकाल ।

कर्ता पुलिंग ।

उ० पु०	मैं ग्रन्थ पढता था	हम पुस्तकें पढ़ते थे
म० पु०	तू ग्रन्थ पढता था	तुम पुस्तकें पढते थे
अ० पु०	वह ग्रन्थ पढ़ता था	वे पुस्तकें पढते थे

कर्ता स्त्रीलिंग ।

उ० पु०	मैं ग्रन्थ पढती थी	हम पुस्तकें पढती थीं
म० पु०	तू ग्रन्थ पढती थी	तुम पुस्तकें पढती थीं
अ० पु०	वह ग्रन्थ पढ़ती थी	वे पुस्तकें पढ़ती थीं

सामान्य वर्तमान काल ।

कर्ता पुल्लिंग ।

उ० पु०	मैं ग्रन्थ पढता हूं	हम ग्रन्थ पढते हैं
म० पु०	तू ग्रन्थ पढ़ता है	तुम ग्रन्थ पढ़ते हो
अ० पु०	वह ग्रन्थ पढ़ता है	वे ग्रन्थ पढते हैं

कर्ता स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं पुस्तक पढ़ती हूँ	हम पुस्तकें पढ़ती हैं
म० पु०	तू पुस्तक पढ़ती है	तुम पुस्तकें पढ़ती हो
अ० पु०	वह पुस्तक पढ़ती है	वे पुस्तकें पढ़ती हैं

सन्दिग्ध वर्तमान काल।

कर्ता पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं ग्रन्थ पढ़ता होगा, हूँगा	हम पुस्तकें पढ़ते होंगे
म० पु०	तू ग्रन्थ पढ़ता होगा	तुम पुस्तकें पढ़ते होगे
अ० पु०	वह ग्रन्थ पढ़ता होगा	वे पुस्तकें पढ़ते होंगे

कर्ता स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं ग्रन्थ पढ़ती होगी, हूँगी	हम ग्रन्थ पढ़ती होंगी
म० पु०	तू ग्रन्थ पढ़ती होगी	तुम ग्रन्थ पढ़ती होगी
अ० पु०	वह ग्रन्थ पढ़ती होगी	वे ग्रन्थ पढ़ती होंगी

तात्कालिक वर्तमान और तात्कालिक भूतकाल की रूपावली क्रमश: 'रहा है' 'रहा था' क्रियाओं को लिंगवचन के अनुसार जोड़ कर सामान्य वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल की रूपावली के समान बना ली जाती हैं।

अभ्यास।

हेतुहेतुमद् भूत की क्रिया कैसे बनती है? इस क्रिया से अन्यान्य कौन २ क्रियायें बनती हैं। अपूर्ण भूत सामान्य वर्तमान और सन्दिग्ध वर्तमान की क्रियायें कैसे बनती हैं। तात्कालिक वर्तमान और तात्कालिक भूत की रूपावली कहो।

क्रिया की तीसरी रूप-रचना।

सम्भाव्य भविष्य क्रिया—मूल हलन्त धातु से उत्तम पुरुष के एकवचन में 'ऊँ' मध्यम पुरुष के बहुवचन में 'ओ' अन्यत्र एकवचन में 'ए' और बहुवचन में 'एँ' जोड़ देने से

तीनों पुरुष की सम्भाव्य भविष्य क्रियायें बन जाती हैं। और, स्वरान्त धातु में 'ऊँ' और 'ओ' (वो) धातु से मिल ते नहीं तथा 'ए' के स्थान पर 'वे' या 'ये' और 'एँ' के स्थान पर 'वें' या 'यें' होते हैं। दोनों लिंगों में इसके एक से रूप होते हैं। जैसे—चलूँ, चले, चलें चलो इत्यादि।

सामान्य भविष्य—इसी सम्भाव्य क्रिया के आगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एकवचन तथा बहुवचन में क्रमश: गा, गी, गें, गीं जोड देने से समान्य भविष्यकाल को क्रियायें तीनों पुरुष में बन जाती हैं।

विध्यर्थक वा आज्ञार्थक—इसके सब रूप सम्भाव्य भविष्य के से होते हैं। केवल मध्यम पुरुष के एकवचन में मूल धातु का आकार ज्यों का त्यों रहता है। कोई २ यह रूप-भेद भी नहीं मानते और सब समान ही बतलाते हैं। इन दोनों का भेद केवल अर्थ ही से समझा जा सकता है। इसके भी दोनों लिंगों में एक से रूप होते हैं।

नीचे की क्रियारूपावली में इनके उदाहरण स्पष्ट किये जाते हैं।

अकर्मक हलन्त 'चलना' धातु।

सम्भाव्य भविष्य काल।

कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	मैं चलूँ	हम चलें
मध्यम पुरुष	तू चले	तुम चलो
अन्य पुरुष	वह चले	वे चलें

अकर्मक स्वरान्त 'जाना' धातु।

कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं जाऊँ	हम जावें
म० पु०	तू जावे	तुम जावो
अ० पु०	वह जावे	वे जावें

सामान्य भविष्य काल।

उ० पु०	मैं जाऊँगा	हम * जायेंगे वा जावेंगे
म० पु०	तू जावेगा	तुम जावोगे
अ० पु०	वह जावेगा	वे जावेंगे वा जायेंगे

कर्ता स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं जाऊँगी	हम जायेंगी, जावेंगी
म० पु०	तू जावेगी	तुम जावोगी
अ० पु०	वह जावेगी	वे जावेंगी, जायेंगी।

ऐसे ही हलन्त 'चल' धातु के भी रूप दोनों लिंगों में होते हैं।

आज्ञार्थक वा विध्यर्थक क्रिया।

कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं चलूँ	हम चलें
म० पु०	तू चल (चले)	तुम चलो †
अ० पु०	वह चले	वे चलें

* कोई जने जावेंगे भी बोलते हैं।

† यदि कर्ता 'आप' होगा तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही का रूप होगा जैसे—आप चलें।

सकर्मक 'पढ़ना' धातु।

सामान्य भविष्य काल।

कर्ता पुल्लिंग।

उ० पु०	मैं पुस्तक पढ़ूँगा	हम पुस्तक पढ़ेंगे
म० पु०	तू पुस्तक पढ़ेगा	तुम पुस्तक पढ़ोगे
अ० पु०	वह पुस्तक पढ़ेगा	वे पुस्तक पढ़ेंगे

कर्ता स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं ग्रन्थ पढ़ूँगी	हम ग्रन्थ पढ़ेंगी
म० पु०	तू ग्रन्थ पढ़ेगी	तुम ग्रन्थ पढ़ोगी
अ० पु०	वह ग्रन्थ पढ़ेगी	वे ग्रन्थ पढ़ेंगी

शेष संभाव्य भविष्यकाल की और विध्यर्थक क्रियायें अकर्मक के समान ही होती हैं। क्रिया से प्रकारकृत भेदों में साधारण, सम्भाव्य और आज्ञार्थक, तीन प्रकार के भेद लिखे गये हैं। इन तीन भेदों में ही उपर्युक्त सब क्रियायें अन्तर्भूत हो जाती हैं। आज्ञार्थक आज्ञार्थक में, हेतुहेतुमद्भूत, सन्दिग्ध वर्तमान और सामान्य भविष्य* सम्भाव्य क्रिया में और शेष क्रियायें साधारण क्रिया में चली जाती हैं। इस प्रकार तीनों की रूपावली सम्पन्न होनी है।

उपर्युक्त इन क्रियाओं के अतिरिक्त तीन प्रकार की और क्रियायें भी हिन्दी में व्यवहृत होती हैं। ये यद्यपि इन्हींमें अन्तर्भूत हैं तथापि इनकी रचना और व्यवहार भिन्न है। जैसे—आइये, आइयेगा और आइयो। इन तीनों के आदर पूर्वक विधि, प्रार्थनार्थक विधि और परोक्ष विधि नाम हैं।

* इसमें विशेषता यह है कि वाक्य से यदि (अगर) का प्रयोग होता है। जैसे, हेतुहेतुमद्भूत—यदि मैं चलता। सन्दिग्ध वर्तमान—यदि मैं चलता होऊँ। सामान्य भविष्य में यदि चलूँ, इत्यादि।

पहले से सम्मान, दूसरे से प्रार्थना (इसमें भविष्यकाल का सा भास होता है) और तीसरे से परोक्ष का बोध होता है। ये तीनों क्रियायें आज्ञार्थक ही के भेद में जा सकती हैं और मध्यम पुरुष ही में इनके रूप होते हैं।

धातु से 'इये' लगाकर आदरपूर्वक विधि, इसीके आगे 'गा' जोड़ कर प्रार्थनापूर्वक विधि और 'इयो' जोड़कर परोक्ष विधि की क्रियायें बनती हैं। जैसे– चल– चलिये, पढ़– पढ़िये जा—जाइये, चलियेगा पढ़ियेगा, जाइयेगा और चलियो, पढ़ियो, जाइयो इत्यादि।

करना, पीना, लेना, देना, होना इन धातुओं के रूप अनियमित होते हैं। जैसे, कीजिये (करिये) दीजिये, पीजिये, लीजिये, हूजिये, कीजियेगा, पीजियेगा, कीजियो, पीजियो इत्यादि।

अभ्यास।

सम्भाव्य भविष्य क्रिया किसे कहते हैं? इसकी रूपरचना कैसे होती है? सम्भाव्य भविष्य से अन्यान्य कौन २ क्रियायें बनती हैं? सामान्य भविष्य की रचना कैसे होती है? सम्भाव्य भविष्य और विध्यर्थक क्रिया में क्या अन्तर है? उनका परस्पर रूपभेद कहाँ होता है? सम्भाव्य क्रिया में कौन कौन क्रिया आती हैं? इसमें विशेषता क्या है? आदर, प्रार्थना और परोक्षविधि की क्रियायें कैसी होती हैं? तीनों के लक्षण कर रूप रचना बतावो। किस धातु में इसकी रूपरचना अनियमित रूप से होती है?

कर्म और भावप्रधान क्रिया की रूप-रचना।

जिन क्रियाओं के कर्ता में 'ने' चिन्ह आता है और कर्म में 'को' चिन्ह नहीं आता उनकी क्रियायें कर्म प्रधान होती हैं। किन्तु उनके रूप सब कालों में नहीं होते। केवल चार भूत कालों ही में होते हैं। पर एक प्रकार की अन्य कर्मप्रधान क्रिया होती है जिसके रूप सब कालों में होते हैं।

इस कर्मप्रधान क्रिया के बनाने की रीति यह है कि मुख्य धातु की सामान्यभूत क्रिया के आगे 'जाना' धातु के रूपों को काल, पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार जोड़ देते हैं। यदि कर्त्ता आता है तो 'से' सहित और क्रियायें कर्मानुसारिणी होती हैं। जैसे—मुझसे वह देखा गया। उससे हम देखे गये। तुझसे वे देखी गयीं, इत्यादि। इसमें कर्त्ता प्रायः अप्रकट रहता है। नीचे सब रूप यथाक्रम लिखे जाते हैं।

सकर्मक 'देखा जाना' धातु।

सामान्य भूतकाल।

कर्म पुल्लिङ्ग।

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	मैं देखा गया	हम देखे गये
म० पु०	तू देखा गया	तुम देखे गये
अ० पु०	वह देखा गया	वे देखे गये

कर्म स्त्रीलिंग।

उ० पु०	मैं देखी गयी	हम देखी गयीं
म० पु०	तू देखी गयी	तुम देखी गयीं
अ० पु०	वह देखी गयी	वे देखी गयीं

आसन्नभूत।

कर्म पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखा गया हूँ	हम देखे गये हैं
म० पु०	तू देखा गया है	तुम देखे गये हो
अ० पु०	वह देखा गया है	वे देखे गये हैं

कर्म स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखी गयी हूँ	हम देखी गयी हैं
म० पु०	तू देखी गयी है	तुम देखी गयी हो
अ० पु०	वह देखी गयी है	वे देखी गयी हैं

पूर्णभूत।

कर्म पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखा गया था	हम देखे गये थे
म० पु०	तू देखा गया था	तुम देखे गये थे
अ० पु०	वह देखा गया था	वे देखे गये थे

कर्म स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखी गयी थी	हम देखी गयी थीं
म० पु०	तू देखी गयी थी	तुम देखी गयी थीं
अ० पु०	वह देखी गयी थी	वे देखी गयी थीं

सन्दिग्ध भूत।

कर्म पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखा गया होऊँगा, होगा	हम देखे गये होंगे
म० पु०	तू देखा गया होगा	तुम देखे गये होगे
अ० पु०	वह देखा गया होगा	वे देखे गये होंगे

कर्म स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखी गयी हूँगी	हम देखी गयी होंगी
म० पु०	तू देखी गयी होगी	तुम देखी तयी होंगी
अ० पु०	वह देखी गयी होगी	वे देखी गयी होंगी

हेतुहेतुमद्भूत काल।

कर्म पुल्लिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखा जाता	हम देखे जाते

म० पु०	तू देखा जाता	तुम देखे जाते
अ० पु०	वह देखा जाता	वे देखे जाते

कर्म स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखी जाती	हम देखी जातीं
म० पु०	तू देखी जाती	तुम देखी जातीं
अ० पु०	वह देखी जाती	वे देखी जातीं

अपूर्ण भूतकाल।

कर्म पुलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखा जाता था	हम देखे जाते थे
म० पु०	तू देखा जाता था	तुम देखे जाते थे
अ० पु०	वह देखा जाता था	वे देखे जाते थे

कर्म स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखी जाती थी	हम देखी जाती थीं
म० पु०	तू देखी जाती थी	तुम देखी जाती थीं
अ० पु०	वह देखी जाती थी	वे देखी जाती थीं

सामान्य वर्त्तमानकाल।

कर्म पुलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखा जाता हूँ	हम देखे जाते हैं
म० पु०	तू देखा जाता है	तुम देखे जाते हो
अ० पु०	वह देखा जाता है	वे देखे जाते हैं

कर्म स्त्रीलिङ्ग।

उ० पु०	मैं देखी जाती हूँ	हम देखी जाती हैं
म० पु०	तू देखी जाती है	तुम देखी जाती हो
अ० पु०	वह देखी जाती है	वे देखी जाती हैं

सन्दिग्ध वर्त्तमानकाल ।

कर्म पुल्लिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखा जाता हूँगा, होगा	हम देखे जाते होंगे
म० पु०	तू देखा जाता होगा	तुम देखे जाते होगे
अ० पु०	वह देखा जाता होगा	वे देखे जाते होंगे

कर्म स्त्रीलिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखी जाती हूँगी, होगी	हम देखी जाती होंगी
म० पु०	तू देखी जाती होगी	तुम देखी जाती होगी
अ० पु०	वह देखी जाती होगी	वे देखी जाती होंगी

सामान्य भविष्यकाल ।

कर्म पुल्लिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखा जाऊँ	हम देखे जावें
म० पु०	तू देखा जावे, जाय	तुम देखे जावो, जायें*
अ० पु०	वह देखा जावे, जाय	वे देखे जावें, जायें

कर्म स्त्रीलिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखी जाऊँ	हम देखी जावें, जायें
म० पु०	तू देखी जावे, जाय	तुम देखी जावो
अ० पु०	वह देखी जावे, जाय	वे देखी जावें, जायें

सामान्य भविष्यकाल ।

कर्म पुल्लिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखा जाऊँगा	हम देखे जावेंगे, जायेंगे
म० पु०	तू देखा जायगा, जायेगा	तुम देखे जावोगे
अ० पु०	वह देखा जायगा, जावेगा	वे देखे जावेंगे, जायेंगे

* ऐसे स्थानों पर एकार रहित रूप भी बोलते हैं । जैसे—जायें, जायेंगे इत्यादि

कर्म स्त्रीलिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखी जाऊँगी	हम देखी जावेंगी, जायेंगी
म० पु०	तू देखी जावेगी, जायगी	तुम देखी जावोगी
अ० पु०	वह देखी जावेगी, जायगी	वे देखी जावेंगी, जायेंगी

विधि क्रिया ।

कर्म पुल्लिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखा जाऊँ	हम देखे जावें, जायें
म० पु०	तू देखा जाय	तुम देखे जावो
अ० पु०	वह देखा जावे	वे देखे जावें

कर्म स्त्रीलिङ्ग ।

उ० पु०	मैं देखी जाँऊ	हम देखी जावें, जायें
म० पु०	तू देखी जा	तुम देखी जावो
अ० पु०	वह देखी जावे	वे देखी जावें

आदरपूर्वकविधि	प्रार्थनात्मकविधि	परोक्षविधि
देखे जाइये	देखे जाइयेगा	देखे जाइयो
	पूर्वकालिक	क्रियार्थक
देखा जाकर,	देखा जा करके	देखा जाना

इस कर्मप्रधान क्रिया में स्वरान्त 'जाना' धातु के भी रूप 'पढ़ना' 'चलना' धातु के समान 'देखना' धातु के साथ चले आये हैं।

भाव प्रधान क्रिया का रूप नहीं चलता। क्योंकि उसका रूप एकसा होता है।

अभ्यास ।

कर्मप्रधान क्रिया किसे कहते हैं ? उसकी क्रिया कैसे बनती है ? कर्मप्रधान क्रिया के कर्ता कैसे होते हैं ? उनमें कौन २ चिह्न आते हैं ? कब २ इनका प्रयोग होता है ? भावप्रधान क्रिया के उदाहरण कैसे होते हैं। इसकी रूपावली क्यों नहीं होती ?

अन्यान्य क्रियायें।

वह सकर्मक क्रिया जो व्यापार करने वाले के अतिरिक्त अलग २ दो पदार्थ, जिन पर उसके व्यापार का फल समाप्त हो ढूँढे, द्विकर्मक कहलाती है। जैसे—'उसने ब्राह्मण को गाय दी'। इसमें 'दी' क्रिया को व्यापार करने वाले 'उसने' इस कर्ता के अतिरिक्त एक दी जाने वाली वस्तु (गाय) की और दूसरे उस मनुष्य की, जिसे (ब्राह्मण) वह वस्तु दी जाने वाली है, अपेक्षा है।

देना धातु को छोड़ कर अन्यान्य द्विकर्मक धातुओं के दूसरे कर्म में 'को' के स्थान पर 'से' आता है। जैसे-ब्राह्मण 'राजा से' धन माँगता है। वह चावल से (को) भात पकाता है। ऐसे ही 'बताना' 'कहना' आदि को भी समझना चाहिये।

अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के अतिरिक्त एक प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। जब कर्ता स्वय अर्थात बिना किसीकी प्रेरणा के क्रिया के व्यापार को करता है तब क्रिया का प्रयोग स्वार्थक होता है। परन्तु, जब कर्ता किसी दूसरे कर्ता की प्रेरणा से क्रिया को करता है तब क्रिया का प्रयोग प्रेरणार्थक होता है।

प्रेरणार्थक क्रिया में एक ही प्रेरक कर्ता नहीं, बल्कि कई एक हो सकते हैं। एक को छोड़ कर अन्यान्य सभी प्रयोज्य (जिसकी प्रेरणा की जाय) कर्ताओं में 'से' विभक्ति लगती जाती है। जैसे—वह पाठ पढता है। मैं उससे पाठ पढ़वाता हूँ। तू मुझसे, उससे पाठ पढ़वाता है, इत्यादि। इनमें पहला वाक्य स्वार्थक है, दूसरा प्रेरणार्थक और तीसरा द्विप्रेरणार्थक है। द्विप्रेरणार्थक क्रिया बहुत कम बोली जाती है, क्योंकि वाक्य अच्छा नहीं लगता और अर्थ की स्पष्टता भी नहीं होती। पर,

इसके स्थान पर ऐसा वाक्य बोला जाता है और अच्छा भी मालूम होता है। जैसे—'तू मेरे द्वारा उससे पाठ पढ़वाता है।'

अकर्मक धातु से इस प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनाने में एक वाक्य और अधिक उत्तम हो सकता है। जैसे—वह उठता है। मैं उसे उठाता हूँ। तू मुझसे उसे उठवाता है। मोहन तेरे द्वारा मुझसे उसे उठवाता है।

इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया बनाने से धातु अकर्मक से सकर्मक, सकर्मक से द्विकर्मक और उससे त्रिकर्मक हो जाते हैं।

आना, जाना, सकना इत्यादि के सिवा सब अकर्मकों से सकर्मक और सब सकर्मकों से नीचे लिखे अनुसार प्रेरणार्थक क्रियायें बनाई जा सकती हैं।

अकर्मक से सकर्मक और उससे प्रेरणार्थक क्रिया बनाने की रीति।

(क) मूल धातु के अन्तिम व्यञ्जन में आ जोड़ देने से अकर्मक से सकर्मक और वा जोड़ देने से सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे —

अकर्मक	सकर्मक	प्रेरणार्थक
उठना	उठाना	उठवाना
चलना	चलाना	चलवाना
चढ़ना	चढ़ाना	चढ़वाना
बजना	बजाना	बजवाना
भटकना	भटकाना*	भटकवाना

* प्राय तीन अक्षर के धातुओं के दूसरे अक्षर का सकर्मक में हल् सा उच्चारण होता है।

पिघलना	पिघलाना	पिघलवाना
खटकना	खटकाना	खटकवाना

(ख) जिन धातुओं के आदि के अक्षर दीर्घ हों तो उन्हें ह्रस्व करके अर्थात् आ, ई, ऊ, ए के अ, इ, उ, इ करके पूर्वोक्त रीति के अनुसार अकर्मक से सकर्मक और उससे प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। जैसे —

अकर्मक	सकर्मक	प्रेरणार्थक
भागना	भगाना	भगवाना
जागना	जगाना	जगवाना
छींकना	छिकाना	छिकवाना
घूमना	घुमाना	घुमवाना
लेटना*	लिटाना	लिटवाना

(ग) बहुतेरे अकर्मक धातुओं के आदि स्वर को दीर्घ करने से और कितनों में आदि स्वर को गुण करने से सकर्मक और पूर्ववत् 'वा' जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे —

अकर्मक	सकर्मक	प्रेरणार्थक
कटना	काटना	कटवाना
टलना	टालना	टलवाना
फँसना	फाँसना	फँसवाना
लदना	लादना	लदवाना
पिसना	पीसना	पिसवाना
लुटना	लूटना	लुटवाना
घिरना	घेरना	घिरवाना
खुलना	खोलना	खुलवाना

* कहीं २ एकारान्त ज्यों का त्यों रहता है। जब इसी लेटना का अर्थ सोना ही होता तब वहाँ ह्रस्व नहीं होता। जैसे—वह पाँक से उसे लेटता है।

इसके स्थान पर ऐसा वाक्य बोला जाता है औ
भी मालूम होता है। जैसे—'तू मेरे द्वारा उससे
घाता है।'

अकर्मक धातु से इस प्रकार की प्रेरणार्थक ि
में एक वाक्य और अधिक उत्तम हो सकता है
उठता है। मैं उसे उठाता हूँ। ? मुझसे उसे
मोहन तेरे द्वारा मुझसे उसे उठवाता है।

इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया बनाने से
सकर्मक, सकर्मक से द्विकर्मक और उससे त्रि

आना, जाना, सकना इत्यादि के सिवा
सकर्मक और सब सकर्मकों से नीचे लिखे
क्रियायें बनाई जा सकती हैं।

अकर्मक से सकर्मक और उससे
बनाने की रीति

(क) मूल धातु के अन्तिम व्यञ्ज
अकर्मक से सकर्मक और वा जोड़ देने
र्थक क्रिया बन जाती है। जैसे —

अकर्मक	सकर्मक
उठना	उठाना
चलना	चलाना
चढ़ना	चढ़ाना
बजना	बजाना
भटकना	भटकाना

* प्रायः तीन अक्षर के धातुओं का
होता है।

जीना	जिलाना	जिलवाना
चूना	चुलाना	चुलवाना
सोना	सुलाना	सुलवाना

(छ) कितने अकर्मक धातुओं की सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियायें अनियमित रूप से बनती हैं। जैसे—

अकर्मक	सकर्मक	प्रेरणार्थक
फटना	फाड़ना	फड़वाना
बिकना	बेचना	बिकवाना
जुटना*	जोड़ना	जुड़वाना
टूटना	तोड़ना	तुड़वाना

(ज) कुछ धातुओं की विकल्प से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियायें बनती हैं। जैसे —

धातु	सकर्मक	प्रेरणार्थक
डूबना	डुबोना, डुबाना	डुबवाना
भींगना	भिगोना, भिगाना	भिगवाना
बैठना	बिठाना, बिठालना	बिठवाना, बिठलाना
देखना	दिखाना दिखलाना	दिखवाना
छूटना	छोड़ना	छोड़वाना, छुड़वाना
बोलना	बुलाना, बोलना	बोलवाना, बुलवाना
खोना	सोलाना, सुलाना	सोलवाना, सुलवाना
चुभना	चुभाना, चुभोना	चुभवाना

(झ) कितने धातुओं के अलग २ अर्थ रखनेवाले दो सकर्मक रूप हो जाते हैं। जैसे—घुलना—घोलाना (मिलाना)

* टकरान्त धातु के प्राय ट का ड और उकार का ओकार होता है। जैसे— घूटना, फूटना, आदि।

घुलाना (गलाना) चलना—चलाना (फेंकना या भेजना) चालना (चलनी से झाड़ना), गड़ना—गड़ाना (काँटा आदि) गाड़ना (मुर्दा वग़ैरह) ।

अभ्यास ।

द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ? इन दोनों की वाक्य रचना कैसे होती है ? प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कितने नियम हैं। परस्पर उनकी बनावट में क्या अन्तर है। प्रत्येक नियम नये नये उदाहरणों के साथ बतलावो।

संयुक्त क्रिया (Compound Verbs)

जब दो तीन धातुओं के योग से कोई क्रिया बनती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे—वह 'मार बैठा'। वह या ही 'लिया दिया करता है'। 'घुमा फिरा कर' बातें न बनावो। ग्रन्थ 'भेजवा दिया'। ऐसी क्रियाओं से अर्थों में नूतनता आ जाती है और वाक्य अच्छे मालूम होते हैं।

संयुक्त क्रिया की आदि क्रिया मुख्य है। उसीके अनुसार धातु का अर्थ और उसका सकर्मक या अकर्मक होना समझा जाता है। किन्तु, 'ले जाना' आदि संयुक्त धातु के कर्ता में 'ने' का प्रयोग होते न देख कर यह नियम निकलता है कि जब संयुक्त सकर्मक क्रिया का 'उत्तरार्द्ध' अकर्मक हो तो कर्ता में 'ने' का चिन्ह नहीं आता। जैसे—वह पुस्तक देख चुका। 'ने' के प्रयोग करने में अन्तिम क्रिया ही मुख्य समझी जाती है।

नीचे लिखे कई प्रकार से संयुक्त क्रियायें बनती हैं —

१ निश्चयार्थक आदि—धातु के आगे उठना, बैठना, आना, जाना, चलना, डालना, पड़ना, रहना, देना, लेना आदि क्रियाओं के जोड़ने से, निश्चय, पूर्णता, नित्यता, या ऐसा ही कोई अन्यान्य अर्थ प्रकट करनेवाली संयुक्त क्रियायें बनती हैं। जैसे—बोल

उठना, कह बैठना, ले आना, खा जाना, ले चलना मसल डालना, गिर पड़ना, सो रहना, ले लेना, दे देना, आदि।

हेतुहेतु मद्भूत और सामान्य भूतकालिक क्रियाओं के साथ भी आना, जाना, रहना आदि धातुओं को जोड़ कर निश्चयार्थक संयुक्त क्रियायें बनती हैं। इनके दोनों भागों में लिङ्ग वचनानुसार विकार होते हैं। जैसे—वह खाता रहा। बच्चे भागते जाते हैं। स्त्री बोलती आती थी। वे खड़े रहेंगे। लड़की चली आयी, इत्यादि।

२ शक्तिबोधक—धातु के आगे 'सकना' क्रिया के जोड़ने से शक्तिबोधक क्रिया बनती है। जैसे—चल सकना, चढ़ सकना, पढ़ सकना, कर सकना, आदि।

३ समाप्त्यर्थक—धातु के आगे 'चुकना' क्रिया के जोड़ने से समाप्त्यर्थक क्रिया बनती है। जैसे—कह चुकना, खा पी चुकना, देख चुकना, मार चुकना आदि।

४ तत्कालबोधक—धातु की सामान्य भूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को एकार बना कर देना, डालना क्रिया के जोड़ने से यह क्रिया बनती है। जैसे-कहे देना, मारे डालना, किये डालना, दिये देना, जलाये डालना आदि। पहने आना, लादे जाना, बिठाये आना आदि उदाहरण भी इसीमें आते हैं। ऐसी संयुक्त क्रियाओं के बीच में लिङ्ग वचनानुसार हुआ, हुए, हुई आदि का भी प्राय प्रयोग होता है।

५ नित्यताबोधक—धातु की सामान्य भूतकालिक क्रिया के आगे करना क्रिया जोड़ने से नित्यताबोधक क्रिया बनती है। जैसे—कहा करना, पढ़ा करना, दिया करना इत्यादि।

६ इच्छाद्योतक—'करना' धातु के स्थान पर 'चाहना' क्रिया जोड़ कर नित्यता बोधक के समान इच्छाद्योतक क्रिया

बनती है। जैसे—आया चाहना, गया (जाया) चाहना, बोला चाहना, पढा चाहना, इत्यादि। ऐसी संयुक्त क्रियाओं से कहीं २ क्रिया के तत्काल व्यापार का बोध होता है। जैसे—वह गिरा चाहता है। घडी बजा चाहती है, आदि। चाहिये शब्द के योग में भी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे—देखा चाहिये, खानी चाहिये, इत्यादि।

७ आरम्भबोधक—धातु के चिह्न 'ना' को 'ने' करके उस के आगे 'लगना' क्रिया जोडने से आरम्भबोधक क्रिया होती है। जैसे—खाने लगना, पढने लगना, चलने लगना, देने लगना, बोलने लगना इत्यादि।

८ अवकाश-बोधक—'लगना' क्रिया के स्थान पर 'देना' और 'पाना' क्रिया को जोड कर आरम्भबोधक के समान अवकाशबोधक क्रिया बनती है। जैसे—खाने देना, बोलने देना, चलने पाना, सोने पाना, आदि।

९ परतन्त्रता बोधक—धातु के सामान्य रूप के आगे 'पडना' क्रिया के जोडने से यह क्रिया बनती है। जैसे—कहना पडना, देना पडना, करना पडना, आदि।

'होना' क्रिया के रूप जोडने से जो कर्मवाच्य के से वाक्य बोले जाते हैं वे इसी विभाग में आते हैं। जैसे—दुःख झेलने थे। कठिन काम करने होंगे। सूखी रोटी खानी ही पडी। दिखाई देना, सुनाई पडना, आदि के प्रयोग भी इसी अर्थ में कर्मवाच्य के समान होते हैं।

१० कुछ ऐसी संयुक्त क्रियायें हैं जो भिन्न २ रूप से बनती हैं और इनके धातु संयोग के स्थान पर शब्द संयोग भी होता है। जैसे—भय खाना, चुप रहना, मन मारना, ध्यान धरना, आदि। 'करना' धातु का संयोग करके सब शब्दों से क्रिया

बनाई जा सकती है। जैसे—काम करना, पाठ करना, पूजा करना, लिखा पढ़ी करना।

कितनी संयुक्त क्रियायें एकार्थ ही में प्रयुक्त होती हैं। जैसे—बोलना-चालना, देखना रखना, लेना-देना, मारना पीटना, लोटना पोटना, चलना फिरना, लिखना पढ़ना, कूदना-फाँदना इत्यादि।

संयुक्त क्रिया के ऊपर लिखे हुए धातुओं की रूपावली पहले की सामान्य धातु रूपावली के समान ही होती है और उनके जो नियम हैं वे ही इसमें भी लगते हैं।

अभ्यास।

संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। इससे वाक्य में क्या लाभ है? संयुक्त क्रिया किसके समान सकर्मक और अकर्मक समझी जाती है? कर्ता में विभक्ति किसके अनुसार आती है? संयुक्त क्रियायें कितनी हैं। प्रत्येक का लक्षण क्या है? उनकी रचना कैसे होती है? धातु से कितने प्रकार की और कौन २ संयुक्त क्रियायें बनती हैं? कौन कौन संयुक्त क्रियायें सामान्य भूतकाल की क्रिया से बनती हैं और कौन कौन धातु के सामान्य रूप से? परतन्त्रता बोधक संयुक्त क्रिया की रचना कैसे होती है? भिन्न २ प्रकार की और एकार्थक संयुक्त क्रियायें कैसी होती हैं? इनके कुछ नये उदाहरण दो।

नीचे लिखे वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं के नाम और उनकी बनावट लिखो।

वह हमेशा आया जाया करता है। उससे मुझे कुछ पूछ पाछ करना नहीं है। उसको वहीं पड़े रहने दो। जब जी में आता है तब वह किसीसे कुछ ले लेता है और किसीको कुछ दे देता है। उसे जो कुछ कहना था कह चुका, अब तुम जो कुछ कह सको कहो। मैं भी जो कहना है कहे डालता हूँ। मुझे अब तो लेने के देने पड़े। अब वह कहना चाहता है उसे भी कहने दो। वह भी कहने लगा। घूमते फिरते हो या पढ़ते लिखते भी हो? मन लगा कर काम किया करो।

नामधातु।

हिन्दी में बहुत से ऐसे धातु हैं जो शब्दों से बने हैं। उनकी गणना शुद्ध धातुओं में नहीं होती। नाम अर्थात् संज्ञा

से बनने के कारण ये नामधातु कहाते हैं। जैसे—रंग रँगना, लटपट-लटपटाना, फटकार फटकारना इत्यादि।

[क] बहुतेरे नामधातु शब्दों में आ प्रत्यय लगने से बन गये हैं। जैसे-बात बताना, छटपट छटपटाना, ठढ ठंढाना, शर्म—शर्माना,* लाज—लजाना।

[ख] कई नामधातु शब्दों में या† जोडने से बने हैं। जैसे—पानी—पनियाना, चपत-चपतियाना, बात-बतियाना, हाथ—हथियाना, जूता—जुतियाना आदि।

[ग] कितने नामधातु ध्वनि विशेष के अनुकरण से आ प्रत्यय लगाकर बने हुए हैं। जैसे-करकर—करकराना, छुन छुन—छुनछुनाना, बडबड—बडबडाना, भनभन—भनभनाना, भरभर—भरभराना।

[घ] कितने नामधातु केवल धातु के सामान्य 'ना' चिन्ह जोडने से ही बने हैं। जैसे—दुहरा-दुहराना, बघार बघारना, फटकार फटकारना, चिकना चिकनाना।

[ङ] कितने अनियमित रूप से बनते हैं। जैसे—दाल-दलना, चीथडा—चिथेडना, घुस्सा—घुसवेटना।

धातुज धातु।

धातु से धात्वन्तर भी बनते हैं। धात्वन्तर होने से या तो उनके अर्थ में विशेषता आ जाती है या उनका अर्थान्तर हो जाता है।

धातुज धातु दो प्रकार के हैं। एक अतिशयार्थक और दूसरा इच्छार्थक। धातु के द्वित्व करने से अतिशयार्थक क्रियायें

* ऐसे प्रत्ययों के आने पर पूर्व स्वर ह्रस्व हो जाता है।

† जहाँ 'या' लगता है वहाँ शब्द के अन्तिम स्वर का प्राय इकार हो जाता है और दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है।

बनती हैं। जैसे—टर्राना—टरटराना, बकना—बकबकाना, गोदना—गुदगुदाना आदि।

धातु में 'वास' जोडने से प्राय इच्छार्थक क्रियायें बनती हैं। जैसे—भूकना—भुकवासना, लोटना—लोटवासना, थकना—थकवासना आदि।

अभ्यास।

नामधातु किसे कहते हैं? उसके कितने प्रकार हैं? उसके भिन्न २ प्रकार की नारद क्या है। प्रत्येक के पाँच पाँच उदाहरण बतलाओ? धातुज धातु कितने प्रकार के हैं? वे कैसे बनते हैं? इनके पाँच २ नये उदाहरण दो। नामधातु अनुकरणार्थक और इच्छार्थक धातुओं के पाँच २ वाक्य बनाओ।

क्रिया का शाब्दबोध।

क्रिया के पद परिचय में इतनी बातें बतानी चाहिये-(क) प्रकार (ख) भेद (ग) वाच्य (घ) काल (ट) लिङ्ग (च) वचन (छ) पुरुष (ज) वाक्य में उसका सम्बन्धी शब्द।

तुमने जो माला दी थी वह भूल गयी।

दी थी—निश्चयार्थक, सकर्मक, कर्मवाच्य, पूर्णभूत काल, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन,अन्यपुरुष, 'माला' कर्म के अनुसार क्रिया आयी है।

भूल गयी—निश्चयार्थक, अकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्य भूत, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'वह' है।

वह काम करे तो रुपये मिल जावेंगे।

करे—सम्भाव्य, सकर्मक, कर्तृप्रधान, सम्भाव्य भविष्य काल, पुल्लिङ्ग, अन्य पुरुष, एकवचन, कर्ता इसका 'वह' है।

मिल जावेंगे—निश्चयार्थक संयुक्त क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्य भविष्य काल, पुल्लिङ्ग, अन्य पुरुष, बहुवचन, 'रुपये' इसका कर्ता है।

फूल तोड़ कर माला बनायी गयी।

तोड़कर—पूर्वकालिक क्रिया, निश्चयार्थक, सकर्मक, कर्तृ प्रधान, कर्म इसका 'फूल' है। ऐसी क्रियाओं के लिङ्ग, वचन और पुरुष नहीं आने जाते।

बनायी गयी—निश्चयार्थक, संयुक्त सकर्मक क्रिया, कर्म-प्रधान, सामान्य भूतकाल, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, एकवचन इसका कर्म 'माला' है।

वे दूसरों से भी काम कराते हैं।

कराते हैं—आज्ञार्थक, सकर्मक, कर्तृवाच्य, प्रेरणार्थक क्रिया, पुलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्ता इसका वे है।

अभ्यास।

नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं का शाब्दबोध करो।

क्या पानी नहीं पड़ेगा? गृहस्थ हाय २ करते हैं। आकाश में बादल नहीं दिखलाई पड़ते। जो हुआ सो हुआ। पानी पड़े पड़े करता है पर पड़ता नहीं। यदि ईश्वर की दया हो तो पानी पड़ना कौन कठिन है? ईश्वर का नाम लो, जिससे वह दया दिखलावेगा। खेत पनियाने से भला बीज बच सकेगा? यदि बादल होते तो जरूर पानी पड़ता। उसने आकाश का रंग देखकर आह भरी। देखने २ बादल उमड़े। वृष्टि होने लगी।

क्रियाविशेषण (Adverb)

क्रिया की विशेषता प्रकट करनेवाले क्रियाविशेषण कहाते हैं। जैसे—मैं 'आज' आया। 'जल्द' जाओ। 'अकस्मात्' यह घटना घटी। 'धीरे से' बोलो।

क्रियाविशेषण कभी २ विशेषण और क्रियाविशेषण का भी विशेषण होकर आता है। जैसे, 'बहुत' बड़ा लड़का है 'बहुत' दूर नहीं जाना है।

क्रियाविशेषण के कई भेद हैं। इनमें चार प्रधान हैं

(१) कालवाचक, (२) स्थानवाचक, (३) भाववाचक और (४) परिमाणवाचक।

कालवाचक।

प्रतिदिन, घटे घटे, कभी, अभी कभी, कभी, अब तब, जब, आज, कल, परसों, तरसों, तत्काल, अक्सर, देर से, सवेरे, शाम, सायम्, प्रात, तड़के, भोरे, सदा, सर्वदा, फिर बाद, बार बार इत्यादि।

स्थानवाचक।

ऊपर, नीचे, चारो ओर, और कहीं, बगल बगल, कहीं, बीच, तले, किनारे, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर, उधर, किधर, जिधर, तिधर, पार, आगे, पीछे, बाहर, भीतर अन्यत्र, सर्वत्र, पास, दूर, आमने, सामने, इत्यादि।

भाव वा प्रकारवाचक।

अचानक, अर्थात्, केवल, क्यों, ज्यों, त्यों, यों, यद्यपि, तथापि, परस्पर, सचमुच, सेतमेत, हाँ, न, नहीं, मत, स्वयं, अवश्य, वृथा, यथार्थ, ठीक, सहसा, जानो, मानो, निस्सन्देह, सर्वथा, जल्द, झूठ, धीरे, निरन्तर, परस्पर, विरले, लगातार, कदाचित् इत्यादि।

परिमाणवाचक।

जरा, कई एक, बिलकुल, अत्यन्त, बहुत, तनिक, टुक, कुछ, विरले, प्राय, समूचे, करीब २, लगभग, अधिकता से, कठिनता से, ठीक ठीक, काफी, मिल जुल के।

क्रियाविशेषण के सामान्यत चार भेद और होते हैं।

(५) सख्यावाचक—(६) रीतिवाचक (७) कारणवाचक और (८) इच्छासूचक।

संख्यावाचक ।

अकेले, एकदा, एक बार, दोबारा, पहले, दो दो करके।

रीतिवाचक ।

धीरे से, शान्ति से, चुप चाप, ऐसे, अचानक, अनुसार, धड़ाधड, प्रकार ।

कारणवाचक ।

इसलिये, क्यों, निस्सन्देह, इस पर भी, अतएव, अब तक।

इच्छासूचक ।

हाँ, नहीं, शायद, निश्चय, सचमुच, तो, इत्यादि ।

क्रियाविशेषण की रचना ।

निश्चयवाचक बनाने के लिये क्रिया विशेषण में 'ही' जोड़ देते हैं । जैसे, क्यों ही, त्यों ही, यों ही ।

कहीं २ इस 'ही' का केवल 'ई' प्रकट रहता है और ब का भ हो जाता है । जैसे, अभी, कभी, जभी, तभी ।

कुछ स्थानवाचक क्रियाविशेषणों में दीर्घ ई कार करने से विशेषण भी हो जाते हैं । जैसे—ऊपरी, बाहरी, भीतरी ।

कहीं २ 'ला' भी अनियमित रूप से लगते हैं । जैसे—अगला, पिछला ।

कभी २ निश्चयता प्रकट करने के लिये इन्हें दुहरा देते हैं और कभी २ भिन्न २ दो अव्ययों को एक साथ लाते हैं । जैसे, कभी कभी, कहीं कहीं, जब कभी, और कहीं, ज्यों त्यों, कभी नहीं, जहाँ कहीं, वहाँ तहाँ इत्यादि ।

अनिश्चयता प्रकट करने के लिये दो अव्ययों के बीच में न का प्रयोग करते हैं । जैसे, अभी न तभी, जहाँ न तहाँ, जब न तब इत्यादि ।

बहुत से शब्दों के साथ 'से' 'करके' 'पूर्वक' आदि जोड कर क्रियाविशेषण बना लिये जाते हैं। जैसे--वह 'गद्गद वचन से' बोला। 'बुँद बुँद करके' तालाव भरता है। मैं तुमसे 'विनय पूर्वक' कहता हूँ।

संस्कृत के शब्दों के तृतीया एकवचन के रूप और तस् प्रत्ययान्त रूप भी क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे—'येनकेन प्रकारेण' यह काम हो गया। 'यथार्थत' यह काम कठिन था।

जब कभी विशेषण ही क्रियाविशेषण के समान वाक्यों में व्यवहृत होते हैं। जैसे—'सीधे' चलो। वह काम 'अच्छा' करता है। 'भले' कहा। कभी २ संज्ञा से भी क्रियाविशेषण हो जाता है। जैसे—मैंने 'पुर्जे पुर्जे' देख डाला।

कुछ क्रियाविशेषणों के साथ विभक्तियाँ भी आती हैं। जैसे—'आज का' काम कल पर न छोडो। 'दोपहर को' भूख लगती है। 'सबेरे से' शाम तक बैठो। 'इधर का' उधर क्यों करते हो। 'उधर से' आया इधर गया। 'यहाँ की' भूमि उपजाऊ है न कि 'वहाँ की'।

कुछ विशेष क्रियाविशेषण।

सर्वोपरि, पहले पहल, निदान, अन्त में, बारम्बार, यथार्थत, अद्यावधि, एकदम, बिल्कुल, तत्क्षण, तत्काल, समय समय पर, प्रसङ्गत, बात बात में, बहुत दिनों से, यथासमय, एक समय, अन्ततोगत्वा, अलबत्ते, सुतरां, अनियमितरूप से, वरन्, एकबार, बीच बीच में, साथ ही साथ, सर्वप्रथम, आद्योपान्त, आगे पीछे, सम्पूर्ण रूप से, यावज्जीवन, आपाद मस्तक, पुङ्खानुपुङ्ख रूप से, पलक मारते, दुर्भाग्यवश, टकटकी बाँधे, अन्धाधुन्ध, मुहाँमुही, कानाकानी, एक एक करके, रातो रात, आठो पहर, बहुधा, क्रमश, एकाएक, हाथों हाथ,

रोते रोते, काम के मारे, बराबर, परस्पर, अन्योन्य, सहसा, कौडी कौडी, यथाशक्ति, कर्तव्यानुरोध से, मुक्तहस्त से, ज्यों त्यों करके, कुछ न कुछ, देखते देखते, यहाँ वहाँ से, जहाँ कहीं से, ज्यों का त्यों, यहाँ वहाँ का, चुपचाप ।

क्रियाविशेषण का शाब्दबोध ।

क्रियाविशेषण के पदपरिचय में उसका भेद और दूसरे शब्द के साथ वाक्य में जो सम्बन्ध हो वह बताना चाहिये। जैसे—

बहुत जल्द जावो ।

बहुत—परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण और 'जल्द' का गुण बोधक है ।

जल्द—समयवाचक, क्रियाविशेषण और क्रिया का काल बतलाता है ।

अभ्यास ।

क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ? यह नाम क्यों हुआ ? क्रियाविशेषण के मुख्य कितने प्रकार हैं और कितने सामान्य ? प्रत्येक का लक्षण उदाहरणानुसार बतावो। निश्चयता और अनिश्चयता प्रकट करने के लिये क्रिया विशेषण में क्या करते है ? कितने प्रकार से क्रिया विशेषण बनाये जाते हैं ? पाँच ऐसे विशेषणों को बतावो जो क्रियाविशेषण के समान व्यवहृत होते हों।

नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण के भेद बतावो —

कब घर जावोगे ? मैं कह नहीं सकता कि उन्हें कहाँ २ देखा है। ऐसे दिखलाने से काम नहीं चलेगा। तुम निरे बेवकूफ हो। कहने को कुछ भी परवाह नहीं करते। अवश्य तुमको आगे पीछे कुछ सोचना चाहिये। इससे बहुत तुमको लाभ होगा और जहाँ जावोगे वहाँ तुम्हारा अत्यन्त सम्मान होगा।

इन शब्दों से क्रियाविशेषण बनावो।

खुस, विचार, रात शीघ्र, दिन, समय, तत्पर, लोभ, आदि अन्त, बाल, बाले क्षण, दैवेच्छा, मुक्तहस्त, अनुग्रह, क्रम, सुख, पूर्ण, पवित्र, भय ।

सम्बन्ध सूचक अव्यय।

वाक्य में एक पद के साथ दूसरे पद के सम्बन्ध बतलाने वाले अव्यय सम्बन्धसूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे—उसके 'समेत' भीतर जावो। तालाब के 'बीच में' एक जाठ है। आगे पीछे, पर, ओर, निकट आदि। कहीं २ 'से' भी इनके पहले लाते हैं। जैसे—वह हमसे आगे बढ गया। तू उससे पीछे हो गया।

सम्बन्ध वाचक शब्द अधिकरण कारक के चिन्ह के लोप करने ही से बनते हैं। जैसे-बाहर में—बाहर, भीतर में-भीतर, बदले में-बदले, आदि। यह लोप विकल्प से होता है। पीछे में या पीछे निन्दा करना उचित नहीं है। यह वाक्य दोनों तरह बोल सकते हैं।

कुछ सम्बन्ध सूचक अव्यय ये हैं—सिवा, सिवाय, बगैर, बिना, अनुसार, अनन्तर, साथ, समान, बराबर, द्वारा, आसपास, उपरान्त, अलावा, बदले, योग्य, बाद, विपरीत, हेतु, निमित्त, वजह, तरफ, तरह, मार्फत, नाईं, खातिर, ओर। अन्तिम सातों अव्यय स्त्रीलिङ्ग समझे जाते हैं।

हिन्दी में विशेषत सम्बन्धवाचक अव्यय होते नहीं। आगे, पीछे, बाहर, भीतर आदि अव्यय स्थानवाचक आदि क्रिया विशेषण ही के अन्तर्भूत हो जाते हैं।

कितने वैयाकरण लिये, वास्ते, पर आदि को विभक्ति चिन्ह मानते हैं। उनके मत में तो इनके सम्बन्धवाचक अव्यय होने की कोई बात ही नहीं है पर जो इन्हें विभक्ति चिन्ह नहीं मानते उनके मत में भी ये कारकार्थक अव्यय माने जाते हैं न कि सम्बन्धवाचक। इसलिये इन सबों का सम्बन्धबोधक के ऐसा प्रयोग प्राय नहीं होता।

समुच्चय-बोधक अव्यय ।

समुच्चय-बोधक अव्यय पदों या वाक्यों या वाक्यखण्डों को जोडते या अलग करते हैं। जैसे—मोहन और सोहन को बुलाओ। वह आवे या तुम आओ।

समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के हैं—एक संयोजक और दूसरा वियोजक। जो शब्दों या वाक्यों को जोडते हैं वे संयोजक और जो इनको अलग करते हैं वे वियोजक कहाते हैं। जैसे—

योजक—और, यथा, यदि, कि, तो, फिर, भी, पुन, अथव, एव, तथा, तो भी, इससे, जो, जौन, सो, अलावे, अतिरिक्त, केवल, ताकि, तब, इस प्रकार इत्यादि ।

वियोजक—वा, या, अथवा, किन्तु, परन्तु, पर, चाहे, न कि, न तो, बाद, क्योंकि, अगर, नहीं तो, यथा, वैसा, जेसा, यद्यपि, या तो, तब तक, अब इत्यादि ।

संयोजक और वियोजक में भी कई अवान्तर भेद हैं। जैसे—'कारण वाचक'—मैं तुम्हें अवश्य मारूँगा 'क्योंकि' तुमने याद नहीं किया। 'तुलनात्मक'—वह मेरी 'अपेक्षा' उत्तम संगीत जानता है। 'फलोपधायक'—तुमने आन कर आग में हाथ दिया 'इससे' जल गया इत्यादि ।

उपर्युक्त तीनो अवयवों के कई उदाहरण ऐसे हैं जो दोनों और तीनो के लिये समान हैं। ऐसे अव्ययों का अर्थानुसार भेद समझा जाता है। जैसे—खूँटी 'पर' कपड़ा रक्खो, उसने काम किया 'पर' तुमने नहीं। पहले वाक्य में 'पर' विभक्ति व सम्बन्ध का बोध करता है और दूसरे में वियोजन का। इससे यह यथा स्थान दोनों प्रकार के अव्यय हुए। ऐसे ही सबो समझना चाहिये ।

विस्मयादिबोधक अव्यय।

विस्मयादिबोधक अव्यय से अन्तःकरण के आश्चर्य, आनन्द, क्लेश आदि भाव प्रकाशित होते हैं और पूर्णार्थ प्रकाशक होने के कारण एक ही शब्द से एक अलग वाक्य का भी काम हो जाता है। जैसे—ओ., अरे, हुँ, छि. इत्यादि।

ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे—'क्लेश बोधक'—आह, ऊह, हाय हाय, ओहह, त्राहि त्राहि, बापरे, मैयारे, इत्यादि। 'आश्चर्य बोधक'—ऐं, अरे, ओफ, आश्चर्य, ताज्जुब, ओ हो। 'आनन्द-जनक'—वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश इत्यादि। 'स्वीकार वाचक'—अस्तु, अच्छा, हाँ, ऐसा ही हो इत्यादि। 'अनादर-वाचक'—छि छि, धुत्, धत्, धिक्, फिश्, दूर दूर, धिक्कार, दुर, हत, राम राम, इत्यादि।

इन अव्ययों का भी शाब्दबोध क्रिया विशेषण ही के समान होता है।

अभ्यास।

नीचे लिखे भिन्न २ अव्ययों का वाक्यों में व्यवहार करो —

भार पार, चारों ओर, बाद, अलावे, बीच, भीतर, ऊपर नीचे, तबसे, तब तक, साथ, पर अच्छा, बिना, तब, आगे केवल क्योंकि, अगर, जबतक कहाँ, और, ओर।

दस ऐसे अव्ययों का वाक्य में व्यवहार कर भेद दिखलावो जो सम्बन्धबोधक और क्रिया विशेषण दोनों हों।

शब्द-संगठन (Word-building)

हिन्दी भाषा में जितने शब्द बोले जाते हैं उनमें अधिकांश चाहे तो शुद्ध संस्कृत हैं चाहे अपभ्रंश होकर हिन्दी में आये हैं। इनकी व्युत्पत्ति (Derivation) जानना बहुत आवश्यक है।

यौगिक शब्दों के यदि खण्ड किये जायँ तो उनमें दो या

तीन खण्ड होंगे। एक उपसर्ग (Prefix) दूसरा धातु (Root) और तीसरा प्रत्यय (Affix)। कितने यौगिक शब्दों में शब्द और प्रत्यय ही रहते हैं। जैसे—प्र+हृ+अ=प्रहार, सम्+तुष+क्त=सन्तुष्ट, रम+अणीय=रमणीय, शक्+क्ति=शक्ति, धन+ई=धनी, पानी+वाला=पानीवाला।

शब्द संगठन में सबसे पहले उपसर्ग आते हैं, इससे पहले उपसर्ग का ही विचार किया जाता है।

उपसर्ग (Prefix)

उपसर्ग वे कहाते हैं जिनका प्रयोग अलग नहीं होता। संस्कृत से हिन्दी में उपसर्ग लिये गये हैं।

उपसर्ग जब क्रिया और शब्द के साथ आते हैं तब उन क्रियाओं और शब्दों के अर्थ के द्योतक बन जाते हैं। उपसर्गों के योग से शब्दों और क्रियाओं के भिन्न २ अर्थ होते हैं और कहीं २ उनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे-उपकार, अपकार, प्रतिकार, अभिमान, अपमान, संयोग, वियोग आदि।

उपसर्ग कहीं एक, कहीं, दो, कहीं तीन और कहीं चार भी आते हैं। जैसे—विहार, व्यवहार, सुव्यवहार और सम भिव्याहार।

प्र, परा, अप्, सम्, अनु, अव, निर, दुर्, अभि, वि, अधि, सु, उत्, अति, नि, प्रति, परि, अपि, उप, आङ्* ये बीस उपसर्ग हैं। ये एक प्रकार के अव्यय हैं।

उपसर्गों के संयोग से उत्पन्न होनेवाले कुछ अर्थ नीचे लिखते हैं —

* प्रपरापसम न्वनिर्दुरभिव्यधिसूदतिनिप्रतिपर्यपय ॥
उप आङिति विंशतिरेष सखे उपसर्गविधि कथित कविना ॥ १ ॥

प—अतिशय, गति, व्यवहार आदि का द्योतक है। जैसे-प्रणाम, प्रताप, प्रस्थान, प्रमाण, प्रयोग, इत्यादि।

परा—विपरीत, नाश, अनादर, आदि का द्योतक है। जैसे—पराजय, पराभव, परावर्तन, परास्त इत्यादि।

अप—हीनता, लघुता आदि का द्योतक है। जैसे-अपकार, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपयश इत्यादि।

सम्—उत्तमता, सहित, श्रेष्ठता आदि का द्योतक है। जैसे-सम्प्रदान, संस्कार, सन्तुष्ट, सम्बन्ध, समाधान इत्यादि।

अनु—समान, पश्चात्, क्रम, आदि का द्योतक है। जैसे—अनुकरण, अनुचर, अनुताप, अनुक्रम, इत्यादि।

अव—अनादर, अंश, हीनता आदि का ही द्योतक है। जैसे—अवज्ञा, अवगुण, अवमानना। यह कहीं अच्छा अर्थ भी देता है। जैसे—अवतार, अवधारण आदि।

निर्—बिना, निषेध, आदि का द्योतक है। जैसे-निस्सन्देह, निरवलम्ब, निर्गुण, निर्धन, निराकार, निर्दोष इत्यादि।

दुर्—कठिनता, दुष्टता, निन्दा, हीनता आदि का द्योतक है। जैसे—दुर्जन, दुर्जय, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्बुद्धि इ०।

अभि—समीपता, इच्छा आदि का द्योतक है। जैसे—अभिमत, अभिप्राय, अभिमान इत्यादि।

वि—भिन्नता, असादृश्य, विशेषता आदि का द्योतक है। जैसे—वियोग, विलाप, विकार, विलास, विहार, विशेष इत्यादि।

अधि—प्रधानता, ऊपरी भाव आदि का द्योतक है। जैसे-अधिकार, अधिपति, अधिराज, अध्यक्ष, इत्यादि।

सु—श्रेष्ठता, उत्तमता, सुगमता आदि का द्योतक है। जैसे—सुजन, सुपुत्र, सुयश, सुभग, सुलभ, सुगम, इत्यादि।

उत्—ऊंचता, उत्कर्ष आदि का द्योतक है। जैसे—उद्‌व, उत्पत्ति, उद्गम, उत्पात, इत्यादि ।

अति—अत्यन्त, उत्कर्ष, आदि का द्योतक है। जैसे—अति काल, अतिगुरु, अतिदीन, अतिमात्र, अतिशय इत्यादि।

नि—निषेध, अधिकता आदि का द्योतक है। जैसे—निवा रण, निरोध, निषेध, नियोग इत्यादि।

प्रति—प्रत्येक, सादृश्य, विरोध, बदला आदि अर्थ का द्योतक है। जैसे—प्रतिदिन, प्रतिशब्द, प्रतिवादी, प्रत्युत्तर, प्रतिकार, प्रतिषेध, प्रतिरोध, इत्यादि।

परि—अत्यन्त, सब तरह, निबटेरा, अनादर, विवाह आदि का द्योतक है। जैसे—परिपूर्ण, परितोष, परिजन, परिहार, परिभव, परिणाम, परिणय इत्यादि।

अपि—छिपाना आदि का द्योतक है। जैसे—अपिधान।

उप—समीपता, सहायता, निकृष्टता आदि का द्योतक है। जैसे—उपवन, उपकार, उपग्रह, उपपत्ति उपभोग इत्यादि।

आ—ग्रहण, चढना, विरोध, खींचना आदि का द्योतक है। जैसे—आदान, आरोहण, आकर्षण इत्यादि।

इतने ही प्रधान उपसर्ग माने गये हैं।

कु, अ, अन, सह, स, सु, नि, आदि भी उपसर्ग ही के समान केवल शब्दों के साथ आते हैं और क्रमश नीचता, निषेध, सङ्गति आदि के द्योतक होते हैं। जैसे—कुपूत, (कपूत) कुकर्म, कुखेत, कुबुद्धि, 'अज्ञान, अपवित्र, अनन्त, अनादि, अनपढ, अनहोनी, सहचर, सहकारी, सविनय, साकार, सुपूत (सपूत) निडर इत्यादि।

अभ्यास।

नीचे लिखे सोपसर्ग शब्दों के अर्थ बतावो।

आहार विहार परिष्कार परिहार, उपहार, सत्कार, विकार अवगत, अभिभावक, अनुगामी, अनुरूप अपरूप, अवहेला, आभोग, उपस्थित दुर्वात, दुर्याग, निरूपण, निरोध संग्रह आग्रह विग्रह, पराभव प्रचार प्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रतिकृति, समीचीन, सम्भार, निवेश, परिणाम विभव अवस्था अनुभव अनुकरण।

कृदन्त (Verbal affixes)

क्रिया प्रकरण में धातु का वर्णन हो चुका है। इस प्रकरण में धातु से होने वाले प्रत्ययों का वर्णन किया जाता है।

धातु के साथ प्रत्ययों के लगाने से जो ऐसे शब्द बनते हैं जिनसे कर्तृत्व आदि समझा जाता है वे कृदन्त कहलाते हैं। जैसे—गवैया, पुकार, बनावट, ढकना इत्यादि।

कितने वैयाकरण कृदन्त को क्रियावाचक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनसे क्रिया के सदृश ही अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे-कतरनी, खवैया आदि। इन शब्दों से कतरने और खाने का क्रियार्थ स्पष्ट झलक जाता है।

हिन्दी में धातु से भिन्न भिन्न प्रत्यय करने पर कई प्रकार के शब्द बनते हैं। जिनमें पाँच मुख्य हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, करणवाचक, विशेषणवाचक और अव्ययवाचक।

कर्तृवाचक शब्द या धातुज नाम।

कर्तृवाचक से किसी काम का करनेवाला समझा जाता है। ऐसे शब्द कई नीचे लिखे प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे—

(क) धातु के समान्य रूप के अन्त्य 'आ' का 'ए' करके वाला, हारा प्रत्यय लगाने से—गाना—गानेवाला, गानहारा, पाना—पानेवाला, पानेहारा।

(ख) धातु के सामान्य रूप के अन्त्य 'आ' को ह्रस्व करके सार, हार प्रत्यय लगाने से-मिलना—मिलनसार, चलना—चलनसार, होना—होनहार, करना—करनहार, पढ़ना—पढ़नहार इत्यादि। वाहा प्रत्यय से भी होता है। जैसे—हल वाहा, चरवाहा।

(ग) धातु से 'वैया' प्रत्यय करने से—बज—बजवैया, रह—रहवैया। यदि स्वरान्त हो या धातु का आदि स्वर दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है। जैसे—गा—गवैया, खा-खवैया, जा-जवैया, दे—दिवेया, जीत—जितवैया।

(घ) धातु से 'क्कड़' प्रत्यय करने से—बूझना—बुझक्कड़, खेलना-खेलक्कड़, कूदना-कुदक्कड़। कहीं कहीं अक्कड़ भी होता है। जैसे—पिअक्कड़।

(ङ) धातु से आऊ और ऊ प्रत्यय करने से—टिक+आऊ=टिकाऊ, जूझ+आऊ=जुझाऊ, खा+ऊ=खाऊ।

(च) कुछ प्रत्यय और हैं जिन्हें धातु में जोड़ने से कर्तृवाचक संज्ञायें बनती हैं। जैसे-खेल+आड़ी=खेलाड़ी, झगड़+आलू=झगड़ालू, लूट+एरा=लुटेरा, परख+ऐया=परखैया। तैर+आक=तैराक, हँस+ओड़=हँसोड़, लड़+आका=लड़ाका, रेत+ई=रेती इत्यादि।

यह कोई नियम नहीं है कि सब धातुओं से ये सब प्रत्यय आकर कृदन्त शब्द बनावें।

हिन्दी में संस्कृत के भी कुछ कृदन्त शब्द आते हैं। वे संस्कृत धातुओं से प्रधानतः नीचे लिखे हुए प्रत्ययों के लगाने से बनते हैं। जैसे—

(क) 'अन' (ल्युट्) प्रत्यय करने से—नन्दन, मदन।

(ख) 'अच्' प्रत्यय करने से—जलद, मधुप, गृहस्थ।

(ग) 'अक' (ण्वुल्) प्रत्यय करने से—नायक, पाचक, पाठक, पूजक, याचक, गणक इत्यादि।

(घ) 'तृन्' और 'तृच्' प्रत्यय करने से-कर्त्ता, दाता, श्रोता, वक्ता, नेता, भर्ता इत्यादि।

(ङ) 'अण्' प्रत्यय करने से—सूत्रधार, वारिवाह, कुम्भकार, मालाकार इत्यादि।

(च) 'ट' प्रत्यय करने से-वनचर, खेचर, सुखकर, किङ्कर, दिवाकर, निशाकर इत्यादि।

(छ) 'इनि' ('णिनि' 'घिनुण्') प्रत्यय करने से—साधुवादी, दूरदर्शी, कुमार्गगामी, परिश्रमी, त्यागी इत्यादि।

उपर्युक्त कर्तृवाचक शब्द संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार बनते हैं। उन नियमों का वर्णन करना इस हिन्दी के व्याकरण में अनावश्यक है। इनका यह केवल परिचयमात्र है।

भाववाचक प्रत्यय।

कृदन्तीय भाववाचक शब्द से केवल व्यापार मात्र का बोध होता है। जैसे—होना, चढ़ाव, मिलावट, सिलाई, बचत, देख रेख, खान पान इत्यादि।

नीचे लिखे कृदन्तीय भाववाचक शब्द कई प्रकार के प्रत्यय करने से बनते हैं। जैसे—

(क) धातु के सामान्य रूप से-होना, जाना, करना आदि।

(ख) धातु के सामान्य रूप को ह्रस्व करने से—कुढ़न, लेन, देन, खान, पान, चलन, कतरन आदि।

(ग) शुद्ध धातु से—दौड़ धूप, खोज ढूँढ़, मार पीट, कूद-फाँद, चल फिर, कह सुन आदि।

(घ) धातु से 'आव' 'आवा' प्रत्यय लगाने से—लगाव, भभाव, बचाव, खिंचाव, बढ़ाव, बनाव, भुलावा इत्यादि।

(ङ) धातु से 'आ' प्रत्यय करने से—गुजारा, निबटारा, बँटवारा, छापा, छुटकारा, घाटा इत्यादि।

(च) धातु से 'आई' प्रत्यय करने से—लड़ाई, ठगाई, सिलाई, मढाई, चढाई, धराई गढ़ाई इत्यादि।

(छ) धातु से यथा स्थान 'वट' 'हट' प्रत्यय करने से—बनावट, चिल्लाहट, गड़गड़ाहट, दिखावट आदि।

(ज) धातु से 'त' जोड़ने पर-बचत, खपत, कटत आदि।

(झ) धातु से 'ई' प्रत्यय करने से—हँसी, ठठोली, बोली, झकझोरी, झँझोटी आदि।

(ञ) अनियमित रूप से धातु में भिन्न २ प्रत्ययों के करने आदि से—घटती, बढ़ती, पियास, प्यास, मिलाप, चाल ढाल, लेव देव, बढ़ती, रुलाई, लगान इत्यादि।

ये सब प्रत्यय भी सब धातुओं से नहीं होते।

हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत के कुछ भाववाचक कृदन्तीय शब्द संस्कृत धातुओं से नीचे लिखे संस्कृत प्रत्यय करने से बनते हैं। जैसे—

(क) क्ति प्रत्यय करने से—गति, भक्ति, मति, नीति, गीति, रीति, सम्पत्ति, विभूति इत्यादि।

(ख) अन (ल्युट्) प्रत्यय करने से—भवन, दान, गमन, कथन, भोजन, कारण, शयन इत्यादि।

(ग) अ (घञ्, अञ्) प्रत्यय से—प्रभाव, पाक, भाग, शोक, जय, देव, स्तव, भाव इत्यादि।

(घ) अ (अङ्) दया, कृपा, क्रिया आदि।

(ङ) और भी कई भाववाचक प्रत्ययों से—यत्न, विद्या, इत्यादि बने हुए संस्कृत शब्द हिन्दी में आते हैं।

ये सब प्रत्यय भी संस्कृत व्याकरणानुसार नियमित रूप होते हैं। यहाँ कुछ परिचय मात्र दे दिये गये हैं।

करणवाचक शब्द।

करण अर्थ को बतलानेवाले प्रत्ययों से—अर्थात् जिनसे र्ता का व्यापार सिद्ध होता है—बने हुए शब्द करणवाचक हाते हैं। जैसे—कसौटी, कतरनी, छनना आदि।

ये संज्ञायें तीन प्रकार से बनती हैं। कहीं २ धातु का सामान्य रूप' ही करणवाचक संज्ञा होती है। जैसे—बेलना, ा घोटना, ढकना, छनना। कहीं २ 'ना' को 'नी' कर देने ी भी ऐसी संज्ञायें बन जाती हैं। जैसे—कतरनी, कुरेलनी, ालनी, खोदनी, मथनी। कहीं धातु से 'आ' प्रत्यय जोडने हो जाती हैं। जैसे—घेरा, झूला।

संस्कृत में 'अच्' 'अन' 'त्र' आदि प्रत्यय करने पर संस्कृत ातुओं से बने हुए करणवाचक शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते । जैसे—कर, चरण, नयन, शस्त्र, स्तोत्र, पत्र इत्यादि।

विशेषणवाचक शब्द।

धातुओं में जिन प्रत्ययों को जोडने से विशेषण बनते हैं ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण-वाचक कहाते हैं। जैसे–ाया, बीता, खाना खाता हुआ इत्यादि।

विशेषणवाचक संज्ञायें दो प्रकार की होती हैं। एक (क) भूतकालिक और दूसरी (ख) वर्तमानकालिक। धातु ें 'आ' प्रत्यय करने से भूतकालिक विशेषणवाचक शब्द नते हैं। जैसे—बीत+आ=बीता, पढ+आ=पढा। 'गया' क्त फिर हाथ आता नहीं। 'बीती' ताहि बिसार दे। 'पढ़ा' ाठ भूल गया, इत्यादि।

(ङ) धातु से 'आ' प्रत्यय करने से—गुजारा, निबटारा बँटवारा, छापा, छुटकारा, घाटा इत्यादि।

(च) धातु से 'आई' प्रत्यय करने से—लड़ाई, ठगाई सिलाई, मढ़ाई, चढ़ाई, घराई गढ़ाई इत्यादि।

(छ) धातु से यथा स्थान 'वट' 'हट' प्रत्यय करने से—बनावट, चिल्लाहट, गड़गड़ाहट, दिखावट आदि।

(ज) धातु से 'त' जोड़ने पर–बचत, खपत, बटत आदि

(झ) धातु से 'ई' प्रत्यय करने से—हँसी, ठठोली, बोली झकझोरी, झँझोटी आदि।

(ञ) अनियमित रूप से धातु में भिन्न २ प्रत्ययों के करने आदि से—घटती, बढ़ती, पियास, प्यास, मिलाप, चाल ढाल, लेव देव, बढ़ती, रुलाई, लगान इत्यादि।

ये सब प्रत्यय भी सब धातुओं से नहीं होते।

हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत के कुछ भाववाचक कृदन्तीय शब्द संस्कृत धातुओं से नीचे लिखे संस्कृत प्रत्यय करने से बनते हैं। जैसे—

(क) क्ति प्रत्यय करने से—गति, भक्ति, मति, नीति, गीति, रीति, सम्पत्ति, विभूति इत्यादि।

(ख) अन (ल्युट्) प्रत्यय करने से—भवन, दान, गमन, कथन, भोजन, कारण, शयन इत्यादि।

(ग) अ (घञ्, अञ्) प्रत्यय से—प्रभाव, पाक, शोक, जय, देव, स्तव, भाव इत्यादि।

(घ) अ (अङ्) दया, कृपा, क्रिया आदि।

(ट) और भी कई [illegible] से—यत्न, इत्यादि बने हुए संस्कृत शब्द [illegible] हैं।

ये सब प्रत्यय भी संस्कृत व्याकरणानुसार नियमित रूप होते हैं। यहाँ कुछ परिचय मात्र दे दिये गये हैं।

करणवाचक शब्द।

करण अर्थ को बतलानेवाले प्रत्ययों से—अर्थात् जिनसे र्ता का व्यापार सिद्ध होता है—बने हुए शब्द करणवाचक हाते हैं। जैसे—कसौटी, कतरनी, छनना आदि।

ये सज्ञायें तीन प्रकार से बनती हैं। कहीं २ धातु का नामान्य रूप' ही करणवाचक सज्ञा होती है। जैसे—बेलना, ग घोटना, ढकना, छनना। कहीं २ 'ना' को 'नी' कर देने ी भी ऐसी सज्ञायें बन जाती हैं। जैसे—कतरनी, कुरेलनी, लनी, खोदनी, मथनी। कहीं धातु से 'आ' प्रत्यय जोडने ी हो जाती हैं। जैसे—घेरा, भूला।

संस्कृत में 'अच्' 'अन' 'त्र' आदि प्रत्यय करने पर संस्कृत ातुओं से बने हुए करणवाचक शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते । जैसे—कर, चरण, नयन, शस्त्र, स्तोत्र, पत्र इत्यादि।

विशेषणवाचक शब्द।

धातुओं में जिन प्रत्ययों को जोडने से विशेषण बनते हैं से प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण-वाचक कहाते हैं। जैसे- या, बीता, खाना खाता हुआ इत्यादि।

विशेषणवाचक सज्ञायें दो प्रकार की होती हैं। एक क) भूतकालिक और दूसरी (ख) वर्तमानकालिक। धातु 'आ' प्रत्यय करने से भूतकालिक विशेषणवाचक शब्द नते हैं। जैसे—बीत+आ=बीता, पढ+आ=पढा। 'गया' क फिर हाथ आता नहीं। 'बीती' ताहि बिसार दे। 'पढा' ठ भूल गया, इत्यादि।

पहले जो सामान्य भूतकाल का वर्णन हो गया है व
इसका रूप है और उसके बनाने के जो नियम हैं वे ही इस
भी। वस्तुत सामान्य भूत की जो क्रिया है वह एक प्रक
का कृदन्त विशेषण ही है। अतः इनमें लिङ्ग के अनुसार रू
बदलते हैं। जैसे—'पढ़े लिखे' लोगों को बुलाओ। 'जानी हु
बात कभी भी भूलने लायक होती है? 'मरे' को मारनो न
की बड़ाई है। ये विशेषण ही सामान्य भूत की क्रिया का क
देते हैं। ऐसे ही और भी समझो।

कभी २ यह विशेषण 'हुआ' के साथ भी आता है। जैसे
उनका मन मुझमें 'लगा हुआ' है। मन में मन 'मिला हुआ'।

इसके रूप और कई तरह से प्रयुक्त होते हैं। जै
"आन 'सँभाले' जान थी जाती, जान 'बचाये' आन थी जात
"न आये अगर वह तुम्हारे 'कहे' से तो मिन्नत करो 'घेरे' के
मना लो।"

इसी प्रत्ययार्थ में संस्कृत धातुओं से 'क्त' प्रत्यय कर
बने हुए शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—अनुभूत, पठि
विजित, गत, हत, शिक्षित, शान्त इत्यादि।

कर्म अर्थ में संस्कृत धातुओं से किये गये 'तव्य' 'अनी
'यत्' 'क्यप्' 'ण्यत्' आदि प्रत्यय भी विशेषण के समान हि
में आते हैं। जैसे—अपना 'कर्तव्य' कर्म करो। 'प्रशसनी
पुरुष की प्रशसा होती है। 'अलभ्य' वस्तु के लिये लालच
करो। 'भोग्य' वस्तुएँ भाग्य से ही मिलती हैं। कहीं कहीं त
औचित्य आदि भी अर्थ प्रकट होता है। जैसे, यह तुम्हा
कार्य अवश्य 'कर्त्तव्य' है।

(ख) धातु से 'ता' प्रत्यय करने पर वर्तमानकालि
विशेषणवाचक संज्ञायें बनती हैं। जैसे—बह+ता=बहत

पहले जो सामान्य भूतकाल का वर्णन हो गया है वही इसका रूप है और उसके बनाने के जो नियम हैं वे ही इसके भी। वस्तुत सामान्य भूत की जो क्रिया है वह एक प्रकार का कृदन्त विशेषण ही है। अत उनमें लिङ्ग के अनुसार रूप बदलते हैं। जैसे—'पढे लिखे' लोगों को बुलाओ। 'जानी सुनी' बात कभी भी भूलने लायक होती है? 'मरे' को मारना न पु... की बड़ाई है। ये विशेषण ही सामान्य भूत की क्रिया का काम देते हैं। ऐसे ही और भी समझो।

कभी २ यह विशेषण 'हुआ' के साथ भी आता है। जैसे उनका मन मुझमें 'लगा हुआ' है। मन में मन 'मिला हुआ' है।

इसके रूप और कई तरह से प्रयुक्त होते हैं। जैसे "आन 'सँभाले' जान थी जाती, जान 'बचाये' आन थी जाती" "न आये अगर वह तुम्हारे 'कहे' से तो मिन्नत करो 'पैरे'... मना लो।"

इसी प्रत्ययार्थ में संस्कृत धातुओं से 'क्त' प्रत्यय कर बने हुए शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—अनुभूत, पठित, विजित, गत, हत, शिक्षित, शान्त इत्यादि।

कर्म अर्थ में संस्कृत धातुओं से किये गये 'तव्य' 'अनीय' 'यत्' 'क्यप्' 'ण्यत्' आदि प्रत्यय भी विशेषण के समान हिन्दी में आते हैं। जैसे—अपना 'कर्तव्य' कर्म करो। 'प्रशंसनीय' पुरुष की प्रशंसा होती है। 'अलभ्य' वस्तु के लिये लालच करो। 'भोग्य' वस्तुएँ भाग्य से ही मिलती हैं। कहीं कहीं इ... औचित्य आदि भी अर्थ प्रकट होता है। जैसे, यह तुम्हा... कार्य अवश्य 'कर्त्तव्य' है।

(ख) धातु से 'ता' प्रत्यय करने पर वर्तमानकालिक विशेषणवाचक संज्ञायें बनती हैं। जैसे—बह+ता=बहता

+ता = जाता, 'दौड+ता = दौडता । 'बहती' नदी पाय ारि ले री' 'बहता' 'पानी निर्मला'।

हेतुहेतुमद्भूत काल की जो क्रिया पहले कही गयी है वही है और उसके सब नियम इसको भी लागू हैं। इनमें ेषण होने ही के कारण लिङ्ग परिवर्तन होता है। कहीं २ ज्ञायें क्रिया का भी काम देती हैं।

भूतकालिक क्रिया विशेषण के समान ही इसमें भी कहीं ' 'हुआ' जोडते हैं। जैसे—'चलती हुई' गाडी उलट गयी। डता हुआ' लडका गिर पडा।

इसके रूप और कई तरह से प्रयुक्त होते हे। जैसे—
* गयी मैं दुख 'सहते सहते' थम गये आँसू 'बहते बहते"
नेक और बद के दरवाजो, 'देखती' आँखों 'सुनते' कानो"
उते बैठते' रोका सबको 'सोते जागते' टोका सबको"
ल न फिरे दुनिया में 'भटकता' कोई रहे काँटा न 'खटकता"

इसी प्रत्ययार्थ में संस्कृत धातुओं से शतृ और शानच् य होते हैं। केवल शानच् प्रत्यय के बने हुए शब्द हिन्दी युक्त होते हैं। जैसे—वर्तमान, वर्द्धमान, क्रियमाण।

क्या भूतकालिक, विशेषणवाचक संज्ञायें हों या वर्तमान- लिक, जब इनके द्वित्व एकारान्त प्रयोग होते हैं तब ये यय से हो जाते हैं। क्योंकि इनका परिवर्तन किसी लिङ्ग नहीं होता। जैसे—मैं बैठे बैठे' घबडा गया। लडकी 'सोये ये' चिल्ला उठी। लडका 'दौडते दौडते' थक गया। लडकी ते रोते' सो गयी।

क्रियावाचक अव्यय।

धातुओं में कितने कृदन्तीय प्रत्यय ऐसे होते हे जो सदा रूप रहते हैं। ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्द क्रियावाचक

अव्यय कहे जाते हैं। जैसे—चाहिए, मिलिबो, आइयेगा, कीजिये, करके, खा पीकर इत्यादि।

आदर तथा परोक्षविधि की जो क्रियायें पहले कही जा चुकी हैं वे इये, इयो, इयेगा आदि प्रत्ययों ही के करने से बनती हैं। जैसे—मिल+इये=मिलिये, घबरा+इयो=घबराइयो, पछता+इयेगा=पछताइयेगा इत्यादि। ये भी अव्यय ही से व्यवहृत होते हैं।

कुछ धातुओं के ये रूप अनियमित रूप से बनते हैं। जैसे—दीजिये, दीजे, दीजो, पीजिये, पीजो।

अनन्तर अर्थ में के, करके, कर आदि जो प्रत्यय होते हैं वे भी अव्ययार्थक हैं। जैसे, मैं खा 'के' खा 'करके' खा 'कर' पढ़ता हूँ। कहीं २ ये लुप्तावस्था में भी रहते हैं और धातु ही इनका अर्थ देता है। जैसे—वे उनसे मिले और कुशल 'पूछ' चले गये। कहीं कहीं भिन्न रूप से भी वह आता है। जैसे—काहे मन 'मारे' खड़ी गोरी आँगना, इसमें 'मारे' मार कर इस अर्थ में आया है। यह भूतकालिक विशेषण हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा होता तो उसका लिङ्ग परिवर्तन अवश्य होता। संस्कृत में इनके स्थान पर 'क्त्वा', "ल्यप्" प्रत्यय आते हैं। वे भी अव्यय होते हैं।

अभ्यास।

कृदन्त किसे कहते है ? कृदन्त के कितने भेद हैं ? कर्तृवाचक संज्ञा का लक्षण है ? कितने प्रकार से हिन्दी में और कितने प्रकार से संस्कृत में कौन २ प्रत्यय करने से कर्तृवाचक संज्ञायें बनती हैं ? भाववाचक संज्ञा किसे कहते है ? हिन्दी और संस्कृत में भाववाचक संज्ञायें कौन २ प्रत्यय करने से बनती हैं ? करणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ? करणवाचक संज्ञायें किस २ प्रकार से बनती हैं ? विशेषणवाचक संज्ञा के के भेद हैं ? प्रत्येक की बनावट कैसे होती है ? दोनों में अन्तर क्या है इनके कितने प्रकार से प्रयोग किये जा सकते हैं ? क्रियावाचक अव्यय किसे क

? ये कै प्रकार के हैं ? क्रियावाचक अव्ययों का वाक्य में कैसे व्यवहार होता है ?

नीचे लिखे वाक्यों में किस २ प्रकार के कृदन्त शब्द आये हैं और उनके नाम, भेद और बनावट क्या है ? बतावो—

पत्ना लिखना सबको नहीं आता। बतकड़ आदमी को झूठमूठ बातें बनाना ही अच्छा लगता है। कना के कर्तव्य की थाह पानेवाला कौन है ? परिश्रमी मनुष्य किसी का बिहूर होना नहीं चाहते। अपने शरीर की सजावट, खेल कूद, गालीगलौज में अपनी जिन्दगी बिताना अच्छा नहीं है। विद्याभ्यास करके यत्नपूर्वक अपनी गतिमति। का प्रभाव सब पर डालना चाहिये। आजकल कागज की कतरन में पैसे खूब आते हैं। दुखी से कह दीजिये कि रोने रोते लड़का सो न जाय। कहना कितना हो हूँ पर वह सुननेवाला नहीं। सुनी अनसुनी करनेवाला लड़का बड़ा दुष्ट होता है। मेरा सँभाला भी न सँभला। आते ही आते काम तमाम होगया। वह सिसकती और मुझे देख खिसकती चली गई। पढ़ लिखकर पण्डित हो जाइयो। मेरा काम मत भूलियेगा।

तद्धित (Nominal Affixes)

शब्दों के साथ प्रत्ययों के लगाने से जो भिन्न २ शब्द बनते हैं वे तद्धित कहाते हैं।

तद्धित प्रत्यय अनगिनत हैं और उनसे बननेवाले शब्द भी अनगिनत। उनमें जो मुख्य और हिन्दी में व्यवहृत होते हैं वे लिखे जाते हैं।

तद्धित प्रत्ययों से बने हुए शब्द कई भागों में बँटे हुए हैं। जैसे-कर्तृवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, अव्ययवाचक, पूरणार्थक, सादृश्य सूचक, आदरार्थक, निश्चयार्थक इत्यादि। जैसे—टोपी + वाला = टोपीवाला, इतिहास + इक = ऐतिहासिक, साधु + ता = साधुता, लम्बा + आई = लम्बाई, लोटा + इया = लोटिया इत्यादि।

१ कर्तृवाचक शब्द।

कृदन्तीय कर्तृवाचक के समान तद्धितीय कर्तृवाचक शब्द से आशकर किसी क्रिया के व्यापार करनेवाले का बोध

नहीं होता। सामान्यत वह उस पदार्थ का सम्बन्धी वा रखनेवाला ही आदि समझा जाता है जैसा कि नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट है।

कर्तृवाचक तद्धितान्त शब्द नीचे लिखे कई प्रत्ययों के जोडने से बनते हैं। जैसे --

[क] 'ई' प्रत्यय से--बिहारी, बंगाली, तेली, दफ्तरी आदि।
[ख] 'वाला' प्रत्यय करने से--दूधवाला, मक्खनवाला आदि।
[ग] 'हारा' प्रत्यय से—चुडिहारा, लकडिहारा, पनिहारा आदि।
[घ] 'इया' प्रत्यय से—अढतिया, मखनिया, नोनिया आदि।
[ङ] 'गार' प्रत्यय से—खिदमतगार, पर्हेजगार, आदि।
[च] 'ची' प्रत्यय से—खजानची, तबलची, मशालची आदि।
[छ] 'वाहा' प्रत्यय से—हलवाहा, कुदरवाहा, चरवाहा आदि।
[ज] 'डी' प्रत्यय से—भँगेडी, गँजेडी, जुआडी, खेलाडी आदि।
[झ] 'र' प्रत्यय से—सुनार, लुहार, चमार, कुम्हार आदि।
[ञ] 'रा' प्रत्यय से—कसेरा, ठठेरा, लुटेरा, सपेरा आदि।
[ट] 'री' प्रत्यय से—जुआरी, पुजारी, कोठारी, भिखारी आदि।
[ठ] और भी भिन्न २ प्रत्ययों से बने हुए कई कर्तृवाचक तद्धितान्त शब्द हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। जैसे—लठैत, मछुवा, चुनौटी, गयाल, कारीगर, कठघरा आदि।

२ गुणवाचक शब्द।

नीचे लिखे प्रत्ययों के जोडने से गुणवाचक तद्धितान्त शब्द बनते हैं। जैसे —

[क] 'आ' प्रत्यय से—ठण्ढा, भूखा, मैला, कुबडा आदि।
[ख] 'ऊ' प्रत्यय से—घराऊ, धराऊ, टिकाऊ, बाजारू आदि।
[ग] 'हरा' प्रत्यय से—एकहरा, दोहरा, तिहरा आदि।

[ঘ] 'पेल' प्रत्यय से—खपडैल, खिगडैल, मुछैल आदि।
[ट] 'ला' प्रत्यय से—अगला, पिछला, मझला, पहला आदि।
[च] 'वन्त' प्रत्यय से—कुलवन्त, शीलवन्त, धनवन्त आदि।
[छ] 'इया' प्रत्यय से—लटपटिया, खटपटिया, चटपटिया आदि।
[ज] 'ईला' प्रत्यय से—सजीला, गँठीला, चटकीला आदि।
[झ] 'पेला' प्रत्यय से—बनैला, घुमैला, घरैला आदि।
[ञ] 'गुना' प्रत्यय से—दुगुना, तिगुना, दशगुना आदि।

कुछ उर्दू ढग के प्रत्ययों से विशेषणवाचक तद्धितान्त शब्द बनते हैं जो हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। जैसे —

[क] 'नाक' प्रत्यय से—दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक।
[ख] 'मन्द' प्रत्यय से—अक्लमन्द, दौलतमन्द, फायदेमन्द।
[ग] 'वर' प्रत्यय से—ताकतवर, जोरावर, किस्मतवर।
[घ] 'वार' प्रत्यय से—पैदावार, सजावार, उम्मीदवार।
[ङ] 'सार' प्रत्यय से—चलनसार, मिलनसार, खाकसार।
[च] और भी बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे ऐसे शब्द बनते हैं। जैसे-बान-मिहरबान, गर-जादूगर, गार-मददगार, दार = मजेदार, दाज-तीरन्दाज, बाज-दगाबाज, गीन-गमगीन, वगैरह।

गुणवाचक तद्धितान्त संस्कृत शब्द भी हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। वे नीचे लिखे हुए प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे —

[क] 'मान्' [मत्] प्रत्यय से-श्रीमान्, मतिमान, बुद्धिमान आदि।
[ख] *'वान्' [वत्] प्रत्यय से-धनवान्, ज्ञानवान्, गुणवान आदि।
[ग] 'वी' [विन्] प्रत्यय से-यशस्वी, तेजस्वी, मायावी आदि।

* मान्, वान् दोनों में एक ही मत् प्रत्यय है। नियमानुसार कहीं म व हो जाता है और कहीं कहीं वही रह जाता है। हिन्दी में इन्हें कोई सस्वर भी लिखते हैं पर हलन्त लिखना ठीक है।

नहीं होता। सामान्यतः वह उस पदार्थ का सम्बन्धी या रखनेवाला ही आदि समझा जाता है जैसा कि नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट है।

कर्तृवाचक तद्धितान्त शब्द नीचे लिखे कई प्रत्ययों के जोड़ने से बनते हैं। जैसे.—

[क] 'ई' प्रत्यय से—बिहारी, बंगाली, तेली, दफ़्तरी आदि।
[ख] 'वाला' प्रत्यय करने से—दूधवाला, मक्खनवाला आदि।
[ग] 'हारा' प्रत्यय से—चुड़िहारा, लकड़िहारा, पनिहारा आदि।
[घ] 'इया' प्रत्यय से—अढ़तिया, मखनिया, नोनिया आदि।
[ङ] 'गार' प्रत्यय से—खिदमतगार, परहेजगार, आदि।
[च] 'ची' प्रत्यय से—खजानची, तबलची, मशालची आदि।
[छ] 'वाहा' प्रत्यय से—हलवाहा, कुदरवाहा, चरवाहा आदि।
[ज] 'ड़ी' प्रत्यय से—भँगेड़ी, गँजेड़ी, जुआड़ी, खेलाड़ी आदि।
[झ] 'र' प्रत्यय से—सुनार, लुहार, चमार, कुम्हार आदि।
[ञ] 'रा' प्रत्यय से—कसेरा, ठठेरा, लुटेरा, सपेरा आदि।
[ट] 'री' प्रत्यय से—जुआरी, पुजारी, कोठारी, भिखारी आदि।
[ठ] और भी भिन्न २ प्रत्ययों से बने हुए कई कर्तृवाचक तद्धितान्त शब्द हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। जैसे—लठैत, मछुवा, चुनौटी, गयाल, कारीगर, कठधरा आदि।

२ गुणवाचक शब्द।

नीचे लिखे प्रत्ययों के जोड़ने से गुणवाचक तद्धितान्त शब्द बनते हैं। जैसे —

[क] 'आ' प्रत्यय से—ठण्ढा, भूखा, मैला, कुबड़ा आदि।
[ख] 'ऊ' प्रत्यय से—घराऊ, धराऊ, टिकाऊ, बाजारू आदि।
[ग] 'हरा' प्रत्यय से—एकहरा, दोहरा, तिहरा आदि।

[घ] 'ऐल' प्रत्यय से—खपडैल, विगडैल, मुछैल आदि।
[ट] 'ला' प्रत्यय से—अगला, पिछला, मझला, पहला आदि।
[च] 'वन्त' प्रत्यय से—कुलवन्त, शीलवन्त, धनवन्त आदि।
[छ] 'इया' प्रत्यय से-लटपटिया, खटपटिया, चटपटिया आदि।
[ज] 'ईला' प्रत्यय से—सजीला, गॅठीला, चटकीला आदि।
[झ] 'ऐला' प्रत्यय से—बनैला, घुमेला, घरैला आदि।
[ञ] 'गुना' प्रत्यय से—दुगुना, तिगुना, दशगुना आदि।

कुछ उर्दू ढंग के प्रत्ययों से विशेषणवाचक तद्धितान्त शब्द बनते हैं जो हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। जैसे—

[क] 'नाक' प्रत्यय से—दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक।
[ख] 'मन्द' प्रत्यय से—अक्लमन्द, दौलतमन्द, फायदेमन्द।
[ग] 'वर' प्रत्यय से—ताकतवर, जोरावर, किस्मतवर।
[घ] 'वार' प्रत्यय से—पैदावार, सजावार, उम्मीदवार।
[ङ] 'सार' प्रत्यय से—चलनसार, मिलनसार, खाकसार।
[च] और भी बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे ऐसे शब्द बनते हैं। जैसे-बान-मिहरबान, गर-जादूगर, गार-मददगार, दार=मजेदार, दाज-तीरन्दाज, बाज-दगाबाज, गीन-गमगीन, वगैरह।

गुणवाचक तद्धितान्त संस्कृत शब्द भी हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। वे नीचे लिखे हुए प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे—

[क] 'मान्' [मत्] प्रत्यय से-श्रीमान्, मतिमान, बुद्धिमान आदि।
[ख]* 'वान्' [वत्] प्रत्यय से-धनवान्, ज्ञानवान्, गुणवान आदि।
[ग] 'वी' [विन्] प्रत्यय से-यशस्वी, तेजस्वी, मायावी आदि।

* मान्, वान् दोनों में एक ही मत् प्रत्यय है। नियमानुसार कहीं म व हो जाता है और कहीं कहीं वही रह जाता है। हिन्दी में व हें कोई सस्वर भी लिखते हैं पर हलन्त लिखना ठीक है।

[घ] 'ई' प्रत्यय से—धनी, गुणी, मानी, विद्यार्थी आदि।
[ङ] 'आलु' प्रत्यय से—दयालु, कृपालु, शीतालु आदि।
[च] 'इत' प्रत्यय से—दुःखित, अंकुरित, पुलकित आदि।
[छ] 'तर तम' प्रत्ययों से—गुरुतर, गुरुतम, लघुतर, लघुतम।
[ज] 'इष्ठ' प्रत्य से—ज्येष्ठ, कनिष्ठ, श्रेष्ठ आदि।
[झ]* 'ईय' प्रत्यय से-भारतीय स्वर्गीय, समुद्रीय आदि।
[ञ] 'इक' प्रत्यय से-धार्मिक, सामाजिक, नैतिक आदि।
[ट] 'अण' प्रत्यय से—शैव, मानस, सौवर्ण, यादव आदि।

ऊपर लिखे हुए प्रत्यय संस्कृत व्याकरण के अनुसार यथायोग्य होते हैं। इनका विशिष्ट वर्णन यहाँ अनावश्यक है।

३ भाववाचक शब्द।

नीचे लिखे प्रत्ययों के जोड़ने से भाववाचक तद्धितान्त शब्द बनते हैं। जैसे —

[क] 'आ' प्रत्यय से—बहलावा, भुलावा, बुलावा आदि।
[ख] 'आना' प्रत्यय से-ठिकाना, पैताना, सिरहाना आदि।
[ग] 'इत' प्रत्यय से—अपनाइत, तिसराइत, पचाइत आदि।
[घ] 'आई' प्रत्यय से—चौड़ाई, लम्बाई, भलाई आदि।
[ङ] 'ट' प्रत्यय से—बनावट, सजावट, दिखावट आदि।
[च] 'हट' प्रत्यय से-चिकनाहट, कड़ुवाहट, खरराहट आदि।
[छ] 'पन' प्रत्यय से—लड़कपन, अल्हड़पन, रुखड़ापन आदि।
[ज] 'त' प्रत्यय से—चाहत, मिल्लत, रंगत, संगत आदि।
[झ] 'पा' प्रत्यय से—बुढ़ापा, रंडापा, सुघड़ापा आदि।
[ञ] 'रा' प्रत्यय से—छुटकारा, निबटारा, बटवारा आदि।
[ट] 'स' प्रत्यय से—खटास, मिठास, उंचास आदि।
[ठ] 'गी' प्रत्यय से—जिन्दगी, रजगी, ताजगी, उम्दगी आदि।

* नीचे लिखे हुए ये तीनों प्रत्यय कई अर्थों में होते हैं।

[ङ] और भी भाववाचक शब्द कई प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे-कनैठी, बैठक, मिलाप, कसर आदि।

भाववाचक तद्धितान्त संस्कृत शब्द भी हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। वे नीचे लिखे प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे—

[क] 'अ' [घण्] प्रत्यय से—गौरव, शैशव, लाघव आदि।

[ख] 'य' [ष्यण्] प्रत्यय से-धैर्य्य, माधुर्य्य, शैत्य आदि।

[ग] 'ता' प्रत्यय से—पटुता, प्रभुता, गुरुता आदि।

[घ] 'इमन्' प्रत्यय से—महिमा, लघिमा, गरिमा आदि।

[ङ] 'त्व' प्रत्यय से—प्रभुत्व, गुरुत्व, महत्व आदि।

४ ऊनवाचक शब्द।

नीचे लिखे प्रत्ययों के जोड़ने से ऊनवाचक तद्धितान्त शब्द बनते हैं। जैसे—

[क] 'आ' 'वा' 'या' प्रत्यय करने से-बबुआ, बचवा, घोड़िया।

[ख] 'टी' प्रत्यय से—चुनौटी, बहूटी, हथोटी, लगोटी आदि।

[ग] 'री' प्रत्यय से—कोठरी, छतरी, ठठरी, गठरी आदि।

[घ] 'ड़ी' प्रत्यय से—पलगड़ी, पखड़ी, टगड़ी, खलड़ी आदि।

[ङ] 'आ' को 'ई' करने से-रस्सी, गोली, टोकरी, डाली आदि।

५ अव्ययवाचक शब्द।

नीचे लिखे प्रत्ययों से अव्ययवाचक शब्द बनते हैं। जैसे—

[क] 'तना' प्रत्यय से-दूरतक, शामतक, देरतक आदि।

[ख] 'तक' प्रत्यय से-जितना, तितना, उतना, इतना आदि।

[ग] 'ओं' प्रत्यय से—कोसों, घड़ियों, घटों, ज्यों, क्यों आदि।

[घ] 'ब' प्रत्यय से—अब, कब, जब, तब आदि।

[ङ] 'भर' प्रत्यय से—रातभर, दिनभर, मनभर, आदि।

[च] 'सों' प्रत्यय से—परसों, तरसों, नरसों आदि।

अव्ययवाचक तद्धितान्त संस्कृत शब्द भी हिन्दी में व्यव हृत होते हैं। वे नीचे लिखे प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे —

(क) 'था' प्रत्यय से—यथा, तथा, सर्वथा, अन्यथा आदि।

(ख) 'त्र' प्रत्यय से—सर्वत्र, एकत्र, अन्यत्र, तत्र आदि।

(ग) 'दा' प्रत्यय से—सर्वदा, सदा, कदा (चित्) एकदा।

(घ) 'त' (तसिल्) प्रत्यय से-प्रथमत , विशेषत , साधारणत ।

(ङ) 'श' (शस्) प्रत्यय से—शतश , सहस्त्रश', क्रमश'।

(च) 'धा' प्रत्यय से—बहुधा, द्विधा, एकधा आदि।

६ पूरणार्थक शब्द।

'वाँ' प्रत्यय से-नवाँ, दशवॉ, ग्यारहवॉ आदि शब्द बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉचवाँ, छठॉ (ठा) आदि शब्द अनियमित रूप से बनते हैं। संस्कृत में म, तीय, थ, प्रत्यय करने से पञ्चम, सप्तम, नवम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ आदि पूरणार्थक शब्द बनते हैं।

७ सादृश्यार्थक शब्द।

'सा' 'हरा' आदि 'सादृश्यार्थक' प्रत्यय हैं। जैसे-आगसा, हमसा, वैसा, कैसा, कालासा, मुझसा, राजासा, सोनहरा (हुला), रुपहरा (हुला) इत्यादि।

आदरार्थक 'जी' प्रत्यय से-बाबूजी, गुरुजी, भाईजी आदि।

निश्चयार्थक 'ही' प्रत्यय से—वही, घर ही, कभी, तभी।

हिन्दी में हजारों तद्धित प्रत्यय हैं जिनसे बने हुए एक, दो, चार, पाँच, शब्द व्यवहार में आते जाते हैं। यहाँ विशेषत' व्यवहृत होनेवाले नाममात्र के उदाहरण और उनकी बनावट का आभास मात्र दे दिया गया है। इन शब्दों की रचना के

सम्बन्ध में भिन्न २ हिन्दी के वैयाकरणों के मत भिन्न २ हैं। उनकी ये भिन्नतायें शब्दगत और प्रत्ययगत हैं।

संस्कृत के अन्यान्य और भी सैकड़ों 'तद्धितान्त शब्द' हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। उनका भी थोड़ा ही दिग्दर्शन मात्र कर दिया गया है।

अभ्यास।

तद्धित किसे कहते हैं? कृदन्त और तद्धित में क्या भेद है? तद्धित के प्रधानतः कितने भेद हैं? कर्तृवाचक तद्धितान्त शब्द बनाने के मुख्य २ कौन २ प्रत्यय हैं। किन २ मुख्य प्रत्ययों से हिन्दी–संस्कृत के तद्धितान्त गुणवाचक शब्द बनते हैं? उर्दू ढंग के मुख्य कौन २ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं? हिन्दी और संस्कृत में कितने भाववाचक मुख्य तद्धित प्रत्यय हैं? किन मुख्य हिन्दी और संस्कृत के प्रत्ययों से अव्ययवाचक शब्द बनते हैं? ऊनवाचक मुख्य तद्धित प्रत्यय कितने हैं? सादृश्यार्थक और निश्चयाथक तद्धित प्रत्यय कौन हैं और उनसे कैसे तद्धितान्त शब्द बनते हैं?

नीचे लिखे वाक्यों में कौन कौन तद्धितान्त शब्द हैं और वे किस भेद के हैं और कैसे बने हैं, बतलाओ।

हलवाहे दोपहर की कड़ी गर्मी में हल जोतते हैं। लकड़हारा काठ का गट्ठर लिये हुए दिन भर बेचता फिरता है। लठैतों के लट्ठ बड़े टिकाऊ होते हैं। फ़ायदेमन्द दवा देह में दुगुना बल ला देती है। खपड़ैले मकान कठिनता से बरसात में नीचू रहते हैं। चलनसार सिक्के बाजारू होते हैं। भारतीय क्या धनी हों और क्या गरीब अपने धार्मिक कर्तव्यों के पालन में स्वर्गीय सुख अनुभव करते हैं। गौवाला मक्खनियों के हाथ दूध बेंचता है। बड़ों का बड़प्पन मिलन में और विनय में ही दीख पड़ता है न कि गुस्सा और महत्त्व प्रकट करने में। बबुआ कोठरी में पलँगड़ी पर गोली ढ़राता है। विद्यार्थी को मेहनती, जोरावर शीलवन्त होकर सब के साथ लघुता दिखलानी चाहिये। अक्खड़पन उनके लिये अच्छा नहीं है।

समास (Compound words)

जब कभी दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं तब उसे समास कहते हैं। समास से उत्पन्न शब्द को

'समस्त' अर्थात् समासयुक्त शब्द कहते हैं। समस्त शब्द एक हो जाता है। जैसे—प्रेमसागर, पीताम्बर आदि।

जिन शब्दों में परस्पर सम्बन्ध रहता है उन्हींमें समास होता है। एकत्र सम्बद्ध शब्दों में से दो चार छोड़ दिये जायँ और शेष शब्दों के साथ समास हो, ऐसा हो नहीं सकता और न सम्बद्ध शब्दों के भीतर किसी अन्य शब्द का सम्बन्ध ही हो सकता है। समस्त शब्द स्वतन्त्र एक पद बन जाता है।

समस्त शब्द के अन्त में ही वचन के अनुसार विभक्तियाँ लगती हैं। अन्यान्य शब्दों के साथ जो विभक्तियाँ रहती हैं उनका लोप हो जाता है, पर समास में उनका अर्थ होता है। जैसे—प्रेमसागर। इसका अर्थ है प्रेम का सागर। प्रेम सागर में 'का' का लोप हो गया है पर उसका अर्थ होता है।

हिन्दी बोल चाल के अनुसार समास करने पर शब्दों में कुछ उलट फेर भी हो जाता है। जैसे—खाट का छप्पर = खट छप्पर, घोड़े का सवार = घुड़सवार, आपस में देखना = देखा देखी, चार बीस = चौबीस इत्यादि।

समास प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं—अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वन्द्व। तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय और 'कर्मधारय' का एक भेद द्विगु होता है। तत्पुरुष का एक भेद 'नञ् समास' भी है। ये ही सात समास हिन्दी में अधिकतर दीख पड़ते हैं।

१ अव्ययीभाव।

अव्ययों के साथ किसी संज्ञा का जो समास होता है वह अव्ययीभाव समास कहाता है। जैसे—यथा + शक्ति = यथा शक्ति (शक्ति के अनुसार)। प्रति + दिन = प्रतिदिन (दिन दिन)। अनु + रूप = अनुरूप (रूप के सदृश)। स + मूल = समूल

(मूल के सहित)। निर्+भय=निर्भय (भयरहित)। अति+काल=अतिकाल (काल बिताकर) रोज+रोज=हररोज, (दिन दिन)।

जब दो शब्द मिल कर एक हो जायें, अर्थात् उनका रूप विभक्तियों में न बदले तब ऐसे समास को अव्ययीभाव कहते हैं। जैसे—हाथोंहाथ। (शर्माजी का हिन्दी व्याकरणसार)।

२ तत्पुरुष।

जिसमें उत्तरपद प्रधान हो और विभक्ति का अर्थ लेकर पद परस्पर संयुक्त हों वह तत्पुरुष समास है। जैसे—कर्म से हीन=कर्महीन, हिम का आलय=हिमालय, बाजुओं के बन्द=बाजूबन्द, काठ का फोड़वा=कठफोड़वा, मुँह का चोर=मुँहचोर, पानी का शाला=पनशाला (पानीयशाला), शरण में आगत=शरणागत, अपने पर बीती=आपबीती इत्यादि। ऐसी ही चिड़ीमार, लखपती, देशनिकाला, घुड़सवार, प्रेममगन आदि शब्द बनते हैं।

बहुतेरे धातुओं का भी संज्ञा के साथ तत्पुरुष समास देखा जाता है। जैसे—दम को भरना=दम भरना, भूख से मरना=भूख मरना, ध्यान का करना=ध्यान करना, समझ में पड़ना=समझ पड़ना, खयाल में आना=खयाल आना आदि।

३ बहुव्रीहि।

समास करने पर जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास है। इस समास में जो शब्द का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। जैसे—पीत हो अम्बर जिसका वह—पीताम्बर। किया है कर्म जिसने वह—कृतकर्मा। चार हैं भुजायें जिसकी वह—चतुर्भुज। एक है रंग जिसका वह—एकरंगा। दो हैं रंग जिसके वह—दुरंगा। जिसके मुँह में जोर

है वह—मुँहजोर । मीठा है बोल जिसका वह—मिठबोलिया। सात हैं साल जिसके वह—सतसाला ।

अन्य पद की प्रधानता होने से बहुव्रीहि समासवाले पद प्राय विशेषण ही होते हैं और उनमें विशेष्य के लिङ्ग वचन आते हैं जैसे—'पीताम्बर' भगवान् कहाते हैं । 'नारायण' 'चतुर्भुज' हैं । 'एकरंगा' कपडा लाल होता है । बातें 'दुरंगी' छोड दो 'एकरंग हो जावो' । वह लडका बडा 'मुँहजोर' है । 'मिठबोलिया' लडका प्यारा होता है । खेत का 'सतसाला' बन्दोबस्त है ।

४ द्वन्द्व ।

जिसमें सब पदों की प्रधानता हो वह द्वन्द्व समास है । जैसे—दाल भात, माँ बाप, रात-दिन, अन्न जल, कन्द मूल-फल, रंग रूप, लेन-देन, खुशी राजी, आदि । इन सबों के बीच का 'और' अव्यय लुप्त है ।

हिन्दी लिखने में जब कभी यह समास होता है तो केवल उनमें विभक्ति का ही लोप हो जाता है । जैसे—मैंने उसे लातों से, मुक्कों से और घूसों से खूब पीटा । समास करने पर इस वाक्य का यह रूप हो जाता है । जैसे—मैंने उसे लातों मुक्कों घूसों से पीटा । कभी कभी बहुवचन के चिह्न का भी लोप हो जाता है । जैसे—बारात में 'हाथी घोडों' की कुछ गिनती नहीं थी । इसमें 'हाथियों की, घोडों की' स्थान पर 'हाथी घोडों की' का प्रयोग हुआ है ।

द्वन्द्व समास में ये सब रूप अनियमित रूप से बनते हैं । जैसे—हाथापाई,गालागाली,नोचानोची,छीनाछोरी, एकाएक, बार बार, नखसिख, पहले पहल । इनमें आदि के चार संज्ञा

की भाँति और अन्त के चार अव्यय के से वाक्य में व्यवहृत होते हैं।

अव्ययीभाव में पूर्व पद की, तत्पुरुष में उत्तर पद की, बहुव्रीहि में अन्य पुरुष की, द्वन्द्व में पूर्व और उत्तर दोनों पदों की प्रधानता रहती है।

५ कर्मधारय।

जहाँ विशेष्य विशेषण का और उपमान उपमेय का समास हो वहाँ कर्मधारय होता है। जैसे—नील+कमल=नीलकमल, सत्+जन=सज्जन, घन सा श्याम=घनश्याम, चन्द्र सा मुख=चन्द्रमुख। ये उदाहरण संस्कृत के हैं।

हिन्दी में कर्मधारय समास का प्राय उदाहरण नहीं मिलता। क्योंकि, विशेषण और विशेष्य में विग्रह वाक्य का कुछ भी भेद नहीं मालूम होता। संस्कृत में विशेषण में विभक्ति रहती है जिसका लोप हो जाता है और हिन्दी में विभक्ति ही नहीं रहती। हो सकता है कि कर्मधारय समास के कारण ही विशेषण की विभक्ति सदा लुप्त रहती हो।

६ द्विगु।

संख्यावाचक विशेषण के साथ जो समास होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे—पाँच+तत्व=पचतत्व, तीन+भुवन=त्रिभुवन, चार+वर्ण=चतुर्वर्ण। यह समास बहुधा समाहार (समूह) अर्थ में होता है।

द्विगु समास से बहुत से पद अनियमित रूप से बनते हैं। जैसे—चौहद्दी, पच्चीस (पाँच और बीस), चौमुहानी, दुअन्नी, चौअन्नी, अठन्नी, छदमची, तिपाई, चौपाई, तिर्सठ, (तीन और साठ) चौदश, अठवाकर आदि।

बहुव्रीहि समास के दिये हुए उदाहरण पीताम्बर और

चतुर्भुज के अब पीला कपड़ा और चार भुजायें ये अर्थ होते हैं तो पीताम्बर में कर्मधारय और चतुर्भुज में द्विगु समास समझे जायँगे।

७ नञ्।

निषेधवाचक 'न' के अर्थ में जो समास होता है वह नञ् समास कहाता है। जैसे—अशेष, अनपढ, निडर, अनीश्वर आदि।

संस्कृत के नियमों के अनुसार स्वर परे रहने से न का 'अन' और व्यञ्जन परे रहने से न का 'अ' हो जाता है। जैसे—अनन्त, अनादि, अलौकिक, अधर्म आदि।

हिन्दी बोल-चाल में अनियमित रूप से कहीं न का 'अ' कहीं 'अन्' कहीं 'नि' कहीं 'बे' और कहीं 'ना' आदेश हो जाता है। जैसे—अपवित्र, अछूता, अनसूँघा, अनपढ, अनादर निकम्मा, निडर, निधड़क, बेकार, बेखबर, नाखुश, नाराज आदि।

अन्यान्य सामासिक विषय।

सब समास या तो संज्ञा का संज्ञा के साथ, जैसे—देवघर, राम नाम आदि, या तो कहीं संज्ञा का धातु के साथ, जैसे—मुँहतोड़, कनफोड़ आदि, या तो धातु का धातु के साथ, जैसे—खा जा, कर ले (सब संयुक्त क्रियायें) आदि, या तो अव्यय का शब्द के साथ। जैसे—प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि होते हैं। इस भेद से भी समास चार प्रकार के हुए।

संस्कृत के विशिष्ट नियमों से बने हुए कुछ संस्कृत समासान्त शब्द हैं जो हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। वे ये हैं.—

नेत्रपथ, असत्पथ, चतुष्पथ, कदुष्ण, कदन्न, कापुरुष

कुपथ, सुगन्धि, सादर, सहोदर, सगोत्र, सजाति, मद्गचित, तद्वाक्य, आत्मदोष, राजदण्ड, पुरुषोत्तम, नराधम, पुरुष सिंह, नरश्रेष्ठ, चोरकेसरी, दर्शनमात्र, सिंहोपम, जीवन्मुक्त, सद्योजात, अद्यावधि, मृत्युपर्य्यन्त, आद्यन्त, अश्रुतपूर्व, आबालवृद्ध, नष्टप्राय, अर्द्धोदय, कोशार्द्ध, प्रणयकोप, याव ज्जीवन, दम्पति, प्रत्यक्ष, परोक्ष, समक्ष, देवराज, राजर्षि, महादेव, अहर्निश इत्यादि।

समास के सदृश द्विरुक्त शब्द भी होते हैं। कभी इनके रूप एकसे होते हैं और कभी विकृत। जैसे—'चोर चोर' मौसेरा भाई। 'ठठेरे ठठेरे' बदलाई। घर-घर, देख देख, भात बात, दाल वाल, दूध ऊध, इत्यादि।

अभ्यास।

नीचे लिखे वाक्यों में समस्त शब्दों के नाम और अर्थ बतावो।

राजपुरुष अपने अनुचरों का अनादर नहीं करते। महाराज शरणागतों को अभयदान देते हैं। धनहीनों को यथासम्भव अन्न दान करना चाहिये। कार्यारम्भ कर हतात्रा और अधीर होना महापुरुषों का लक्षण नहीं है। राम जानकी गृहत्यागी होकर निराश्रय वन वन मारे फिरते हैं। त्रिभुवन में परमेश्वर से बढ़ कर कोई नहीं है। अभागों को हाथ पैर हिलाना भी अच्छा नहीं लगता। पुस्तकावलोकन से समय का सदुपयोग होता है। संसार चक्र परिचालक सृष्टि रचना चतुर, दयासागर भगवान की अपार दया का पारावार नहीं है।

विभक्तियों के प्रयोग।

प्रथम कारक।

(१) नीचे लिखी अवस्थाओं में प्रथम कारक का शून्य चिह्न आता है। जैसे —

(क) संज्ञा के केवल अर्थमात्र में—राम, पण्डित्, ऊँचा।

(ख) संख्या और परिमाण अर्थ में—सेरभर चावल, दो हाथ गहरा, थोड़ा, एक, दो, बहुत।

(ग) उक्त कर्ता में—'लड़के' पढ़ते हैं। 'लड़कियाँ' गाती हैं। तुम्हारा 'आना' मुझे खटकता है। 'हम पुस्तक' पढते हैं। 'समझ कर पढना' अच्छा है।

(घ) उक्त कर्म में—मैंने 'पेड़े' उड़ाये। लड़के ने 'जलेबी खायी। रावण से 'सीता' हरी गयी। वामन से 'बलि' छला गया। उनसे 'मैं' देखा गया।

(ङ) अनुक्त कर्म में—तुम मेरी 'बात' मान लो। 'कहना' सुन लो। मैं एक 'घोड़ा' खरीद लाया हूँ। मुझे 'दर्शन' होने दो।

(च) उद्देश्य विधेय भाव में—ज्ञान उत्तम 'धन' है। लोहा 'धातु' है। विद्या 'बल' है।

(छ) विधेय विशेषण में—मैंने तुम्हें 'दानी' समझा था। हृदय 'पत्थर' हो गया। किसीको 'अपना' * और किसीको 'पराया' समझना अनुदारता है।

(ज) द्विकर्मक क्रिया के प्रधान कर्म में—राजा ने ब्राह्मण को 'दान' दिया। मैंने ब्राह्मण को 'भोजन' कराया।

(झ) सम्बोधन में—'बेटा' तू ने क्या किया?

(ञ) कभी २ क्रियाविशेषण में—हो चुका 'भला' छोड़ भी तो दो। न आया 'अच्छा' ही हुआ।

(२) नीचे लिखी अवस्थाओं में कर्ता का 'ने' † चिह्न आता है। जैसे—

* अनुक्त कर्म में 'को' आने पर आकारान्त विधेय विशेषण सदा एकवचन पुल्लिङ्ग ही रहता है। जैसे—इमको 'ठंढा होने दो। कभी कभी विशेष्य के अनुसार हेरफेर भी होता है। जैसे, 'लाठी को सीधी कर दो'।

† 'ने' को भी अनुक्त कर्ता में 'से' के समान ही बहुत वैयाकरण मानते हैं।

(क) थकना, बोलना, भूलना और जनना धातुओं को छोड़ सकर्मक सभी धातुओं के सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतों में—राम ने पाठ पढा, पढा है, पढ़ा था, पढ़ा होगा, इत्यादि।

(ख) डालना या देना धातु के पूर्व अकर्मक या सकर्मक कोई धातु रहे तो पूर्वोक्त भूतकालों में—उसने रात भर जाग डाला, या सारा ग्रन्थ देख डाला या जाग दिया इत्यादि।

(पण्डित अम्बिकादत्त व्यास)

(ग) सोचना और समझना धातु के पूर्वोक्त भूतकालों में विकल्प से–वह यह बात 'सोचा' या उसने यह बात 'सोची'। हम तुम्हारी बात नहीं समझे या हमने तुम्हारी बात नहीं समझी। (प० केशवराम भट्ट)

(घ) हँस देना, रो देना, मुस्कुरा देना में—तू ने उसे देख कर क्यों मुस्कुरा दिया? उसकी बात पर मोहन ने हँस दिया। मुकद्दर ने रो रो दिया हाथ मलकर।*

(प० केशवराम भट्ट)

(३) नीचे लिखी अवस्थाओं में अपवाद रूप से 'ने' चिन्ह नहीं आता। जैसे—

(क) थकना, बोलना, भूलना, लाना और जनना धातु के योग में—वह अन्न वस्त्र बहुत थका। वह बोला कि आप झूठे हैं। वह सब काम धाम भूला। लडकियाँ खिलौने लायीं। बकरी तीन बच्चे जनी, इत्यादि।

(ख) जाना, चुकना और सकना जिनके अन्त में हों ऐसे संयुक्त धातुओं में—वह आ गया। मैं ले चुका। तू कर न सका।

* इन तीनों का प्रयोग भाववाचकमा होता है।

(ग) जिस संयुक्त धातु के अन्त में करना हो उसमें—वह रात भर बैठे २ पढ़ा किया। वह चित्र सी चुपचाप खड़ी सुना की।

(घ) पौनः पुन्य अर्थ जताने वाले संयुक्त धातु में—

वह तो भूले थे हमें हम भी उन्हें भूल गये।
हज़रत भी कल कहेंगे कि हम क्या 'किया किये।'

'(पं० केशवराम भट्ट)

(ङ) पुकारना धातु में यदि कर्म न हो तो उसमें—पूतना पुकारी। 'चोबदार पुकारा करा ख़ाँ निगाह रूबरू।'

(राजा शिवप्रसाद)

भाषा भास्कर में एक नियम है—जब संयुक्त सकर्मक क्रिया का उत्तरार्द्ध अकर्मक होता है तब उस क्रिया के भूत काल में कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं आता। इससे यह विदित होता है कि यदि संयुक्त सकर्मक क्रिया उत्तरार्द्ध सकर्मक हो तो कर्ता में ने चिन्ह आ सकता है। पर प० केशवराम भट्ट अपने हिन्दी व्याकरण में यह नियम लिखते हैं—'वे' (संयुक्त धातु) जिनका पहला या दूसरा कोई भाग अकर्मक हो 'ने' नहीं आता। वे उदाहरण देते हैं–औरङ्गजेब शिवाजी को न 'दबा सका।' जब मानसिंह 'चढ़ आये' तो पठानों की सेना 'चल दी'। इन दोनों नियमों में परस्पर विरोध तो है ही पर भट्टजी के इस नियम और उदाहरण से १४१ पेज के (ख) चिन्हित व्यासजी वाला नियम भी खण्डित हो जाता है। मैं इन नियमों के सम्बन्ध में कहता हूँ कि जिस प्रकार के विशेषतः बोले जाते हैं वे ही प्रधान हैं और उनके सामने ये नियम उपेक्षणीय हो सकते हैं।

द्वितीय कारक।

[१] नीचे लिखी अवस्थाओं में द्वितीय कारक का चिन्ह 'को' आता है। जैसे—

[क] अनुक्त कर्म में–'तारों को' देखता है। 'लड़कों को' गिनता है। मैं 'इसको' मानता हूँ। मेरी 'गैया को' कौन दुहेगा। 'अधिकारी को' भेज दो।

[ख] अप्रधान कर्म में—'उसको' जाकर हाल कहा। मैं 'तुम को' न सुनाऊँगा। 'बच्चे को' दूध पिला दो। मैं घर में 'किसीको' कैसे मुँह दिखाऊँ।

[ग] सुझाना, जताना, चिताना, मिलना, सूझना, होना, पड़ना आदि के योग में—'उन्हें' यह बात सुझा दो। 'विद्यार्थी को' बता दो। 'मुझको' उसका फल मिल गया। 'तुम्हें' खेल ही सूझा है। 'आपको' सुख हो। 'उसको' तन मन की सुधि नहीं थी। 'तुमको' अभी मालूम पड़ा है।

[घ] रुच्यर्थक धातु के योग में–'मुझे' मीठा रुचता है। 'उसे' अब भागना ही भा गया। तुम्हारा बोलना ज़रा भी 'उसको' अच्छा नहीं लगता।

[ङ] व्यक्तिवाचक और अधिकारवाचक में—'मोहना को' भेज दो। 'सोहन को' आने दो। 'कोतवाल को' बुलाओ। 'सिपाही को' छोड़ दो। 'मालिक को' समझावो।

[२] 'को' का प्रयोग चतुर्थ कारक में भी होता है। नीचे लिखी अवस्थाओं में 'को' चिन्ह प्राय चतुर्थ कारक का अर्थ प्रकट करता है। जैसे —

[क] सम्प्रदान में—'ब्राह्मण को' गाय दो। 'दरिद्रों को' अन्न दो।

[ख] नमस्कारार्थक, धिक्कारार्थ और प्रशसार्ह शब्दों के योग

में-श्रीगणेशायनम। 'राजा को' नमस्कार। 'तुम्हें' प्रणाम है। 'पापी को' धिक्कार। 'तेरी करनी को' लानत है। 'तुमको' शतश: धन्यवाद। धन्य है तेरे 'साहस को'।

[ग] निमित्त अर्थ में। वे 'स्नान को' गये हैं। 'पढ़ने को' काशी जावो। 'भोजन बनाने को' सब चीज जुटाते हैं। दु:ख 'नाम को' भी न रहा।

[घ] योग्यता, उपयुक्तता और औचित्य में—पढ़ना 'तुम्हारे लिये' [तुमको] उपयोगी होगा। बड़ों की आज्ञा उठाना 'हमको' योग्य नहीं। विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य्य रखना चाहिये।

[ङ] आवश्यकता और अवस्था के द्योतन में-कल 'मुझे' जाना है। 'तुमको' आना होगा। 'हमको' कल रोते रोते बीता।

[३] भिन्न २ विभक्तियों में भी 'को' विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। जैसे —

[क] समय, स्थान और बदलने के अर्थ में—कल 'रात को' खूब पानी पड़ा। वह 'घर को' चल दिया। घोड़ा 'कितने को' लिया। इन तीनों स्थानों में 'रात में' 'घर पर' 'कितने में' सप्तमी के रूप भी बोल सकते हैं।

[ख] हो जाना, समा जाना इत्यादि के अर्थ में—'तुमको' क्या समा गया है। 'उसको' क्या हो गया। 'हमें' उसका भेद खुल गया वा मिल गया। यहाँ भी 'तुममें' 'उसमें' 'हम पर' सप्तमी के रूप बोल सकते हैं।

[ग] डरना के अर्थ में—'कायर को' क्यों डरें? यहाँ 'कायर से' क्यों डरें? यह भी बोल सकते हैं।

[४] कभी २ 'को' विभक्ति लुप्तावस्था में भी रहती है।

जैसे.—'किधर' छिपे हो माखनचोर।- वह 'कलकत्ते' गया। हम 'पढने' जाते हैं। वह 'सवेरे' आया था।

तृतीय कारक।

[१] नीचे लिखी अवस्थाओं में तृतीय कारक का चिन्ह 'से' का प्रयोग होता है। जैसे —

[क] अनुक्त कर्ता में—मुझसे पोथी पढी गयी। उससे सोये बिना नहीं रहा जाता। मोहन से पाठ लगाया गया।

[ख] प्रेरक कर्ता में—वह 'लेखक से' एक लेख लिखवाता है। 'पण्डित से' पाठ बँचवाता है। तू 'मुझसे' उसे पैसे दिलवाती है। हम 'उनसे' भात पकवाते हैं।

[ग] करण और हेतु में—राम ने रावण को 'बाण से' मारा। 'आँखों से' ही गिन रहा हूँ। 'भाग से' दर्शन हुआ। 'मेहनत से' सब कुछ होता है। 'मार से' भूत भागता है।

[घ] क्रिया करने के प्रकार बताने में—'धीरे से' पढो। 'क्रम क्रम से' सब कुछ होता है। 'शान्ति से' काम लो। 'उचित रीति से' चलो। 'क्रोध से' मत बोलो।

[ङ] साथ के अर्थ में—उसको न 'मुझसे' लाभ है और न 'तुमसे' हानि। नदी में रहना 'मगर से' बैर। 'उससे सम्बन्ध होने ही से' सब कुछ हो गया। 'आँख से' आँख न लडावो।

[च] चिन्ह और विकार में—'आँख से' काना है। 'पैर से' लँगडा है। 'जटा से' साधु मालूम पडता है। 'पुस्तक से' छात्र जान पडता है। 'अक्षर से' लेखक मालूम होता है।

[छ] निषेधार्थ में—'दौड धूप से' क्या नफा है। 'लडने से' क्या प्रयोजन। 'नौकरी से' क्या काम अर्थात् कुछ नहीं।

[ग] क्रिया विशेषण में—'किधर से' आये । 'आगे से' मिला। उसने 'पीछे से' देखा ।

[२] 'से' का प्रयोग पञ्चम कारक में भी होता है। नीचे लिखी अवस्थाओं में 'से' चिन्ह से प्राय. पञ्चमी का अर्थ जाना जाता है। जैसे—

[क] विभाग होने में—'पेड़ से' पत्ते गिरते हैं । 'नगर से' आता हूँ। 'घर से' निकालो ।

[ख] किसीसे किसी वस्तु के उत्पन्न होने में—'हिमालय से' गङ्गा निकलती है। 'दूध से' घी निकलता है । 'विद्या से' ज्ञान होता है। 'लोभ से' तृष्णा बढ़ती है ।

[ग] आरम्भ में—'आज से' कल तक। 'नख से' सिख तक । 'लड़कपन से' मैं ऐसा ही दुबला हूँ ।

[घ] डरने, बचने, लजाने आदि के हेतुवाचक शब्द में—मैं 'उससे' क्यों डरने लगा। मैं 'बाघ से' बाल २ बच गया। मेरा पिण्ड तो 'उनसे' छूटा। 'काम से' हाथ खींचा।'धर्म से' विमुख हुआ। 'मुझसे' क्यों लजाते हो ? 'गुरु से' पढो।

[ङ] भिन्नार्थक शब्द, परिचय, तुलना आदि के अर्थ में—जो तुम समझे हो वह 'उससे' भिन्न है। वह 'मुझसे' पृथक् है। मेरा उनसे गाढ़ परिचय है। वह हाड में 'मुझसे' बढ़कर है । 'शिवकुमार शास्त्री से' बढ़ कर नामी और कोई विद्वान् इस समय नहीं है ।

[च] रहित, हीन आदि शब्दों के योग में—तू 'बुद्धि से' रहित है। 'विद्या से' हीन मनुष्य पशु है ।

[छ] दूरी और समय के निर्णयवाचक शब्द में—वह 'मुझसे' बहुत दूर पर रहता है। वह 'यहाँ से' चार योजन है। 'आज से' ही गिन लो। 'कल से' जोड़ने पर पूरा नहीं होगा।

[ज] पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में—'दूर से' उसने मारा। 'कोठे से' देखता है। अर्थात् दूर खड़े होकर मारा, और कोठे पर चढ़कर देखा।

[३] कई स्थानों में 'से' का प्रयोग विकल्प से होता है। जैसे—

[क] दुहना, याचना, कहना, पूछना आदि द्विकर्मक धातुओं के अप्रधान कर्म में—'गाय से' दूध दुहता है। वामन 'बलि से' जाचते हैं। मैं 'तुम से' कथा कहता हूँ। वह 'उससे' पूछता है। पक्षान्तर में 'को' भी बोलते हैं। गाय को दुहता है। वामन बलि को याचते हैं। मैंने तुमको कोई बुरी बात तो नहीं कही। वह उनको पूछ लें, इत्यादि। सब जगह सब वाक्य दोनों प्रकार से नहीं बोले जा सकते।

[ख] दिग्वाचक शब्द, बाहर, परे, आगे, निकट आदि शब्दों के योग में—'गाँव से' पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्खिन। 'घर से' बाहर। 'स्थान से' परे। 'इससे' निकट। 'उससे' आगे। इनमें 'से' के स्थान पर विकल्प से 'के' भी कह सकते हैं।

[ग] निश्चय करने में—जैसे—'इन लड़कों में से' किसको चुनते हो। 'घर ही में से' निकला। 'सिर पर से' बला टली।

[घ] मूल्यबोधक संज्ञा में—कल्याण 'कञ्चन से' मोल नहीं लिया जा सकता। 'किस भाव से' अन्न बेचते हो? 'दो सौ से' घोड़ा खरीदा। इनमें यथायोग्य 'से' के स्थान पर 'में' 'पर' भी कह सकते हैं।

[ङ] प्रकृतिबोध करने में—'छूने से' ठंढी मालूम होती है। 'देखने से' दुखिया जान पड़ती है। यहाँ 'से' के स्थान पर 'में' भी कह सकते हैं।

[४] लुप्तावस्था में भी कभी २ 'से' रहता है। जैसे—

[क] इस 'कारण' मैं आ न सका। वर्षा के 'हेतु' बाहर न निकला। तेरे ही 'द्वारा' (इसमें 'से' कभी नहीं लगाते) यह काम सिद्ध होगा। 'आँखों' देखा न 'कानों' सुना। मेरी 'ओर' तुम बहस करना। 'जूते जूते' पीट दूँगा। किसके 'मुँह' कहला भेजा है। 'दाँतों' अँगुलियाँ काटीं। साँप पेट के 'बल' चलता है। मेरे 'कहे सुने' अब कुछ न होगा। उस काम में उनकी 'खुशी' ही सब कुछ है। किसके 'सहारे' कमर कसूँ।

षष्ठ कारक।

नीचे लिखी अवस्थाओं में षष्ठ कारक के चिन्ह (का, के, की) आते हैं। जैसे—

(क) सम्बन्ध में—राजा का नौकर। मेरे बाप। सोने का कड़ा। राम की पुस्तक। बिहारी की सतसई। सिर के बाल आदि।

(ख) तुल्यार्थक शब्द, अधीन, योग्य, अनुसार, प्रति, साथ, निकट, ऊपर, इत्यादि अनेक शब्दों के योग में—पुत्र के अधीन। उसके योग्य।* मेरे समान। कहने के अनुसार। उनके प्रति। तेरे साथ। हमारे आगे। उसकी ओर। मोहन के पीछे। घर के पिछवाड़े इत्यादि।

(ग) समस्त और केवल अर्थ में—गङ्गा की बाढ़ से 'गाँव का गाँव' डूब गया। 'सब के सब' लड़के पास हैं। 'खेत का खेत' गाय चर गई। 'दूध का दूध' 'पानी का पानी'। 'घर की घर' ही में रहे बात खुलने न पावे।

(घ) भाववाचक के प्रयोग में—उसका आना। तुम्हारी पैंठन।

* सर्वनाम में का, के की, के, स्थान पर रा, रे, री होता है।

उसकी कतर ब्योंत। बाल का मुड़ना। लाठी की मार। कपड़े की कतर। उसकी महिमा। तुम्हारा गाम्भीर्य्य और औदार्य्य। देवता की महिमा।

(ङ) परिमाण, मूल्य, काल, शक्ति आदि के अर्थ प्रकाश होने में—दो हाथ की लाठी। दश हाथ का बाँस। छ छ पसेरी की बात। अब बारह आने गज का साधारण मारकीन भी मिलना कठिन है। दस रुपये की टोपी है। वर्ष दिन का रास्ता चले पर छ महीने का नहीं। चार दिन की चाँदनी फेर अँधेरी रात। राव का रंक। राई का पर्वत। *बुढ़ापा आने से अब यह चलने फिरने का नहीं। अब राज ठहरने का नहीं।

(च) विशेष्य उपमान हो तो उपमेय में—दिल की कली। गुण का समुद्र। रूप का बाजार। प्रेम का बन्धन। आस का फाँस। माया की डोरी।

(छ) आधार अर्थ में—पहाड़ का (पहाड़ पर का) चढ़ना। घोड़े का आसन। कुर्सी का बैठना।

(ज) कृदन्तीय शब्दों के योग में—कपड़े का बेचनेवाला। आग का तपाया लोहा। उनके आते ही सब भेद खुल गया। 'रास्ते का' थका माँदा। साँप का ग्रसा छुछुन्दर। भगवान का दिया हुआ बेटा।

(झ) विशेष्य के गुण या लक्षण प्रकट करने में—पीने का पानी। जाति का ब्राह्मण। जनम का दरिद्री। तप के धनी। गाँठ का पूरा। दिन की रात हो गयी।

---

*इन दोनों वाक्यों में 'का' के प्रयोग को कोई २ भविष्य के अर्थ में लेते हैं। चलने फिरने का' 'ठहरने का' मतलब 'चलेगा फरेगा' 'ठहरेगा' नहीं, यह अर्थ है। पर यहाँ शक्ति के अर्थ में आये हैं।

(ञ) शीघ्रता में—बात की बात में कह डाला। आन की आन में आ पहुँची।

(२) नीचे लिखी अवस्थाओं में विकल्प से उपर्युक्त चिन्ह आते हैं। जैसे—

(क) होना क्रिया के साथ—जिसके आँखें न हों वह क्या जाने। वह उसकी बहन न हुई। नन्द जी के पुत्र हुआ है। भौंरे के छ पैर होते हैं। इन वाक्यों में 'के' के स्थान पर 'को' भी बोलते हैं।

(ख) लक्षण और अव्यय में—शरीर की तो कोमल है। मुँह का हलका है। माँ कब की पुकार रही है। कहाँ की कहाँ गयी। इनमें 'की' के स्थान पर 'से' का भी प्रयोग होता है।

(३) कभी लुप्तावस्था में भी इनकी सत्तायें रहती हैं। जैसे—मैं तेरी न सुनूँगा। सब की सुन लेते हैं लेकिन अपनी कुछ नहीं कहते। मन की मन में ही रक्खो। आने की कह गई पर फिर न आई। मुँह (का) माँगा धन। उसकी खूब चली है। यह न होने की।

सप्तम कारक।

(१) नीचे लिखी अवस्थाओं में सप्तम कारक के चिन्ह 'में' 'पर' आते हैं। जैसे—

(क) आधार में—तिल में तेल है। टेबुल पर पुस्तक है। लिखने में मन लगा है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। वसन्त में कोयल कुहुकती है। इसको पेड़ में बाँधो।

(ख) निर्धारण में—मणियों में हीरा बहुमूल्य है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। लड़कों में मोहन तेज है।

(ग) सातत्य अर्थ में—खत पर खत भेजा। एक पर एक बढ़ा

है। लड़ी एक में एक गुँथी हुई है। बाजी पर बाजी मार ले गया। दिन पर दिन बीतता जाता है।

(घ) अनन्तर अर्थ में—खा लेने पर पाठशाला जाऊँगा। कहने पर पछताना है। अर्थात् खा लेने के बाद, कहने के अनन्तर।

(ङ) काल, हेतु, परिमाण, अनन्तर इत्यादि के अर्थ में–कितने दिनों में पहुँचे। एक ही तीर में काम तमाम किया। एक कोस पर गाँव है। इस पर यदि तुम कहो। 'इस बात पर' वह लग गया। हम तुममें भेद नहीं है।

(२) नीचे लिखी अवस्थाओं में विकल्प से इनका प्रयोग होता है। जैसे —

(क) हेतु के प्रकाश करने में—ऐसा करो जिसमें यह कार्य सिद्ध हो। परिश्रम करो जिसमें विद्या लाभ हो। इनमें 'में' के स्थान पर 'से' भी आता है।

(ख) गत्यर्थक में—मोहन घर पर (घर को) (घर) गया। कलेजा मुँह को (में) आ गया।

(३) नीचे लिखी अवस्थाओं में 'में' और 'पर' चिन्ह लुप्त रहते हैं। जैसे —

मैं आपके पैर पड़ता हूँ। भले घर बायन दिया। मेरे जाने यह है। इसे गाँठ बाँध लो। आने सेर चावल। बार बार ऐसा न कहो। उस समय कहाँ थे? धन काम न आया। आठो पहर चौसठ घड़ी नाम जपता हूँ। उस जगह आ पहुँचा, इत्यादि।

नोट–[विभक्तियों के उदाहरण में अनेक तरह के मुहावरे दार वाक्य मिलते हैं जिनको व्याकरण की कसौटी पर कसना बड़ा दुष्कर हो जाता है। बोल–चाल की भाषा में ऐसे ऐसे विचित्र वाक्य दिन रात व्यवहृत होते रहते हैं जिन पर पढ़े लिखे बहुतों का कम ध्यान जाता है। अर्थ और व्यवहार

के अनुसार इनका बहुत महत्व समझा जाता है। ऊपर के उदाहरणों में ऐसे कुछ वाक्य आ गये हैं। और भी अनेक उदाहरणीय वाक्य हैं जिनके अर्थ का निर्णय नहीं किया गया है। उन प्रयोगों का भी विचारपूर्वक अर्थ निर्णय कर लेना चाहिये।]

अभ्यास।

नीचे लिखे वाक्यों में कौन ? विभक्ति किस ? अर्थ में जोड़ी गयी है —

उसने मुझसे सिर झुका लिया। मुझे दर्शन होने दो। बात को ऊँची करते हो। उसको क्या हुआ है। तुम्हें दोष ही सूझा है। फल मूल भेंट को लाया। मथुरा को बुलावो। मोहन को लिये चले। वह घर से भीख को निकला। राम को। रुपया ही सूझता है। हाथी से कौन लड़ सकता है? ऐसी बात न होने की। जिसके दो स्त्रियाँ थीं। बड़े पाट की नदी। धन में लगे रहो। यह चीज नौकर से भेज दूँगा। हाथ पैर तो कहने में ही नहीं हैं। पैरों पड़ा। इनमें से कौन है? मेरे नाम से पहचान लो गया।

ऐसे कुछ वाक्य बनावो जिनमें निमित्त और लुप्तावस्था में 'को' अपेक्षा और आरम्भ अर्थ में 'से' विशेष्य के गुण और शक्ति प्रकट करने में 'का' अन्तर और निर्धारण अर्थ में 'में' तथा 'पर' के व्यवहार हों।

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो —

मन का एकाग्र करे बिना किसी आदमी चाहें को कोई विषय के मैं पूर्ण सफल हों सो नहीं होने की। इसीमें जितने एक साथ काम आरम्भ करते हैं उसमें एक कार्य भी यथेष्ट सिद्धि नहीं होता। चित्त संयम का साथ यदि वही दश काम बारी बारी में किया जाय तो उतना ही समय से सुख में सब सिद्ध हो सकते हैं। इसमें हम लोगों को चाहिये प्रत्येक कामों में मन लगा कर को किया करें। ये ही एक सिद्धी से द्वार है और दूसरे ऐसा नहीं है।

वाक्य-विचार (Syntax)

व्याकरण का तीसरा भाग वाक्य विचार है। इसमें शब्दों के द्वारा वाक्य-विन्यास की रीति बतायी जाती है।

मुख्यतः वाक्य रचना में दो बातें देखी जाती हैं । एक तो मेल और दूसरा क्रम ।

मेल में यह वर्णन किया जाता है कि कौन शब्द लिङ्ग, पुरुष, वचन आदि में किसके समान होता है ।

क्रम में यह बात बताई जाती है कि वाक्य में किस २ शब्द का कौन २ स्थान नियत है । यह दो तरह का होता है । एक व्याकरण सम्बन्धी क्रम और दूसरा आलङ्कारिक क्रम ।

व्याकरण-सम्बन्धी (Grammatical) क्रम में शब्दों के बोलने और लिखने में यथास्थान रखने के साधारण नियम दिये हुए हैं और आलङ्कारिक (Rhetorical) क्रम में व्याकरण सम्बन्धी नियम कुछ उलट पलट जाते हैं । इससे वाक्यार्थ में विशेषता आ जाती है ।

मेल (Concord)

हिन्दी में क्रिया के साथ कर्ता का और कर्म का, संज्ञा के साथ सर्वनाम का, भेद्य के साथ भेदक का और विशेष्य के साथ विशेषण का मेल रहता है ।

क्रिया के साथ कर्ता का मेल ।

(१) कर्ता में कोई विभक्ति न हो तो क्रिया कर्ता के समान होती है । जैसे–तू पढ़ता है । मैं पढ़ता हूँ । वे पढ़ते हैं । स्त्रियाँ सोती हैं । बच्ची रोती है । वह पढ़ता था । तुम लिखोगे ।

(२) यदि वाक्य में एक से अधिक एकवचन कर्ता हों और वे 'और' से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचनान्त होगी । जैसे–राम और श्याम पढ़ेंगे । मोहन और सोहन लिखेंगे ।

(३) आदर और अपने के लिये एकवचन में भी बहुवचन का प्रयोग होता है । जैसे–गुरु महाराज आये । पण्डित जी गये । हम कथा कहेंगे । आप बोलिये ।

(४) यदि एक ही क्रिया के अनेक एकवचन कर्ता हों और उनमें 'न' 'वा' आदि कोई विभाजक शब्द हों तो क्रिया एकवचन ही होगी। जैसे—न मुझे भूख है न प्यास। राम वा श्याम आवेगा। तू या वह कोई करे। मोहन लावेगा चाहे सोहन। मैं इसे करूँ अथवा वह करे।

(५) यदि एक कर्ता की अधिक क्रियायें हों तो कर्ता एक ही बार लाते हैं। जैसे—राम ही कहेगा, सुनेगा सब कुछ करेगा। मोहन न पढता है न लिखता है।

(६) यदि एक ही क्रिया के अनेक कर्ता हों और वे लिङ्ग में असमान हों तो क्रिया बहुवचन और अन्तिम लिङ्ग के अनुसार होगी। जैसे—लडके लडकियाँ आयीं। औरतें और मर्द झगडते हैं'।

(७) यदि पिछला कर्ता एकवचन हो तो क्रिया एकवचन अथवा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकती है।

(अम्बिकादत्त व्यास)

(८) यदि असमान लिङ्ग के अनेक एकवचन कर्ता हों तो क्रिया पुलिङ्ग और बहुवचनान्त होगी। जैसे—एक झोपडे में बुढ्ढा और बुढिया रहते थे। राजा रानी आये। माता पि[illegible] गये। कितने दिन रात गुजर गये।

(९) यदि एक क्रिया के असमान लिङ्ग के अनेक [illegible] हों और उनमें कोई समुदायवाचक शब्द आ पडे तो [illegible] बहुवचनान्त पुलिङ्ग होगी। जैसे—मेले में हाथी, घोडे, [illegible] वैल, भैंस सब विक रहे थे। दंगे में बालक, युवा, न[illegible] सब के सब पकडे गये।

(१०) ऐसी दशा में यदि समुदायवाचक शब्द

वचन की विवक्षा न रहे तो एकवचन ही होगा। जैसे—धन, जन, स्त्री, पुत्र, कलत्र मेरा सब चला गया।

(११) यदि वाक्य में कई संज्ञायें रहें और उनसे बहुवचन की विवक्षा हो तो बहुवचन क्रिया होती है। जैसे—इसके लेने में चार रुपये, छ आने, तीन पैसे लगे हैं।

(१२) ऐसी दशा में यदि संज्ञाओं से एकवचन विवक्षित हो तो क्रिया में एकवचन होगा। जैसे—इसके करने में तीन बरस चार मास, छ दिन लगा है।

(१३) यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष के कर्ता हों तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार और यदि मध्यम और अन्य पुरुष के कर्ता हों तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे—हम, तुम और मोहन पढ़ेंगे। मोहन और तुम पढ़ोगे। *वह और तू पढ़ो।* तू और मैं पढ़ेंगे। हम और तुम चलेंगे।

(१४) विधि या आज्ञार्थक क्रिया के कर्ता लुप्त रहते हैं पर वे मध्यम पुरुष के 'तू' और 'तुम' ही होते हैं। इससे क्रिया मध्यम पुरुष की ही होती है। जैसे—(तू) पढ़। (तुम) पढ़ो। इन दोनों के अतिरिक्त यदि अन्य मध्यम पुरुष के कर्ता हों तो वे लुप्तावस्था में नहीं रहते। जैसे—आप कथा सुनावें।

(१५) यदि जातिवाचक कोई कर्ता हो तो क्रिया एकवचन होती है। जैसे—मेला लगा है। समाज जुटा है। भीड़ जमी है। पर इनमें जहाँ बहुत्व का बोध हो जहाँ बहुवचन क्रिया होगी। जैसे—दश समाज जुरे हैं।

(१६) अनादर करने में और ईश्वर के पुकारने में एकवचन ही क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे—तू यहाँ से चला जा। अरे क्या बकता है? सच झूठ तो ईश्वर ही जानता है।

* ऐसे स्थानों पर 'वह और तू पढ़ो' तू और मैं पढ़ूँगा' ऐसे भी वाक्य बोलते हैं।

(१७) यदि संज्ञा के साथ 'हरेक' 'प्रत्येक' अव्यय हो तो क्रिया और सर्वनाम में एकवचन ही होगा। जैसे—प्रत्येक आदमी अपना काम कर रहा है। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक घोड़ और प्रत्येक हाथी मारा गया।

(१८) द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और गुणवाचक शब्द प्राय एकवचन ही होते हैं। इससे इनकी क्रिया भी वैसी ही होती है। जैसे—तेल बिकता है। मोहन आया। उसकी नम्रता प्रशंसनीय है। इनके प्रकार वर्णन में बहुवचन हो सकता है। जैसे—सब तेलों में तिल का तेल अच्छा होता है, इत्यादि।

(१९) कुछ कर्ताओं की क्रियायें प्राय. बहुवचन में ही व्यवहृत होनी चाहियें। जैसे—प्राण निकल गये। अक्षत छींटे गये। ओठ फड़कने लगे। आँखें पथरा गईं।

(२०) यदि अनेक उद्देश्यों का विधेय एक हो तो विधेय में अन्तिम उद्देश्य का लिङ्ग होगा। जैसे—मोहन के लड़के लड़ कियाँ साफ सुथरी रहती हैं। पर यदि विधेय संज्ञा हो तो विधेय के अनुसार लिङ्ग वचन होते हैं। जैसे—सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, आदि धातु कहलाता है।

क्रिया के साथ कर्म का मेल।

कर्ता में कोई विभक्ति हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे—स्त्री ने * कपड़े रँगे। लड़कों ने जलेबियाँ खायीं। मैंने गाय दी। मुझसे लड़की पढ़ायी जाती है। हमसे तू देखा गया। मुझसे कथा कही गयी। †

* 'ने' और 'से' के लाने के नियम 'क्रिया' और 'विभक्तियों के प्रयो[ग]' प्रकरणों में देखो।

† जब कर्ता कर्म, दोनों में विभक्तियाँ रहती हैं तो क्रिया का मेल [कि]सी के साथ नहीं होता है और वह सदा एकवचन पुलिंग अन्यपुरुष की ही हो[ती है]। जैसे—मुझसे बेकार बैठा नहीं जाता। कृष्ण ने गोपियों को बुलाया।

अभ्यास ।

कर्ता और क्रिया का तथा कर्म और क्रिया का कब २ मेल होता है ? कर्ता और क्रिया के मेल के कितने प्रकार हैं ? प्रत्येक का उदाहरण दो ।

नीचे लिखे वाक्यों का मेल के अनुसार संशोधन करो —

लड़कियाँ रोती है । कृष्ण ने गोपियों को बुलायीं । मोहन या श्याम आवेंगे । मोहन न पढ़ता है न मोहन खेलता है । बैल भैंस चरते हैं । हम और तुम जावोगे । इसके मोल लेने में पाँच रुपये मात्र आना लगे हैं । दोनों भाई आया । आप कुछ कहो । प्रत्येक लड़के आये । दस तरह का चीज जुटी है । कन्या और बरी दोनों स्वादिष्ट बनी है । माँ और बेटे आयीं । खेत का खेत चर गये । नौकर आये । कड़ी आवाज से कान फटा । पैर आगे पीछे पड़ता है ।

भेद्य भेदक वा सम्बन्ध सम्बन्धी का मेल ।

(१) भेदक के चिह्न में वे ही लिङ्ग वचन होते हैं जो भेद्य के होते हैं । जैसे—राम का लड़का, राम के लड़के, राम की लड़की और राम की लड़कियाँ ।

(२) भेद्य वा सम्बन्धी के बहुवचन होने से भेदक में 'के' चिह्न आता है पर सम्बन्धी के आगे कोई विभक्ति हो तो एकवचन सम्बन्धी होने पर भी सम्बन्ध में 'के' ही चिह्न आता है । जैसे—राम 'के' लड़के को बुलावो । मोहन 'के' बाप को बुखार लगा है ।

[नोट—जो वैयाकरण 'का' को तद्धितान्त प्रत्यय मान कर उसे विशेषण का आकार देते हैं और उसमें आकारान्त विशेषणों के ऐसा 'ए' 'ई' के परिवर्तन वाले सिद्धान्त के पक्षपाती हैं उनकी उक्ति उपर्युक्त उदाहरण से कुछ ठीक जँचती है । क्योंकि, यद्यपि उसमें भेद्य भेदक भाव है तथापि 'के' होने का जो बहुवचन भेद्य होने पर आता है, कोई वैसा कारण नहीं है ।]

(३) कहीं २ भेद्य भेदक के लिङ्ग-सम्बन्धी नियम के

विपरीत प्रयोग भी मुहावरे में होते हैं। जैसे—इंगलैंड के राजा-रानी हमारे सम्राट् और सम्राज्ञी हैं। आपके आज्ञानुसार और उनके इच्छानुसार मैंने यह काम किया। इन वाक्यों के समस्त 'राजा रानी', 'आज्ञानुसार' के योग में उपर्युक्त नियम के विरुद्ध चिन्ह आये हैं।

(५) यदि स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग सम्बन्धी शब्द 'और' अव्यय के साथ जुड़े हों तो निकट के सम्बन्धी के अनुसार चिन्ह आता है। जैसे—आपके लड़के और लड़कियाँ कुशल से तो हैं न? हमारी सम्राज्ञी और सम्राट् चिरजीव हों।

विशेष्य-विशेषण का मेल।

[१] विशेषण के लिङ्ग वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे—पीला कपड़ा, पीले कपड़े, पीली साड़ी, पीली साड़ियाँ।

[२] यदि कई असमान विशेष्यों का एक ही विशेषण हो तो उसमें समीपवर्ती विशेष्य के लिङ्ग-वचन होंगे। जैसे—बड़े लड़के और लड़कियाँ। बड़ी लड़कियाँ और लड़के। कच्चे केले और लीचियाँ। पकी नारंगियाँ और अमरूद इत्यादि।

[३] यदि कई विशेषणों का एक ही विशेष्य हो तो सब में वे ही लिङ्ग वचन होंगे जो विशेष्य के हैं। जैसे—सीधी सादी मोटी लाठी लेकर नापो। स्वप्न में बड़ी ऊँची डरावनी मूर्ति मेरे सम्मुख आई।

[४] यदि कर्म कारक का चिन्ह नहीं रहे तो विशेषण कर्म ही के अनुसार होता है। जैसे—मैंने लाठी 'खड़ी' की। टोपी 'सीधी' कर लो।

परन्तु जब कर्म-कारक का चिन्ह देख पड़ता है तब विशेषण कर्ता के अनुसार होता है। जैसे—तुमने काँटों को

क्यों टेढ़ा किया? काठ के रङ्ग को और गहरा कर दो।
(भाषा-भास्कर)

यदि कर्म का चिन्ह रहता है तो विशेषण विशेष्य का अनुरोध करता है, पर क्रिया उस अवस्था में प्रथम पुरुष एक-वचन पुल्लिङ्ग ही रहती है। जैसे—उसने गाड़ी को खड़ी किया, तुमने इस रेखा को ठेढ़ी खींचा इत्यादि। (भाषा प्रभाकर)

कभी कभी उद्देश्य का विधेय रूप विशेषण अन्य २ संज्ञा भी होती हैं। जैसे, उसने कज्जली को स्याही बनाया या बनाई। इत्यादि वाक्यों में कज्जली उद्देश्य और स्याही विधेय है।
[हिन्दी व्याकरण तत्त्वबोध]

[इस विषय में बहुत मतभेद देख पड़ता है। बोलने में दोनों रूपों का व्यवहार देखा जाता है। जैसे—वह लकीर को सीधा या सीधी करता है।]

[५] यदि अकर्मक क्रिया के असमान लिङ्ग के अनेक कर्ता हों और उनका विशेषण हो तो उसमें अन्तिम कर्ता का लिङ्ग होगा। जैसे, उसके माँ बाप और दोनों बहनें भली चगी हैं। लड़के और लड़कियाँ दौड़ती आती हैं।

सर्वनाम सम्बन्धी विशेषणों में वे ही वचन होते हैं जिन संज्ञाओं को वे सूचित करते हैं। जैसे—यह पुस्तक, ये पुस्तकें वह लड़का, वे लड़के इत्यादि।

संज्ञा-सर्वनाम का मेल।

सर्वनाम के लिङ्ग-वचन उस संज्ञा के लिङ्ग वचन के तुल्य होते हैं जिसकी जगह पर वे आते हैं। जैसे—मैंने मोहन को बुलाया था वह नहीं आया। स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं, वे सम्मान के योग्य होती हैं, इत्यादि।

आजकल मध्यम पुरुष के एकवचन 'तू' का व्यवहार विशेष स्थलों को छोड कर अन्यत्र प्राय नहीं होता। प्राय एकवचन में भी तुम और आपका ही विशेष प्रयोग होता है। इसलिये क्रिया भी बहुवचनान्त ही होती है।

अभ्यास।

भेद्य-भेदक के लिंग वचन सम्बन्धी क्या नियम हैं ? बहुवचन भेद्य के अतिरिक्त
और कहाँ २ 'के' आता है ? यदि स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग भेद्य हों तो भेदक के चिह्न में कौन
लिङ्ग होगा ? विशेष्य विशेषण के मेल सम्बन्धी कौन २ नियम हैं ? यदि कर्मकारक में
को' चिह्न हो तो लिङ्ग वचन के अनुसार उसके विशेषण में परिवर्तन होगा या नहीं।
इसकी विशेष व्यवस्था क्या है ?

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो और कारण बताओ —

राम का लड़का का कल व्याह है। उसके लड़के लड़कियाँ अच्छे हैं। उनकी माँ बाप आये। हमारी गौरीशङ्कर ही इष्ट देवता हैं। हमारे आज्ञानुसार काम होना चाहिये। अधखिली फूल और कलियाँ मत तोड़ो। उनके केश खुला और बिखरे हैं। भाई और बहिनें दौड़ते आते हैं। कञ्जूसी को स्याही बनायी। पुस्तकें अच्छी हैं पर वे किसी काम के नहीं। वे विद्यार्थी पढ़ते हैं पर उसका आचरण अच्छा नहीं है।

क्रम (Order)

पूर्णार्थ बोधक पद समुदाय को वाक्य कहते हैं।

वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं—एक उद्देश्य (Subject) और दूसरा विधेय (Predicate)। उद्देश्य को कर्ता और विधेय को क्रिया कहते हैं।

जिसके विषय में कुछ कहा जाय वही उद्देश्य और जो कहा जाय वही विधेय है। जैसे, मोहन आता है। घोड़ा दौड़ता है। इनमें मोहन और घोडा उद्देश्य और अन्तिम भाग 'आता है', 'दौड़ता है' विधेय है।

बहुतों के मत में उद्देश्य विधेय भाव वहीं होता है, जहाँ वाक्य में दो संज्ञायें निरपेक्ष होकर आती हैं और लिङ्ग-वच

में समान होती हैं। जैसे, देह लकड़ी हो गयी। राधा कृष्ण बन गयी। इनमें देह और राधा इतने ही उद्देश्यांश हैं और शेष विधेयांश। जो लोग कर्ता और क्रिया को ही में उद्देश्य विधेय भाव मानते हैं उनके मत में यहाँ संज्ञा सहित विधेय है।

यदि कर्ता का विशेषण अपेक्षित हो और यदि वह क्रिया के पूर्व आवे तो संज्ञा के समान ही उसमें भी उद्देश्य विधेय-भाव होता है। जैसे—कुत्ता लँगड़ा है। देवदत्त पण्डित हो गया, इत्यादि।

उद्देश्य और विधेय कई प्रकार के होते हैं और उनके विस्तार भी कई प्रकार के। इन सबों का वर्णन वाक्य विग्रह के प्रकरण में आगे किया जायगा।

(१) वाक्य में अपने विस्तार के सहित उद्देश्य या कर्ता पहले और अपने विस्तार के सहित विधेय वा क्रिया अन्त में आती है। जैसे, मोहन का दौड़ता हुआ चञ्चल लड़का खाकर मन से पाठ पढ़ता है।

(इस वाक्य में सम्बन्धवाचक 'मोहन का' क्रिया द्योतक 'दौड़ता हुआ' और गुणवाचक 'चचल' उद्देश्य 'लड़का' के विस्तार हैं और पूर्वकालिक क्रिया 'खाकर' कारक 'पाठ' क्रिया विशेषण 'मन से' विधेय 'पढ़ता है' के विस्तार हैं।)

(क) दो पद यदि उद्देश्य विधेय भाव से व्यवहृत हों तो उद्देश्य पहले और विधेय बाद आता है। जैसे, विद्या अमूल्य धन है। धर्म ही केवल मनुष्य का मित्र है।

(ख) वाक्य में कहीं केवल उद्देश्य रहने पर विधेय का अध्याहार कर लेते हैं और कहीं विधेय के रहने पर उद्देश्य का अध्याहार। जैसे, किसीको पढ़ते सुनकर पूछा कि कौन पढ़ता है? उत्तर मिलता है 'मोहन'। अर्थात् मोहन

पढ़ता है। किसीसे पूछा 'आते हो' अर्थात् 'तुम' आते हो। इनमें 'पढ़ता है' और 'तुम' अध्याहृत होते हैं। कहीं २ दोनों ही अध्याहृत होते हैं। जैसे, किसी ने पूछा 'तुम चलोगे' ? उत्तर मिला 'हाँ' या 'जी' अर्थात् हाँ, मैं चलूँगा'। इस केवल 'हाँ' से मैं चलूँगा इतना कहा होता है।

(ग) यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्म क्रिया के पहले आता है। जैसे, राम काम करता है। और यदि धातु द्विकर्मक हो तो गौण कर्म पहले रखते हैं। जैसे, मोहन 'अन्न' भोजन करता है। गुरु 'शिष्य को' पाठ पढाता है।

(घ) कभी २ अर्थ की प्रधानता या दृढता सूचित करने के लिये उपर्युक्त नियमों में परिवर्तन भी होता है —

(१) अर्थ की प्रधानता के अनुसार—तुमको केशव ढूँढते थे। जरूरत तो थी उनकी, पर आये तुम। यदु को यह पुस्तक दूँगा, तुमको नहीं। यह बात तो मैंने तुमको कह दी थी। मैंने तो खायी रोटी और तुमने ?

(२) दृढता सूचित करने में—तुम्हींको मैं चाहता हूँ। मैं तो करूँगा और वह ? देखता हूँ न कि इसे कौन करता है। जाने दो, हो गया सो गया।

(३) प्रश्न, कौतुक, विरक्ति और अहंकार में—कहते क्या हो ? खेल समझे बैठे हो। करते २ थक गया, पर पार न लगा। छोडता हूँ मैं कब इसे ?

(ङ) अनेक कर्ता और कर्म रहने पर भी यदि एक ही क्रिया हो तो वह अन्त में ही आवेगी। जैसे-गोपाल, राम और श्याम आये थे। ईश्वर ने ही मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट पतंगों को बनाया है। इसको गाय, उसको भैंस, इसको घोडा, उसको हाथी कहते हैं।

(ख) अनेक क्रियाओं का यदि एक ही कर्ता हो तो वह सबसे पहले ही आता है। जैसे—वह हँसता है, खेलता है, गाता और रोता है।

(२) असमापिका क्रिया समापिका क्रिया के पहले आती है और दोनों का एक ही कर्ता होता है। असमापिका क्रिया के कर्म, करण आदि जो अन्यान्य पद हैं वे असमापिका क्रिया के पूर्व और समापिका क्रिया के कर्म, करण आदि जो पद हैं वे समापिका क्रिया के पूर्व आते हैं। जैसे, मोहन मन से अपना पाठ पढ़ कर शाम को पैदल घर चला आता है।

(क) यदि पूर्वकालिक और समापिका क्रियाओं का एक ही कर्म हो तो पहली ही क्रिया के पूर्व वह आता है। जैसे, गुरु ने शिष्य को सफल देख कर और पास बुला कर स्नेह के साथ आलिंगन करते हुए विदा किया।

(ख) कभी २ असमापिका क्रिया यदि वह कारण रूप में हो तो कर्ता के पहले भी आती है। जैसे, उसका व्याख्यान सुन कर कौन नहीं मुग्ध होता? बाघ देख कर कौन नहीं डरता? उसके व्याख्यान दे लेने पर मैं भी व्याख्यान-दान के स्थान पर जा डटा।

(३) विशेषण ठीक विशेष्य के पहले आता है। जैसे, सुन्दर लड़का। सीधी सादी बात। अच्छी पुस्तक इत्यादि।

(क) यदि एक विशेष्य के कई विशेषण हों तो अन्तिम विशेषण के पूर्व 'और' अव्यय आता है। जैसे, सुन्दरी और बुद्धिमती बालिका। सत्यपरायण और धर्मात्मा युधिष्ठिर।

(ख) यदि विधेय विशेषण हों तो वह विशेष्य के बाद आता है। जैसे, मोहन बड़ा ही सुशील है। सोहन सच्चरित्र है

(ग) उपाधि सूचक विशेषण भी विशेष्य के अन्त में ही रक्खे जाते हैं। जैसे, प० अम्बिकादत्त व्यास 'साहित्याचार्य'। प० विजयानन्द त्रिपाठी 'विद्यारत्न'।

(घ) सर्वनाम के विशेषण प्रायः अन्त ही में रहते हैं। जैसे, वह सुखी है। मैं दुःखी हूँ। तू बड़ा चञ्चल है।

(ङ) *भेद्य भेदक भाव में यदि भेद्य के एकाधिक विशेषण कहना* हो तो उन्हें उसके ही पूर्व में रखना चाहिये। जैसे, गगा का गम्भीर, मधुर और सुन्दर कल रव सुनकर कान तृप्त हो गये। यदि कलरव के ये तीनों विशेषण गङ्गा के पूर्व रख दिये जायँ तो यह भ्रम उत्पन्न हो जायगा कि वे गंगा के विशेषण हैं या कलरव के। इससे ऐसे विशेषणों को ठीक विशेष्य के पूर्व में ही रखना उचित है। यदि गगा के विशेषण हों तो उनका गगा के पूर्व में ही रहना उचित है।

(च) दृढता प्रकट करने को कभी २ विधेय-विशेषण विशेष्य के पूर्व भी आते हैं। जैसे, सच्चे और निराले तुम्हारे सभी कारबार हैं।

(४) सर्वनाम यदि विशेषण रूप से आवे तो वह भी विशेष्य के पूर्व में ही रहता है। जैसे, यह आदमी। ये सब लोग। किस आदमी को इत्यादि।

(क) सम्बन्धकारक में यदि सर्वनाम विशेषण रूप से आता है *तब विशेष्य के पूर्व रहता है और यदि विधेय विशेषण* के रूप में आता है तब विशेष्य के बाद रहता है। जैसे, मेरी पुस्तक लावो। तुम्हारी बात न सुनी जायगी। यह पुस्तक मेरी है। ये चीजें तुम्हारी नहीं हैं।

(ख) प्रश्नवाचक सर्वनाम उसीके पूर्व आता है जिसके विषय

में मुख्यत प्रश्न किया जाता है। जैसे, कौन आदमी है? किस विषय में पूछना चाहते हो?

(५) क्रियाविशेषण क्रिया के पूर्व और विशेषण के भी विशेषण उसके पूर्व आते हैं। जैसे-उसने 'जोर से' पुकारा। वह 'विनय से' बोला। वह अत्यन्त दुर्बल है। वह बहुत नीच है।

(क) सकर्मक या द्विकर्मक क्रिया के क्रियाविशेषण कर्म के पूर्व ही रहते हैं। जैसे—वह 'ऊँचे स्वर से' पाठ करता है। वह 'मन से' शिष्य को पाठ पढ़ाता है। कभी २ इनमें विपरीत भी प्रयोग होते देखा जाता है। जैसे—वह मुझे 'बहुत' चाहते हैं। उन्होंने मुझे 'प्रेम से' यह सिखाया है।

(ख) 'जो' जब क्रिया विशेषण के रूप में व्यवहृत होता है तब वह कर्ता के बाद ही आता है। जैसे—वह जो मुझसे कुछ चाहेगा सो मैं नहीं जानता था। उन्होंने जो मुझे चित्र दिखलाया उसका कारण है।

(ग) केवल, कठिनता से प्रधानत आदि कुछ ऐसे क्रियाविशेषण हैं जिनके प्रयोग में विशेष ध्यान देना चाहिये। ये जिनके गुण वर्णन करते हों उनके ठीक पूर्व इनका प्रयोग होना चाहिये, नहीं तो इनका अर्थ उलट पुलट जाता है। जैसे—केवल राम इसको पढ़ सकता है। (अर्थात् राम के अतिरिक्त दूसरा कोई इसे पढ़ नहीं सकता) राम केवल इसको पढ़ सकता है। (अर्थात् पढ़ना छोड़कर अर्थ वगैरह वह कुछ नहीं कर सकता)।

(६) सम्बोधन वाक्य में पहले, ही प्रयुक्त होता है। जैसे—हे भाई! सुनो। ओ मोहन! मेरा कहना मान लो। रे लड़का! यहाँ से चला जा। यदि सम्बोधन का विशेषण हो

सव पुस्तकों में बड़े २ विद्वानों ने निकाली है अनुसधान कर जो। पढ़ने से जानी जा सकती है पुस्तकों के वे मब बातें सब कोई पाते हैं पढ़ने में आनन्द पुस्तकों के नयी नयी। अनुराग है आदमियों को पढ़ने में बहुत से ऐसा कि उनको लगता है अच्छा पढ़ना दिन भर। उपकारी है बड़ा अभ्यास ऐसा, पढ़ने से अच्छी २ पुस्तकों के क्योंकि बढ़ता है ज्ञान एक तो दूसरा और सुधरता है चरित्र। साथ २ अभ्यास भी चाहिये डालना चिन्ता करने का पाठ के परन्तु। पढ़कर भी होते पुस्तकें लोग बहुतेरी नहीं चिन्ताशील। ऐसा न करने से हो सकना नहीं होना चाहिये जो।

यह गुण है खास एकता का कि नहीं, हम कर सकने जो काम अकेले किया जा सकता है सहज में मिल कर वह काम साथ औरों के करते हैं। साथ काम एक मिल कर जो क्यों न हों दरिद्र चाहे निर्बल वे लेते हैं कर दो काम। बन पड़ता एकता से नहीं जो नहीं है काम हो ऐसा कोई। तुच्छ है बहुत बूँद एक एक मेह बरसती है साथ देर तक वे एक जब पर चलता है सोता वह तब, और आता है सामने जो कुछ उसके वेग मे ले जा सकता है बहा उसे। सामर्थ्य है जल में कारण एकता के इतनी।

रोज़मर्रा दैनिक बोलचाल का ढंग (Common Use)

हिन्दी जिनकी मातृभाषा है वह अपनी नित्य की बोल-चाल में वाक्य-रचना जिस रीति से करते हैं उसे रोजमर्रा कहते हैं। जैसे—कलकत्ते से पेशावर तक सात आठ कोस पर एक पक्की सराय और एक कोस पर चबूरा बना हुआ था। यह वाक्य रोजमर्रे के अनुसार नहीं है। इसकी जगह यों होना चाहिये। कलकत्ते से पेशावर तक सात सात आठ आठ कोस पर एक एक पक्की सराय और कोस कोस भर पर एक एक चबूतरा बना हुआ था।

बोलने और लिखने में यथासम्भव रोजमर्रे का विचार रखना बहुत ही आवश्यकीय है। बिना इसके लिखना या बोलना कौडी काम का नहीं।

रोजमर्रे के प्रयोग का ऐसा कुछ नियम नहीं बन सकता। अच्छे अच्छे लेखकों के लेख बार बार ध्यान देकर पढ़ना और

अच्छे अच्छे बोलनेवालों को बातचीत ध्यान देकर सुनना—सिवा इसके कदाचित् और कोई उपाय नहीं है।

बोलचाल का रोजमर्रा नया गढ़ा नहीं जा सकता। जैसे—'पाँच सात' या 'सात आठ' या 'आठ सात पर' अनुमान करके 'छ आठ' या 'आठ छ' या 'सात नौ' बोला जाय तो उसे रोज़मर्रा नहीं कहेंगे। क्योंकि भाषा में कभी ऐसा नहीं बोलते। इसी तरह 'हर रोज' की जगह 'हर दिन', 'रोज़ रोज़' की जगह 'दिन दिन' या 'आये दिन' की जगह 'आये रोज़' बोलना रोजमर्रा नहीं कहा जायगा।

वाग्धारा-मुहाव्वरा (Idiom)

कोई वाक्य या वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न जता कर कुछ और ही विलक्षण अर्थ जताये तो उसे वाग्धारा कहते हैं। जैसे—रणजीत सिंह ने पठानों के 'दाँत खट्टे कर दिये'। घर में बैठे हुए यों 'पाँव निकाले' तुमने। इतना कहते ही वह 'पानी पानी हो गया'। उसे अच्छे से 'पाला पड़ा है।' इस बात के सुनते ही उसके पेट में घोड़ा कूदने लगा'।

मौलवी अल्ताफ हुसैन हाली का मत रोजमर्रे और मुहाव्वरे के विषय में पढ़ने योग्य है। "रोजमर्रे की पाबन्दी जहाँतक सम्भव हो लिखने और बोलने में जरूरी समझी गई है। यहाँ तक कि वाक्य में जितनी ही रोज़मर्रे की पाबन्दी कम होगी उतना ही उसमें लालित्य कम होगा। परन्तु मुहाव्वरा के लिये यह बात नहीं है। मुहाव्वरा जो उत्कृष्ट रीति से बाँधा जाय तो निस्सन्देह निकृष्ट आशय को उत्कृष्ट और उत्कृष्ट को उत्कृष्टतर कर देता है। पर हर जगह मुहाव्वरे का बाँधना ऐसा कुछ आवश्यक नहीं। बिना मुहाव्वरे के भी ओजस्वी

उद्देश्यविधेय के वर्द्धक भाग भी विशेषण आदि से बढ़ाये जा सकते हैं।

मिश्र वाक्य (Complex Sentence)

परस्पर सम्बन्ध रखते हुए प्रधान और अप्रधान वाक्यों के संयोग से जो पूर्ण वाक्य संगठित होता है वह मिश्रवाक्य कहलाता है। जैसे—यद्यपि वह देखने में दुबला मालूम होता है तथापि बड़ा बलवान है।

मिश्रवाक्य के अधीन जो वाक्य रहते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा वाक्य, विशेषण वाक्य और क्रिया विशेषण वाक्य।

संज्ञा वाक्य (Noun Clause)

जो अप्रधान वाक्य (Subordinate clause) संज्ञा के समान व्यवहृत होते हैं वे संज्ञा वाक्य कहाते हैं। संज्ञा वाक्य इतने प्रकार के हो सकते हैं —

कर्ता—इससे ज्ञात होता है कि 'ऐसा करना अच्छा न होगा'। कर्म—कौन कहता है कि 'तुम चोर हो'। उपयुक्त पद वा समानाधिकरण संज्ञा (Apposition)– उसका यह विचार कि 'मेरी ही जीत होगी' भ्रम सिद्ध हुआ। क्रियापूरक—वह जानता है कि 'अकाल पड़ेगा'।

कहीं २ अधीन और प्रधान वाक्यों का संयोजक 'कि' लुप्त भी रहता है। जैसे—कौन बिना जाने कह सकता 'तुम्हारे मन में क्या है'? उसने कहा मैं न पढ़ूगा'।

विशेषण वाक्य (Adjective Clause)

जब अप्रधान वाक्य विशेषण रूप में व्यवहृत होते हैं तब

वे विशेषण वाक्य कहाते हैं। विशेषण वाक्य इतने प्रकार के हो सकते हैं —

कर्ता—उसके पैर में एक चक्र है 'जो सौभाग्य का सूचक है'। कर्म—वह 'जो पाता है' वही खा जाता है। क्रिया-पूरक —मैं मोहन को अच्छी तरह जानता हूँ 'जो सोहन का लड़का है'।

प्रधान वाक्य के साथ विशेषण वाक्य, सम्बन्ध वाचक सर्वनाम और क्रिया विशेषण से संयुक्त रहते हैं। जैसे—जैसी संगति कीजिये तैसी उपजै बुद्धि। जो फरा सो झरा। जो बरा सो बुताना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जोई पिया को भावै सोई सुहागिन। जैसा देश वैसा भेस। जहाँ साँझ तहाँ बिहान।

क्रियाविशेषण वाक्य (Adverbial Clause)

जब अप्रधान वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के क्रिया-विशेषण होकर आते हैं तब वे क्रिया विशेषण वाक्य कहाते हैं। वे इतने प्रकार के हो सकते हैं —

कालवाचक—'जब आना था' तब चला क्यों न गया? स्थानवाचक—'जहाँ पानी रहता है' वहाँ कीच होता ही है। रीतिवाचक—वह मुझ पर ऐसा झपटा 'जैसे कबूतर पर बाज़'। कार्यकारणवाचक—वह परिश्रम इसलिये करता है कि 'पास हो जाऊँ।'

क्रियाविशेषण वाक्य प्रधान वाक्य से जब तब, जहाँ, तहाँ, ज्यों, जैसे, ऐसे, जो, यदि, तो इत्यादि शब्दों से जोड़े जाते हैं।

एक पूर्ण वाक्य के साथ दो तीन भी अपूर्ण वाक्य हो

सकते हैं। जैसे—मोहन जो एक धनी का लड़का है, जिसे कल ही समझा दिया था, आज भी बिना पूछे चला गया।

संयुक्त वाक्य (Compound Sentence)

जिस वाक्य में दो या अधिक साधारण या मिश्र वाक्य परस्पर निरपेक्ष होकर मिलते हैं वह सयुक्त वाक्य है।

सयुक्त वाक्य चार भागों में बाँटे जा सकते हैं। संयोजक, विभाजक, विरोध-दर्शक और हेतुसूचक।

संयोजक वाक्य (Cumulative Sentence)

सयोजक वाक्य में केवल एक वाक्य दूसरे से जोड़ा हुआ रहता है। जैसे-राम जाता है और श्याम आता है। वह आगे बढ़ गया और तू पीछे रह गया। इसमें और, फिर, कभी २, इधर उधर आदि से वाक्य सयुक्त किये जाते हैं।

विभाजक वाक्य (Alternative Sentence)

वियोजक वाक्य में एक दूसरे के साथ व्यावृत्ति रहती है। जैसे—या तो मेरा कहा मानिये नहीं तो मुझसे लड़िये। मैं तुमको समझाता हूँ न कि बहकाता हूँ। इसमें नहीं तो, न कि, या तो आदि से वाक्य सयुक्त किये जाते हैं।

विरोधदर्शक वाक्य (Adversative Sentence)

विरोध-दर्शक वाक्य में परस्पर विरोध रहता है। जैसे—वह पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता। प्रिय बोलना चाहिये किन्तु असत्य नहीं। पर, वरन, तो भी, किन्तु आदि से इसमें वाक्य सयुक्त होते हैं।

हेतुसूचक वाक्य (Illative Sentence)

हेतुसूचक वाक्य में एक से कारण और दूसरे से परिणाम

सूचित होता है। जैसे, बड़ी वर्षा हो रही है 'इसलिये' मैं जा नहीं सकता। आठ बजे तक लौट आना क्योंकि सवा आठ में फाटक बन्द हो जाता है। इसमें क्योंकि, इससे, इसलिये आदि से वाक्य सयुक्त होते हैं।

संकुचित सयुक्त वाक्य Contracted Sentence)

सयुक्त वाक्यों में जब उद्देश्य या विधेय की पुनरावृत्ति नहीं करते और अव्यय से काम चला लेते हैं तब वह सकुचित सयुक्त वाक्य कहाता है। जैसे—मैं उसे भोजन और कपड़ा दूँगा। उस पेड में न फूल थे न फल। मोहन पढता है, लिखता है और खेलता भी है।

अभ्यास।

' वाक्य किसे कहते हैं ? वाक्यों के दो मुख्य अग कौन २ हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते है ? उनके लक्षण क्या हैं ? उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं ? उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकारों से विधेय ? उद्देश्य का कितने प्रकारों से विस्तार होता है और कितने प्रकार से विधेय का ? प्रधान वाक्य और अधीन वाक्य किसे कहते हैं ? अधीन वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक के कितने उपभेद हैं। सयुक्त वाक्य के कितने भेद हैं और प्रत्येक का क्या लक्षण है ?

नीचे लिखे वाक्यों के भेद बताओ। यदि वाक्य मिश्र हों तो उनके अधीन वाक्यों के भेद और प्रकार भी बतावो। यदि सयुक्त वाक्य हों तो उनके भी भेद बतावो—

कृपा करके इस गरीब लड़के को कुछ दान दीजिये। मैं आपसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। कागज कैसे बनता है मैं जानना चाहता हूँ। राम पहले दर्ज में पास होगा, ऐसी सबों की आशा थी। वह पटने जायगा या नही तुम कह सकते हो ? राम तुम्हारे साथ झगडा करेगा यह असम्भव है। जो लड़का यहाँ आया था उसे तुम पहचानते हो ? जो बालक सच बोलता है, उसे सब कोई प्यार करते हैं ? सूर्य और चन्द्रमा पृथिवी की तरह गोल हैं। तुम उससे मिलना और घर आने को कहना। यदु ने तुम्हें गाली दी है और मारने के लिये धमकाया है। व्यास और वाल्मीकि दोनों भारतवर्ष के प्रसिद्ध कवि थे। उसने श्याम से न केवल झगड़ा ही नहीं किया है, उसे खूब मारा भी है। जो बड़ों की निन्दा करता है वही निरा दोषी

नहीं होता जो निन्दा सुनता है उसे भी दोष लगता है। यह लड़का बुद्धिमान है पर सुन्दर नहीं। हम जो कहते हैं वह सुनो, नहीं तो दुख पावोगे। राम या श्याम उसके साथ था। न वे बड़े धनी हैं और न गरीब। तुम जावो या मैं जाऊँ एक ही बात है। चाहे वह करे चाहे तुम। तुम मन से पढ़ा करना।

वाक्य-विश्लेषण (Analysis)

वाक्य के मुख्य भागों को अलग करना, जिनसे वह बना है और उन सब भागों का परस्पर सम्बन्ध बताना वाक्य विश्लेषण कहाता है। वाक्य विश्लेषण को कोई २ वाक्यविग्रह, वाक्य विभजन, वाक्य-विन्यास और वाक्य पृथक्करण आदि भी कहते हैं।

वाक्य विश्लेषण करने में सबसे पहले वाक्य का प्रकार बताना चाहिये कि वह साधारण वाक्य है या संयुक्त या मिश्रित।

साधारण वाक्य हो तो उसके उद्देश्य और विधेय बतावो। यदि उद्देश्य के विशेषण हों और विधेय के पूरक, कर्म, आदि कारक विधेयार्थवर्द्धक या इनके विशेषण आदि हों तो उन सबों को भी अलग अलग बताते हुए उनका परिचय लिखना चाहिये।

यदि मिश्र वाक्य हो तो प्रधान वाक्य को अलग बता कर जितने अधीन वाक्य हों उन्हें भी बतलावो। फिर सरल वाक्य के विशेषण आदि के समान उनके प्रत्येक अंश का परिचय कराना चाहिये। इस बात का ध्यान रहे कि उद्देश्य के गुणवाचक आदि उद्देश्य के साथ और विधेय, विधेयार्थवर्द्धक आदि विधेय के साथ यथास्थान रहें।

संयुक्त वाक्य हो तो परस्पर निरपेक्ष वाक्यों को अलग २ बतावो। जिन अव्ययों द्वारा वाक्य संयुक्त या वियुक्त हों उन्हें दिखलावो। फिर प्रत्येक वाक्य के सब अंशों को पहले ही के समान परिचय कराना चाहिये।

पृथक्करण में वाक्यों का यदि कोई अंश लुप्त हो तो उसे भी व्यक्त कर देना चाहिये।

पृथक्करण दो प्रकार से किया जाता है। एक सिलसिलेवार और दूसरा कोष्ठक द्वारा शब्दों को रख करके। कोष्ठक का ढंग ही काम में बहुत लाया जाता है।

वाक्य पृथक्करण के उदाहरण।

सिलसिलेवार रख करके वाक्य विश्लेषण।

१ साधारण वाक्य।

सुशील बालक पूज्य पिता की उचित सेवा तन मन से करने लगा।

वाक्य का प्रकार—साधारण वाक्य।
उद्देश्य—बालक (कर्ता)
उद्देश्य का विशेषण—सुशील।
कर्म—सेवा [विधेय का विस्तार]
कर्म का विशेषण—उचित और विस्तार—पूज्य पिता की।
विधेय—करने लगा।
विधेय का विस्तार—तन मन से।

कोष्ठक द्वारा वाक्य विश्लेषण।

उद्देश्य		विधेय			
उद्देश्य या कर्त्ता	कर्ता का विशेषण	विधेय या क्रिया	कर्म विधेय का विस्तार	कर्म का विशेषण विस्तार	विधेय का विस्तार
बालक	सुशील	करने लगा	सेवा	उचित पूज्य पिता की	तन मन से

(ख) वे अपने धर्म में सदा दृढ रहते हैं और अपना कर्तव्य पालन करते हैं।

वाक्य	वाक्य का प्रकार या मेल।	संयोजक या वियोजक शब्द	उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार, विधेय	कर्म	कर्म का विस्तार	विधेय का विस्तार
वे अपने धर्म में दृढ़ रहते हैं और अपना कर्त्तव्य सदा पालन करते हैं	प्रधान वाक्य	और	वे	दृढ़ रहते हैं			अपने धर्म में
	प्रधान वाक्य		वे (लुप्त)	पालन करते हैं	कर्त्तव्य	अपना	सदा

यह कोष्ठक तीन प्रकार के वाक्यों के विश्लेषण में काम आ सकता है। इसी प्रकार पद्यों का भी विश्लेषण करना चाहिये।

अभ्यास।

नीचे लिखे साधारण संयुक्त और मिश्र वाक्यों का पृथक्करण करो—

हरिद्वार में गङ्गाजी के सोतों में बड़ी २ मछलियाँ दिखाई देती हैं। राम के बाग में बहुत से बड़े २ मेवे के पेड़ हैं। सिन्धुनद हिमालय से निकल कर अरब सागर में गिरा है। विद्यालय में जाने पर उनका दर्शन होगा। राम को लोकनिन्दा का भय था इससे उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। वह देखने में दुबला है पर बहुत ही बलवान है। उसका मन कुछ तो धर्म की ओर प्रवृत्त होता है और कुछ स्वार्थ की ओर झुकता है। आप अभी आइये नहीं तो गाड़ी न मिलेगी। साँप बराबर

तप नहीं झूठ बराबर पाप। सूर्य का उदय हुआ और चिड़ियायें अपने २ घोसलों में चहचहाने लगीं। वह कौनसा आदमी है जिसने महाराणा प्रतापसिंह का नाम न सुना हो। मैं नहीं जानता कि इस घर में कौन रहता है। अब क्या वक्तव्य है सो मैं कहता हूँ। जब मैं बोलूँ तब मुझे कहना। जब तक सूर्य चन्द्र रहेंगे तब तक आपकी यह अचल कीर्ति बनी रहेगी। उसको बल है पर हिम्मत नहीं है। सवेरे उठने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जो चोरी करता है उससे सभी घृणा करते हैं। इससे राम की बड़ी हानि होती है।

विराम चिह्न-विचार (Punctuation)

वाक्य के उच्चारण करने के समय विच्छेदस्वरुप जो जिह्वा का विश्राम है उसे ही विराम कहते हैं। इन विच्छेदों के सूचक कई तरह के भिन्न २ चिह्न हैं जिन्हें विराम चिह्न (Stops) कहते हैं। पाठ करने के समय इन चिह्नों से विश्राम का न्यूनाधिक्य और एक पद के साथ दूसरे पद का वाक्य में कैसा सम्बन्ध है, सूचित होता है।

पहले के लेखों में जहाँ कहीं पूर्ण विराम (।) के अतिरिक्त अन्यान्य चिह्नों का प्रयोग प्राय देखा नहीं जाता। इसमें सन्देह नहीं कि पुराने लेखक अपने लेखों को विभूषित करने के लिये कुछ और चिह्नों के प्रयोग न करते हों, पर उनका कोई सम्बन्ध इन वर्णनीय चिह्नों से नहीं था।

अंग्रेजी की देखा देखी आजकल हिन्दी में भी अंग्रेजी ही चिह्न अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगे हैं। पहले के जटिल से जटिल वाक्य क्यों न हों पर उनके लिखने का कुछ ढङ्ग ही ऐसा था कि बिना चिह्नों ही के उनका सहज ही बोध हो जाता था। यद्यपि आजकल ये चिह्न बहुत प्रचलित हो रहे हैं तथापि इनका यथार्थ प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। विराम चिह्नों का जितना कम प्रयोग हो उतना ही अच्छा।

विराम चिह्नों को बिना दिये जहाँ अर्थ और सम्बन्ध की स्पष्टता न हो वहाँ ही इनका प्रयोग होना उचित है।

विराम चिह्नों के प्रयोग में भिन्न २ वैयाकरणों के भिन्न २ मत हैं। उन्होंने अपने २ विचारानुसार इन चिह्नों के प्रयुक्त होने के स्थान लिखे हैं। पर उनमें अनैक्य है। इसका कारण भिन्न २ लेखसरणी ही है। क्योंकि 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' के कारण हिन्दी की लेख प्रणाली कोई ऐसी सगठित ही नहीं हुई कि जिसका अनुसरण सब करें और विराम चिह्न की भी तदनुसार स्थिरता हो जाय। जो कुछ हो, यहाँ इन चिह्नों के सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक है।

अल्पविराम (Comma)

यह चिह्न [,] उच्चारण में अत्यल्प विराम सूचित करता है। यह नीचे लिखे हुए स्थानों पर प्रयुक्त होता है। जैसे —

[क] जिन पदों, पदांशों वा वाक्यों में सयोजक या वियोजक अव्यय आता है उसके पूर्व में—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न परस्पर मिले। तुम, वह, चाहे मैं, कोई कहे। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है।

[ख] वह, यह, तब, था आदि जहाँ लुप्त हो वहाँ—मैं जो कहता हूँ, कान लगा कर सुनो। उन्हें कब फुरसत होगी, कह नहीं सकता। अब करना ही है, कर डालो। कह दिया, करो, न करो।

(ग) पर, इससे, अतएव, क्योंकि, जिसमे, वस्तुत. आदि शब्द यदि वाक्य के मध्य में प्रयुक्त हों तब इनके पहले—स्कूलों की किताबों की लिपियाँ जुदा जुदा चाहे भले ही हों, पर भाषा उनकी उर्दू ही रहे। यह लड़का सत्यवादी है,

इसीसे लोग इसे चाहते हैं। मैं वहाँ न आऊँगा, क्योंकि वहाँ बड़ी भीड़ है। ऐसा काम करना, जिससे नाम बदनाम न हो। जो उसने कहा, वस्तुत अक्षर २ ठीक है। उसने श्रम किया था, अतएव पास हो गया।

[घ] अपनी उक्ति कहने में—उन्होंने कहा एक काम और कीजिये। मैं देखता हूँ, तुम दिन रात खेल करते हो।

[ङ] विशेष और विशेषण, कर्ता कर्म और क्रिया कोई पद और उसका सम्बन्धी अन्य पद, ये यदि बीच में किसी पद या वाक्यांश के आ जाने से दूर पड़ जायँ तो इनके पूर्व में और परे—उन्होंने तीन चार हजार रुपये की आमदनी, जो उन्हें वाणिज्य से होती थी, छोड़ दी। मोहन जो सब कुछ जानता है, बड़ा गुणी है। मेरी विद्या बुद्धि, भला तुम से क्या छिपी है। एक दिन, जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, एक वाक्य पढ़कर बहुत विस्मित हुआ। मेरी बात, घर बाहर, कहीं नहीं सुनी जायगी।

[च] सम्बोधन के परे—प्रिय महाशय, आप से निवेदन है। 'राम नाम सुमरन कर, बुड्ढे, और काम से अब मुख मोड़'।

[छ] अन्यान्य स्थानों में साधारण विश्राम, सम्बन्ध की स्पष्टता और विषय बोध की प्राञ्जलता में—इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में प्रसिद्ध जैन विद्वान्, परलोकवासी, श्रीमद्वि जयानन्द सूरि, उर्फ आत्माराम जी ने आपकी बहुत मदद की थी। वह बर्तन गोल, दो फीट लम्बा, एक फीट चौड़ा, और आठ इञ्च गहरा था। ४५ रुपये महीना, उस कोठी में रहने के लिये, भाड़ा देना पड़ता है। लेखक श्रीयुत दिलीपसिंह, मौजा गहरैंदा, डाकखाना चुनहीं खेरा, जिला उन्नाव।

अर्द्धविराम [Semicolon]

इस चिन्ह [;] से अल्पविराम की अपेक्षा अधिक विराम और एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का दूर सम्बन्ध बोध होता है। जैसे, धर्मचिन्ता और ईश्वरचिन्ता में क्लेश नहीं है; बल्कि सुख ही है। एक तो यह कि वे बड़े विद्वान् हैं, उनको सभी विषयों का थोड़ा बहुत ज्ञान है; पर सरकार साहब हमारी चिट्ठी साफ हज़म कर गये, डकार तक न ली। उन्होंने देखा कि उनके देशवासी बस्ती में रहने नहीं पाते, उन के पास बाजारों में दूकानें खोलने नही पाते, होटलों और रेलों में उनके साथ बैठने नहीं पाते। मैंने एक अपूर्व फल पाया है, इसके खाने से आदमी अमर होता है; यह फल आप ही के योग्य है, इसे ग्रहण कीजिये। मैं कहता हूँ, मान लीजिये। पृष्ठ संख्या ३४०, आकार छोटा, जैनमित्र कार्यालय, हीराबाग, बम्बई से प्राप्य। छपाई और कागज उत्तम, जिल्द बँधी हुई, मूल्य १) रुपया।

अन्यान्य कई चिन्ह (Various marks)

'पूर्ण विराम' [।] [Fullstop] वाक्य सम्पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यह बड़ी अच्छी पुस्तक है।

'प्रश्न चिन्ह' [?] Note of Interrogation—प्रश्न-बोधक वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। जैसे किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारा क्या नाम है? कहीं ऐसे स्थानों पर नहीं आता। जैसे, तुम क्या पढ़ते हो, यह उसने पूछा।

विस्मयादि सूचक चिन्ह [!] Note of Admiration—यह चिन्ह विस्मय, शोक, हर्ष, भय आदि मन के आवेग

प्रकाश करने के समय आता है। जैसे, वाहरी वीरता ! हाय ! क्या अन्धेर हो गया ! वाह ! आज कैसी खुशी का दिन है ! सब लोग घबड़ा कर एक साथ बोल उठे क्या हुआ ! असम्भव और सम्बोधन में भी इसके प्रयोग दीख पड़ते हैं। जैसे, त्रिकालदर्शी [!] लेड वोटर। ए मेरे दोस्तो ! अरी चण्डालिन ! सम्बोधन में कामा भी आता है।

'योजक' [-] Hyphen—समास और पद विभाग में इसका प्रयोग होता है। जैसे ऋषि कुल कमल दिवाकर।

'निर्देशक' [—] Dash—यह चिन्ह और किसी वक्तव्य के भीतर दूसरा वक्तव्य प्रकाशित करने, किसी वाक्य के विवरण लिखने अथवा किसी विषय के उदाहरण देने आदि में प्रयुक्त होता है। जैसे, ईश्वर—आप उसे राम कहें चाहे रहीम—एक ही है। एक साप्ताहिक पत्र—आधा हिन्दी में, आधा अंगरेजी में—निकलता है। यह भारत के लिये—विशेष करके वङ्ग देश और वङ्ग भाषा के लिये—बड़े ही गौरव की बात है। रवि बाबू को—डाक्टर आफ लिटरेचर—नामक पदवी से पुरस्कृत करने का निश्चय किया है। वाक्य तीन प्रकार के हैं—सरल, मिश्र और यौगिक। इन दरजों में दो तरह की रीडरें पढ़ाई जायँ—अर्थात् उर्दू और हिन्दी की रीडरें जुदा जुदा रहें। यही बहुत है—सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्धं त्यजति पण्डित'। देखिये, आप ही के भाई बन्द—आपकी—नहीं, हमारी—भाषा के विषय में क्या कहते हैं।

इस डैश को [—] इस रूप में होने से उसके आगे के कुछ वक्तव्य का बोध होता है—जैसे, वे लिखते हैं—"राम

जिसमें वर्ण की गिनती रहती है वह वर्णवृत्त और जिसमें मात्रा की गिनती रहती है वह मात्रा वृत्त कहाता है। वृत्त का अर्थ छन्द है।

वर्णवृत्त के आठ गण होते हैं। प्रत्येक गण में तीन वर्ण होते हैं। उनके रूप, नाम, देवता और फल इस प्रकार हैं। इनके नाम और रूप का अभ्यास रखना बहुत आवश्यक है।

गणों के रूप, नाम, देवता और फल।

संख्या	रूप	नाम	देवता	फल
१	SSS	मगण	पृथ्वी	मंगल
२	ISS	यगण	जल	वृद्धि
३	SIS	रगण	अग्नि	मृत्यु
४	IIS	सगण	वायु	विदेश
५	SSI	तगण	आकाश	शून्य
६	ISI	जगण	भानु	रोग
७	SII	भगण	चन्द्र	कीर्ति
८	III	नगण	नाग	सुख

तीन गुरु का मगण, आदि लघु यगण, मध्य लघु रगण, अन्त्य गुरु सगण, अन्त्य लघु तगण, मध्य गुरु जगण, आदि लघु भगण और तीन लघु का नगण होता है। मगण, नगण, भगण और यगण ये चारों छन्द के आदि में शुभ हैं और शेष चारों अशुभ। मात्रा वृत्त के पाँच गण होते हैं। वे ये हैं—

१	टगण	अर्थात्	छ	मात्रा	वाला	SSS
२	ठगण	"	पाँच	"	"	SSI
३	डगण,	"	चार	"	"	SS
४	ढगण	"	तीन	"	"	SI
५	णगण	"	दो	"	"	S

छन्दोनिरूपण।

गण जानने से छन्दो भेद के नियम समझने में सुगम होती है। छन्दों के प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट आदि विस्तारभय न लिखे गये। उनका यहाँ लिखना भी अनावश्यक है।

वृत्त के तीन भेद होते हैं। समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त।

समवृत्त।

जिनके चारो चरण तुल्य होते हैं वे समवृत्त कहाते हैं। जैसे—

चौपाई।

जब जब मातु करहिं सुधि मोरी।
होइहिं प्रेम विकल मति मोरी॥
तब तब तुम कहि कथा पुरानी।
सुन्दरि समुझायहु मृदु बानी॥ [रामायण]

इनके चारों चरणों में सोलह २ मात्रायें हैं।

अर्द्धसमवृत्त।

जिनके दो चरण सम हों और दो चरण विषम अथवा जिनके दो से अधिक चरण समान न हों। जैसे—

दोहा।

मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरि सोय।
जा तन की झाँई परे, श्याम हरित दुति होय॥ [विहारी]

के पहले और तीसरे चरणों में तेरह २ मात्रायें हैं और रे तथा चौथे चरणों में ग्यारह २।

विषमवृत्त।

जिसके चारों पद असमान होते हैं वह विषमवृत्त है। त हिन्दी में बहुत कम प्रयुक्त होता है।

वर्ण से अधिक वर्णवाले वृत्त दण्डक कहलाते हैं।

इसके दो भेद हैं—१ गणबद्ध। २ मुक्तक। गणबद्ध दण्डक में वर्णों की संख्या गणों के अनुसार नियमित होती है। मुक्तक में केवल वर्णों की संख्या नियत होती है, गण नियत नहीं होते। और ३२ मात्राओं से अधिक मात्रावाले छन्द मात्रिक दण्डक कहाते हैं। उदाहरण आगे यथा स्थान मिलेंगे।

छन्दोभेद।

हिन्दी भाषा में बहुत प्रकार के छन्द होते हैं। परन्तु यहाँ हम उन्हीं मुख्य २ छन्दों का वर्णन करते हैं जो अधिक व्यवहार में आते हैं। विद्यार्थी यदि इन्हें सीख लेंगे तो पद्य रचना में छन्दोभङ्ग की अशुद्धियाँ उनसे कभी नहीं होंगी।

पहले मात्रावृत्त के सोदाहरण नियम नीचे लिखे जाते हैं। इनमें मात्रा की गणना होती है। हिन्दी में कहीं २ दीर्घ को भी ह्रस्व उच्चारण से लघु ही मान कर एक मात्रा गिनते हैं।

समवृत्तों के चारों चरण एक समान होते हैं। कम से कम दो चरणों में अन्त्यानुप्रास [तुकबन्दी] होना उचित है। अनुप्रास रहित भी छन्दोरचना हो सकती है। पर, अनुप्रास रहने से पद्यों में एक प्रकार का लालित्य आ जाता है।

१३ मात्रा का "उल्लाला" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में १३ मात्रायें होती हैं।]

सेवहु हरि सरसिज चरण, गुणगण गावहु प्रेमकर।
पावहु मन में भक्ति को, और न इच्छा जानि यह॥

[भानुकवि]

१६ मात्रा का "चौपाई" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्रायें होती हैं। लघु, गुरु और विश्राम के भेद से यह छन्द कई प्रकार का होता है।]

बरसहिं जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं बुध विद्या पाये॥
बुंद अघात सहैं गिरि कैसे। खल के वचन संत सह जैसे॥
(रामायण)

१६ मात्रा का "सुमेरु" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्रायें होती हैं और १८ तथा ७ मात्रा पर विश्राम होता है।]

बुरा है माँगना कुछ भी किसीसे,
मनस्वी हैं दुखी जग में इसीसे।
दया उन पर घनाये पेट! रहना,
न उनको भी पड़े अपमान सहना॥३॥ [रा० च० उ०]

२४ मात्रा का "रोला" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में २४ मात्रायें होती हैं। इसके भी कई भेद हैं।]

जहाँ परस्पर प्रेमलता है नहिं लहराती,
वहाँ ध्वजा है कलह कपट की नित फहराती,
प्रणय कुसुम में कीट स्वार्थ का जहाँ समाया।
वहाँ हुई सुख और शान्ति की कलुषित काया॥[अ०सिं०उ०]

२६ मात्रा का "गीतिका" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में २६ मात्रायें होती हैं। इनके भी विश्राम भेद से कई भेद होते हैं।]

दासता में सुख किसीको हो नहीं सकता कभी,
किन्तु उसके शीश पर हैं दुःख आ पड़ते सभी।
बेच दी निज देह का जिसने धनाशा में अहो,
रात दिन परतन्त्रता का दुःख उसको क्यों न हो॥
[रा० च० उ०]

२७ मात्रा का "सरसी" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में १६-११ के विश्राम से २७ मात्रायें होती हैं।]

मोपर कृपा करहु अब स्वामी, अन्तर्यामी आप।
ऐसे ही मन माँहि विचारो, काटो मेरे पाप॥
तुम बिन आन दृष्टि नहिं आवे, कीजै जाको जाप।
तुमहि बतावो ध्याऊं जाको, जो जारे मम ताप॥
[भानुकवि]

२८ मात्रा का "हरिगीतिका" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में २८ मात्रायें होती हैं। इसे लोग बहुधा 'हरिगीतिका' के स्थान पर केवल छन्द कहते हैं। सगण, दो जगण, भगण, रगण, सगण और एक लघु गुरु होने से भी यह छन्द बनता है।]

केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिही निवारई।
मानहु सरोप भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥
दोउ बासना रसना दसनवर मरमु ठाहरु देखई।
तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखई॥
[रामायण]

३० मात्रा का "ताटङ्क" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में ३० मात्रायें होती हैं और १६ तथा १४ मात्राओं पर प्राय विश्राम होता है। इसको कोई "चौबोला" छन्द भी कहते हैं।

भूपाज्ञा से राज्य छोड़कर आज राम बन जावेंगे;
सेंत मेंत में भारत के सम्राट् भरत बन आवेंगे।

इस कुमन्त्र को सुनकर लक्ष्मण शोकसिन्धु में मग्न हुए,
सभी मनोरथ उनके मन के पल ही भर में भग्न हुए॥
(रा० च० ब०)

(१०-८-१२ के विश्राम से भी इसमें ३० मात्रायें होती हैं। इसे "चवपैया" कहते हैं।)

भे प्रगट कृपाला, दीनदयाला, कौशल्या हितकारी।
हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी॥
लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी।
भूषन वनमाला, नयन विशाला, शोभासिन्धु खरारी॥
(रामायण)

३१ मात्रा का "वीर" छन्द।

(इसके प्रत्येक चरण में ३१ मात्रायें होती हैं। विश्राम प्राय १६ और १५ मात्राओं पर होता है।)

एकी समय हाय! हम दोनों मर जावें यदि मीत समीर।
करके अपना वज्र कलेजा तो, फिर धरना यह तदबीर॥
मेरा भस्म और उसका भी किसी भाँति कर देना एक।
इसी भाँति हा! पूरी होवे मिलने की यह मेरी टेक॥
(रा० च० उ०)

(८-८-१५ के विश्राम से भी यह छन्द ३१ मात्रा का होता है। इसे कोई २ "आल्हा" भी कहते हैं।)

सुमिरि भवानी, जगदम्बा का, श्री शारद के चरन मनाय।
आदि सरस्वति, तुमका ध्यावों माता कण्ठ बिराजौ आय॥
जोति बखानौ, जगदम्बा कै, जिनकी कला बरनि ना जाय।
शरद चन्द सम आनन राजै, अति छुवि अङ्ग अङ्ग रहि छाय॥
(भानुकवि)

(बहुत से लोग ३० और ३१ मात्रावाले छन्दों के चरणों को मिला कर भी छन्द रचते हैं।)

राह देखती हो जो मेरी खिड़की पर वह खड़ी उदास ।
धीरे धीरे तुम भी निधरक जाना चले उसीके पास ॥
जो उसकी आँखों में आँसू हो तो तुरत सुखा देना ।
तुम भी थके रहोगे प्यारे ! अपनी प्यास बुझा देना ॥
(रा० च० उ०)

(बहुत से लोग ३० और २९मात्रावाले ताटङ्क और सरसी छन्दों के चरणों को मिला कर भी छन्द रचते हैं।)

सुनिये झारखण्ड वनवासी, दया-शील हे वैरागी ।
करके कृपा बता दो मुझको, कहाँ जले है वह आगी ॥
मैं भटका फिरता हूँ वन में, भूल गया हूँ राह ।
जो तू मुझे वहाँ पहुँचा दे, यह गुण होय अथाह ॥
(श्रीधर पाठक)

(७ मात्रा लेकर ४६ मात्रा तक के छन्द हो सकते हैं। इस में कुछ मुख्य २ प्रचलित ही छन्द लिखे गये हैं।)

नीचे कुछ ऐसे मात्रावृत्त लिखे जाते हैं जिनके सब चरणों में समान मात्रायें नहीं होतीं।

१२ और ७ मात्रा का "बरवै" छन्द ।

(इसके विषम अर्थात् पहले तथा तीसरे चरणों में बारह बारह मात्रायें और सम अर्थात् दूसरे तथा चौथे चरणों में सात सात मात्रायें होती हैं।)

छात्रवृन्द ! प्रिय, हित कर हिन्दी-प्रेम ।
छोड़ेंगे न कभी यह रक्खो नेम ॥

१३ और ११ मात्रा का "दोहा" छन्द ।

(इसके पहले तथा तीसरे चरणों में तेरह २ मात्रायें

और दूसरे तथा चौथे चरणों में ग्यारह २ मात्रायें होती हैं। इसके अनेकों भेद हैं।)

जे गरीब को आदरे, ते रहीम बड़ लोग।
कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई योग॥

(दोहा के उलटने से सोरठा हो जाता है। अर्थात् विषम चरण की मात्रायें सम में और सम की विषम में हो जाती हैं।)

जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवरवदन।
करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभगुण सदन॥
(रामायण)

रोला और उल्लाला मिश्रित "छप्पै" छन्द।

(आदि में रोला और अन्त में उल्लाला छन्द जोड़ने से "छप्पै" बनता है।)

तेरी उन्नति मेघ! देख कर हम सुख पाते,
चातक मोर कुरङ्ग आदि फूले न समाते।
सर, ऊसर, नद, नदी और गिरि गह्वर, कानन,
उन्मुख हो, सोत्कण्ठ देखते तेरा आनन॥
धन्य धन्य है मेघ तू, शत्रु मित्र जिसके नहीं—
तेरे कर से विश्व में लाभ हुए किसके नहीं? (रा० च० उ०)

दोहा रोला मिश्रित "कुण्डलिया" छन्द।

(दोहे के अन्त में रोला छन्द जोड़ने पर कुण्डलिया बन जाती है। इसमें दोहे का आदिवाला पद अन्त में तथा दोहे का अन्तिम चरण रोले के आदि में रहता है। कहीं २ इसमें व्यतिक्रम भी हो जाता है।)

गुन के गाहक सहस नर बिनु गुन लहै न कोय।
जैसे कागा कोकिला शब्द सुनै सब कोय॥

शब्द सुनै सब कोय कोकिला सबै सुहावन।
दोऊ को एक रंग काग सब भये अपावन॥
कह गिरिधर कविराय सुनो हे ठाकुर मन के।
बिनु गुन लहै न कोय सहस नर गाहक गुन के॥

विषम पद का आर्या छन्द।

(इसके पहले और तीसरे चरणों में १२ मात्राय, दूसरे चरण में १८ मात्रायें और चौथे चरण में १५ मात्रायें होती हैं।)

दुख सह कर भी सज्जन, पर दुख को वह न देख सकता है।
आतप सह कर भी तरु, छाया देता पथिक जन को॥

(आर्या के पूर्वार्द्ध अर्थात् १२ तथा १८ मात्रावाले प्रथम द्वितीय चरणों के समान उत्तरार्द्ध अर्थात् तीसरे और चौथे चरण भी हों तो वह गीति छन्द होता है और यदि उत्तरार्द्ध अर्थात् १२ और १५ मात्रावाले तीसरे चौथे चरणों के समान पूर्वार्द्ध अर्थात् प्रथम द्वितीय चरण हों तो वह उपगीति छन्द होता है।)

अब आगे वर्णवृत्तों के कुछ प्रचलित सोदाहरण नियम लिखे जाते हैं। इनमें गणना वर्णों से की जाती है।

८ अक्षर का श्लोक, अनुष्टुप् वा पद्य छन्द।

[इस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ अक्षर रहते हैं। इसी-से इसकी गणना वर्णवृत्त में होती है। यह छन्द बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि इसके नाम से प्राय सभी पद्य उच्चरित होते हैं। यह छन्द अपने ढंग का निराला है। इसमें अक्षरों के गुरु लघु होने का जो साधारण नियम है वह कभी मिलता है और कभी नहीं। यह अपवाद स्वरूप गिना जाता है।]

[इसके चारों चरणों में पाँचवें अक्षर लघु और छठे अक्षर

गुरु होते हैं। दूसरे और चौथे चरण के सातवें अक्षर लघु और पहले तीसरे दीर्घ होते हैं। अन्य वर्णों के लिये कोई नियम नहीं है।]

काम जो करना हो तो, जी लगा करके करो।
छोड़ दो जी न चाहे तो, नहीं वे मन के करो॥

११ अक्षर का "शालिनी" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में मगण, दो तगण और दो गुरु होते हैं।]

आके जाना चाहती है कहाँ तू।
बैठी मेरे चित्त में है यहाँ तू॥
लेती है क्या तू प्रतीक्षा परीक्षा।
क्या ऐसी ही है प्रिये! प्रेम दीक्षा॥ [मै०श०गुप्त]

११ अक्षर का "भुजङ्गी" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में तीन यगण और एक लघु और एक गुरु होते हैं।]

सुगंधै मलै ढग सो लायकै।
सुखावै सिया केश को न्हायकै॥
मुखौ पै लसै तासु शोभा भली।
मनो चन्द्र चूमै "भुजङ्गी" लली॥ [भाषाप्रभाकर]

११ अक्षर का "इन्द्रवज्रा" छन्द।

(इसके प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और दो गुरु होते हैं।)

क्या कौमुदी क्या मणिमञ्जु माला।
है काँपती दीप्र— विशाला॥

जो सामने हो वह दिव्य बाला।
तो अन्ध भी देख उठे उजाला॥ [मै०श०गुप्त]

११ अक्षर का "उपेन्द्रवज्रा" छन्द।

(इसके प्रत्येक चरण में यगण, जगण और दो गुरु होते हैं।)

करो सदा यत्न हढ़व्रती हो। परिश्रमी और यमी कृती हो॥
सभी तुम्हारा सब नाम लेंगे। तभी सभी कारज सिद्ध होंगे॥

११ अक्षर का "उपजाति" छन्द।

[ऊपर के दोनों छन्दों के चरण मिलने से यह छन्द बनता है। ऊपर के दोनों छन्दों में केवल आदि के ही गण भिन्न हैं।

सारी प्रजा को प्रहरी-स्वरूप।
है भारवाही बस भृत्य भूप॥
बसे नहीं योग विराम का ही।
है राज्यभोगी यह नाम का ही॥ [मै० श० गुप्त]

१२ अक्षर का "वंशस्थ" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण, जगण रगण रहते हैं]

अतीव उत्कण्ठित ग्वाल बाल हो,
सवेग जाते रथ के समीप थे।
परन्तु होते अति ही मलीन थे,
न देखते थे जब वे मुकुन्द को॥ [अ० सिं० उ०]

१२ अक्षर का "इन्द्रवंशा" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में दो तगण, जगण और रगण होते हैं।]

यौंही, बड़ा हेतु हुए बिना कहीं,
होते बड़े लोग कठोर यों नहीं।
वे हेतु भी यों रहते सुगुप्त हैं,
ज्यों अद्रि अम्भोनिधि में प्रसुप्त हैं॥ [मै० श० गुप्त]

१२ अक्षर का "भुजङ्गप्रयात" छन्द।

[चार यगण का यह छन्द होता है।]

हुए राम सिंहासनारूढ़ जैसे,
यहाँ से मिटा दुःख का नाम तैसे।
स्वयं सर्वदा सौख्य सर्वत्र छाया,
मनो सत्य भी राम का लौट आया॥ [रा०च०उ०]

१२ अक्षर का "त्रोटक" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं।]

जय राम रमा रमन समन।
भव ताप भयाकुल पाहि जन॥
अवधेश सुरेश रमेश विभो।
सरनागत माँगत पाहि प्रभो॥ [रामायण]

१२ अक्षर का "लक्ष्मीधर" छन्द।

इसके प्रत्येक चरण में चार रगण होते हैं।]

अच्युत केशव राम नारायण।
कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि॥
श्रीधर माधव गोपिकावल्लभ।
जानकीनायक रामचन्द्र भजे॥

१२ अक्षर का "द्रुतविलम्बित" छन्द।

जनम से पहले विधि ने दिये—
रजत, राज्य रथादि तुम्हें स्वय।
तदपि क्यों उसको न सराहते,
मचलते चलते तुम हो वृथा॥ [रा० च० उ०]

१३ अक्षर का "मञ्जुभाषिणी" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और गुरु होते हैं।

सजि साज गौरि सदनै गई लिये,
कर पुष्पमाल लिय माँगती हिये।
वर देहु राम जन तोषकारिणी,
सुनि एवमस्तु कह मञ्जुभाषिणी॥

१४ अक्षर का "वसन्ततिलका" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु होते हैं।]

ऐसे मनोरम विभामय काल में भी,
म्लाना नितान्त अवलोक सरोजिनी को।
थे यों व्रजेन्द्र कहते ललना सती को—
स्वामी बिना सब तमोमय है दिखाता॥ [प्र० प्रि० व०]

१५ अक्षर का "मालिनी" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण होते हैं।]

सर निकट अकेली क्या गई है नहाने?
डर कर मुझको ही या गई है बुलाने?
स्मरण कर उसे हा! शोक होता महा है,
वह विधुरुचि शाली भाववाली कहाँ है? ॥ [रा०च०उ०]

१७ अक्षर का "शिखरिणी" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और एक लघु तथा एक गुरु होते हैं।]

विना फूला ही जो यह सुमन था शुष्क करना,
न था पृथ्वी में जो सरस इसका गन्ध फरना।
विधे! तो क्यों ऐसा रुचिर इसको निर्मित किया,
लिया क्या तूने हा! श्रम विफल सारा कर दिया॥
[मै० श० गुप्त]

१७ अक्षर का "मन्दाक्रान्ता" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु होते हैं।]

प्यासा प्राणी श्रवण करके वारि के नाम ही को,
क्या होता है पुलकित कभी जो उसे पी न पावे।
प्यारे होता नहिं तरणि का नाम ही त्राणकारी,
नौका ही है शरण जल में मग्न होते जनों को॥
[श्र० सिं० उ०]

१८ अक्षर का "चञ्चरी" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में रगण, सगण, दो जगण, भगण और रगण रहते हैं।]

री सजै जु भरी हरी गुण से रहे नित वाणि तू।
औ सदा लह मान सन्त समाज में अगमाहि तू॥
भूलि के जु बिसारी राम हि आन के गुण गाइये।
स्वरूपके सम ना हरी जन चञ्चरी मन भाइ है॥ [भानुकवि]

१९ अक्षर का "शार्दूलविक्रीडित" छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, दो तगण और एक गुरु होते हैं।]

ऊँचा शीश सहर्ष शैल करके था देखता व्योम को।
या होता अति ही सगर्व वह था सर्वोन्नतादर्प से॥

या वार्ता वह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में।
मैं हूँ सुन्दर मानदण्ड ब्रज की शोभामयी भूमि का॥

[अ० सिं० उ०]

२१ अक्षर का "स्रग्धरा" छन्द ।

आता है जो जहाँ से विवश वह वहीं अन्त में लौट जाता,
सोचो तो बन्धनों में पड कर पशु सा कौन है शान्ति पाता?
आना जाना हमारा जब तक न मिटे, है कहाँ मुक्ति भ्राता?
उद्योगी उद्यमी है पुरुष बस वही जो उसे है मिटाता॥

[मै० श० गुप्त]

सवैया ।

सवैया के प्रत्येक चरण में २२ अक्षर से लेकर २६ अक्षर तक होते हैं। इसमें प्राय सब गण एक से रहते हैं। आदि के और अन्त के गुरु लघु के नियम से इसके कुछ भेद होते हैं। इससे इसके चारों चरणों में आदि अन्त के अक्षर नियम से गुरु और लघु होते हैं। इसके कई सूक्ष्म भेद होते हैं।

२२ अक्षर का "मदिरा" नामक सवैया छन्द ।

[इसमें सात भगण और एक गुरु प्रत्येक चरण में है।]

दान करो गुण गान गिरा, परनिन्दक निष्फल काम रहें।
दक्षिण देव गणेश रहें, बहु विघ्न न क्यों सिर वाम रहें॥
मा कमला अनुकूल रहे, धन-धान्य भरे सब धाम रहें।
भक्षक का भय है न हमें बस रक्षक राघव राम रहें॥

[मै० श० गुप्त]

२३ अक्षर का "मत्तगयन्द" नामक सवैया छन्द ।

[इसमें सात भगण और दो गुरु प्रत्येक चरण में हैं। अङ्कित अक्षर दीर्घ हैं और छन्दोनियम और उच्चारण में ह्रस्व से हैं।]

सेस गनेस महेस दिनेस सुरेस हु जाहि निरन्तर गावैं।
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद बतावैं॥
नारद से सुक व्यास रहैं पचि हारे तऊ पुनि पार न पावैं।
ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं॥
[रसखानि]

२४ अक्षर का "किरीट" नामक सवैया छन्द।

[इसके प्रत्येक चरण में आठ भगण हैं। अङ्कित अक्षर दीर्घ होने पर भी ह्रस्व से उच्चरित होते हैं।]

मानुस हो तो वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नन्द की धेनु मझारन
पाहन हो तो वही गिरि को, जो भयो ब्रज छत्र पुरन्दर कारन।
जो खग हों तो बसेरो करों, उन कालिन्दी कूल कदम्ब के डारन॥

[इसके प्रत्येक चरण में सात सगण हैं। इसका नाम "दुर्मिल" छन्द है। यह भी सवैया का भेद है।

पद कञ्जनि मञ्जु बनी पन ही धनु ही सर पङ्कज पाणि लिये।
लरिका सग खेलत डोलत है सरयूतट चौहट हाट हिये॥
तुलसी अस बालक सों नहिं नेह कहा जप योग समाधि किये।
नर ते खर शूकर श्वान समान कहौ जग में फल कौन जिये॥
[कवित्त रामायण]

२५ अक्षर का "सुन्दरी" नामक सवैया छन्द।

[इसमें आठ सगण और एक गुरु होते हैं।]

सुख शान्ति रहे सब ओर सदा अविवेक तथा अघ पास न पावै।
गुण शील तथा बल बुद्धि बढ़े हठ, वैर, विरोध घटें मिट जावें॥

सब उन्नति के पथ में विचरें रति पुण्य परस्पर पुण्य कमावें।
दृढ निश्चय और निरामय होकर निर्भय जीवन में जय पावें ॥
[मै० श० गुप्त]

२६ अक्षर का "सुफ" नामक सवैया छन्द ।

[इसके प्रत्येक चरण में आठ सगण और दो लघु होते हैं ।]

सब बात सहैं, कपडी न कहैं,
कुछ मानस में अरु मैल न लावत ।
पर के अपवाद, विवाद, वृथा हठ,
रञ्चक हूँ सपने नहिं भावत ॥
सुन के अपनो गुण गान रहैं चुप,
दोष छिपा सब के गुन गावत ।
जिसमें गुण ये सब हों भरपूर,
वही नर साधु महान कहावत ॥८॥

घनाक्षरी कवित्त वा मनहरन छन्द ।

यह छन्द तीन प्रकार का होता है । क्रमशः इनके प्रत्येक चरण में ३१, ३२, ३३ अक्षर होते हैं । इनमें गुरु लघु का कोई नियम नहीं है । पर यह देखना आवश्यक है कि उच्चारण और विश्राम में शैथिल्य न हो । सोलह अक्षर पर पहला विश्राम होना चाहिये और उच्चारण धारावाहिक हो । ३१ में अन्तिम अक्षर दीर्घ और ३२ में लघु तथा ३३ में भी लघु होते हैं । प्राय ३३ अक्षर के कवित्त में अन्तिम पद द्विरुक्त होते हैं ।

३१ अक्षर का कवित्त ।

तालन पै ताल पै तमालन पै मालन पै,
वृन्दावन बीथिन बहार बंशीवट पै ।

कहैं 'पद्माकर' अखण्ड रासमण्डल पै ॥
मण्डित उमडि महा कालिन्दी के तट पै ॥
छिति पर छान पर छाजत छतान पर,
ललित लतान पर लाडिली के लट पै ॥
आई भले छाई यह शरद जुन्हाई जिहि,
पाई छबि आज ही कन्हाई के मुकुट पै ॥१॥
भ्रमर कदम्बन पै गान कै उडान लागे,
होत बलहीन बिरहीन तन थर थर।
'ललित' हरित लहरान लागे तरुवर,
सीरी सीरी चलन समीर लागी सर सर ॥
दामिनि के जोर चहुँ ओर,ते लखान लागे,
चातक चकोर मोर सोरन दै भर भर।
झर झर घर धर धार बाँधि घूमि घन,
नभ में मघन घहरान लागे घर घर ॥२॥

७. अक्षरवाला कवित्त।

उमडे हैं घन के घमण्ड घमसान घोर,
चपला चपल पुनि जात हैं फरकि फरकि।
इन्द्र के धनुष राजे भेक बाजने से बाजे,
बकहू की पाँति उठि चली है सरकि सरकि॥
कवि 'अम्बादत्त' सोभा पावस की पूरी लसी,
बोलत हैं मोर अति आनन्द लरकि लरकि।
धरकि धरकि उठी छाती बिरही जन की,
नदिन की धार धाई चली है ढरकि ढरकि॥

शुभम्भूयात्।

——✱——

AU(